Tuesday, 10 March, 1964

# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनुदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# 3rd
# LOK SABHA DEBATES

तृतीय माला

Third Series

खण्ड २७, १९६४/१८८५ (शक)

Volume XXVII, 1964/1885 (Saka)

**[ ९ से २० मार्च, १९६४/१९ से ३० फाल्गुन, १८८५ (शक) ]**

**[ March 9 to 20, 1964/ Phalguna 19 to 30, 1885 (Saka) ]**

Preservation
Fumigated
On 14.12.83
Parliament Library

सातवां सत्र, १९६४/१८८५ (शक)

Seventh Session, 1964/1885 (Saka)

**(खण्ड २७ में अंक २१ से ३० तक हैं)**

(Vol. XXVII contains Nos. 21 to 30)

**लोक-सभा सचिवालय,**
**नई दिल्ली**

**LOK SABHA SECRETARIAT**
**NEW DELHI**

# विषय सूची

अंक २२--मंगलवार, १० मार्च, १९६४ / २० फाल्गुन, १८८५ (शक)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर


| *तारांकित प्रश्न संख्या | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| ५०२ | हवाई अड्डों पर सुरक्षा कार्यवाही . . . | १६६७—६९ |
| ५०३ | गेहूं, चावल और चीनी का स्टाक . . . | १६६९—७२ |
| ५०४ | उर्वरकों की कीमतें . . . . . | १६७२—७५ |
| ५०५ | मसाले की फसलों और काजू के सम्बन्ध में अनुसन्धान . . | १६७५—७७ |
| ५०६ | दिल्ली दूध योजना . . | १६७७—८० |
| ५०७ | सड़क बोर्ड . . . . | १६८०—८२ |
| ५०८ | मध्यवर्ती और छोटे बन्दरगाह . . | १६८२—८४ |
| ५०९ | रेलवे दुर्घटनायें . . . . . | १६८५—८७ |
| ५१० | समन्वेषी नलकूपसंगठन . . | १६८७—८८ |

| अल्प सूचना प्रश्न संख्या | | |
|---|---|---|
| ६ | भूतत्वीय नक्शों की चोरी . | १६८८—९१ |


## प्रश्नों के लिखित उत्तर


| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
|---|---|---|
| ५११ | कृषि उत्पादन बोर्ड . . | १६९१ |
| ५१२ | खाद्यान्न लाइसेंस आदेश . | १६९१—९२ |
| ५१३ | राज्य वित्त निगम अधिनियम | १६९२ |
| ५१४ | चावल के मूल्य . . . | १६९२—९३ |
| ५१५ | ग्रामीण सहकारी बैंकों का पुनर्विलोकन . . | १६९३ |
| ५१६ | जिला सहकारी विपणन समितियां . . . | १६९३ |
| ५१७ | संयुक्त अरब गणराज्य और भारत के बीच समुद्रीय सेवा . | १६९४ |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

# CONTENTS

*No. 22—Tuesday, March 10, 1964/Phalguna 20, 1885 (Saka)*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| *Starred Question Nos. | Subject | Pages |
|---|---|---|
| 502 | Security Measures at Airports | 1667—69 |
| 503 | Stocks of Wheat, Rice and Sugar | 1669—72 |
| 504 | Prices of Fertilizers | 1672—75 |
| 505 | Research in Spice-crops & Cashewnuts | 1675—77 |
| 506 | Delhi Milk Scheme | 1677—80 |
| 507 | Road Board | 1680—82 |
| 508 | Intermediate and Minor Ports | 1682—84 |
| 509 | Railway Accidents | 1685—87 |
| 510 | Exploratory Tubewells Organisation | 1687—88 |

| Short Notice Question No. | | |
|---|---|---|
| 6 | Theft of Geological Maps | 1688—91 |

Written Answers to Questions—

| Starred Question Nos. | | |
|---|---|---|
| 511 | Agricultural Production Brd | 1669 |
| 512 | Foodgrains Licensing Order | 1691—92 |
| 513 | State Financial Corporations | |
| 514 | Price of Rice | 1692—93 |
| 515 | Review of Rural Co-operative Banks | 1693 |
| 516 | District Co-operative Marketing Societies | 1693 |
| 517 | UAR-India Maritime Service | 1694 |


*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)** | | |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ५१८ | मनीआर्डर फार्म . . . . . | १६९४ |
| ५१९ | खाद्यान्नों के अधिकतम मूल्य . . . . | १६९५ |
| ५२० | खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन . . . . | १६९५—९६ |
| ५२१ | विमान सेवायें . . . . . | १६९६ |
| **अतारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| १००१ | डाक तथा तार विभाग में भूतपूर्व सैनिक . . . | १६९६ |
| १००२ | पोस्टल डिवीजन . . . . | १६९६—९७ |
| १००३ | बस्तर में चावल पर शुल्क . . . | १६९७ |
| १००४ | आजमगढ़ में हवाई अड्डा . . . . | १६९८ |
| १००५ | ग्रामीण गृहणियों का कार्य-भार . . . . | १६९८ |
| १००६ | भाण्डागार . . . . | १६९८ |
| १००७ | असैनिक इंजीनियर . . . . . | १६९८—९९ |
| १००८ | भूमि का सर्वेक्षण . . . . | १६९९ |
| १००९ | विदेशी तार . . . . . | १६९९ |
| १०१० | नैनी-स्टेशन पर माल डिब्बे में आग लगना . . . | १७०० |
| १०११ | त्रिपुरा को सिल्चर से मिलाना . . . . | १७०० |
| १०१२ | एयर इंडिया के कर्मचारियों को बोनस . . . | १७०० |
| १०१३ | मनीआर्डरों के बंटने में देरी . . . . | १७०१ |
| १०१४ | जगाधरी रेलवे स्टेशन . . . | १७०१ |
| १०१५ | कोयले पर विलम्ब शुल्क . . . | १७०१—०२ |
| १०१६ | मिट्टी का सर्वेक्षण . . . . . | १७०२ |
| १०१७ | पंजाब में टेलीफोन एक्सचेंज . . . . | १७०३ |
| १०१८ | दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें . . . . | १७०३—०४ |
| १०१९ | भाँडागार . . . . . | १७०४—०५ |
| १०२० | भूमि का कटाव . . . . | १७०५ |
| १०२१ | पंचायती राज अनुसन्धान परियोजना . . . | १७०५—०६ |
| १०२२ | धनबाद में ऊपरी पुल . . . . | १७०६ |
| १०२३ | खण्डीय और क्षेत्रीय समितियां . . . | १७०६ |

Written Answers To Qestions—contd.


| Starred Questions Nos. | Subject | Page |
|---|---|---|
| 518 | Money Order Forms | 1694 |
| 519 | Maximum Prices of Foodgrains | 1695 |
| 520 | Conference of Food Ministers | 1695—96 |
| 521 | Air Services | 1696 |

| Unstarred Questions Nos. | | |
|---|---|---|
| 1001 | Ex-Servicemen in P & T | 1696 |
| 1002 | Postal Divisions | 1696—97 |
| 1003 | Levy on Rice in Bastar | 1697 |
| 1004 | Aerodrome at Azamgarh | 1698 |
| 1005 | Work Load of Rural Housewives | 1698 |
| 1006 | Warehouses | 1698 |
| 1007 | Civil Engineers | 1698—99 |
| 1008 | Survey of Land | 1699 |
| 1009 | Foreign Telegrams | 1699 |
| 1010 | Burning of Goods Wagon at Naini Station | 1700 |
| 1011 | Linking of Tripura with Silchar | 1700 |
| 1012 | Bonus for Air India Staff | 1701 |
| 1013 | Delay in Delivery of M.Os. | 1701 |
| 1014 | Jagadhri Railway Station | 1701—02 |
| 1015 | Demurrage on Coal. | 1702 |
| 1016 | Survey of Soils | 1703 |
| 1017 | Telephone Exchanges in Punjab | 1703 |
| 1018 | Road Accidents in Delhi | 1703—04 |
| 1019 | Warehouses | 1704—05 |
| 1020 | Soil Erosion | 1705 |
| 1021 | Panchayati Raj Research Project | 1705—06 |
| 1022 | Overbridge in Dhanbad | 1706 |
| 1023 | Zonal and Regional Committees | 1706 |

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| | **प्रश्नों के लिखित उत्तर (जारी)** | |
| | **अतारांकित प्रश्न संख्या** | |
| १०२४ | उत्तर बिहार में बड़ी लाइनें . . . | १७०७ |
| १०२५ | अलेग्जेन्ड्रा गोदी, बम्बई . . | १७०७—०८ |
| १०२६ | कैनेडी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल . . | १७०८ |
| १०२७ | विदेशी पर्यटक . . . . | १७०८ |
| १०२८ | कीड़े और अन्य रोग . . . . | १७०९ |
| १०२९ | दक्षिणी राज्यों में कृषि विकास योजनायें . . . | १७०९—१० |
| १०३० | हिन्दी प्रशिक्षण . . . . | १७१०—११ |
| १०३१ | वाणिज्यिक जहाजी बेड़ा . . | १७११—१२ |
| १०३२ | रेलवे अधिकारियों की प्रतिनियक्ति . . . | १७१२—१३ |
| १०३३ | उत्तर प्रदेश के लिये गेहूं . . . . | १७१३ |
| १०३४ | बस-रेल टक्कर . . . . . | १७१३ |
| १०३५ | नैपाल को चीनी का निर्यात . . . . | १७१४ |
| १०३६ | पश्चिम जापान में भारतीय जहाज का रेत में फंस जाना . | १७१४ |
| १०३७ | राजामुन्द्री में रेल-सड़क का पुल . . . | १७१४—१५ |
| | **विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में** . . . | १७१५ |
| | **सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में** . . . . . | १७१५ |
| | **सभा पटल पर रखे गये पत्र** . . . . . | १७१६ |
| | **तारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के उत्तर में शुद्धि** . . . | १७१६—१७ |
| | **सदस्य की गिरफ्तारी** . . . . . | १७१७ |
| | **सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा** . . . . | १७१७ |
| | श्री ति० त० कृष्णमाचारी . . . | १७१७—२५ |
| | **लेखानुदानों की मांगें, १९६४–६५** . . | १७२५—३० |
| | **विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६४–पारित** . | १७३०—३१ |
| | **अनुदानों की अनुपूरक मांगें, (रेलवे), १९६३–६४** . | १७३१—४२ |
| | श्री शाहनवाज खाँ . . . | १७३१—३३ |
| | श्री वासुदेवन नायर . . | ७३३ |
| | डा० राम मनोहर लोहिया . . . | १७३३ |
| | श्री हिम्मतसिंहका . . . | १७३४ |

Written Answers To ons--*contd*


| Un starred Questions Nos. | Subject | Page |
|---|---|---|
| 1024 | Broad-gauge Lines in North Bihar | 1707 |
| 1025 | Alexandra Docks, Bombay | 1707-08 |
| 1026 | New Terminal at Kennedy International Airport | 1708 |
| 1027 | Foreign Tourists | 1708 |
| 1028 | Incidence of Posts and Diseases | 1709 |
| 1029 | Agricultural Development Schemes in Southern States | 1709-10 |
| 1030 | Hindi Training | 1710-11 |
| 1031 | Merchant Fleet | 1711-12 |
| 1032 | Deputation of Railway Officers | 1712-13 |
| 1033 | Wheat for U. P. | 1713 |
| 1034 | Bus-Train Collision | 1713 |
| 1035 | Sugar Export to Nepal | 1714 |
| 1036 | Indian Ship in Distress in Western Japan | 1714 |
| 1037 | Rail-Road Bridge at Rajahmundry | 1714-15 |
| Re: Alleged breach of privilege | | 17 5 |
| Re: Arrest of Member | | 1715 |
| Papers laid on the Table | | 1716 |
| Correction of Answer to Starred Question No. 496 | | 1716-17 |
| Arrest of Member | | 1717 |
| General Budget, 1964-65—General Discussion | | 1717 |
| Shri T. T. Krishnamachari | | 1717-25 |
| Demands for Grants on Account, 1964-65 | | 1725-30 |
| Appropriation (Vote on Account) Bill, 1964—Passed | | 1730-31 |
| Demands for Supplementary Grants (Railways), 1963-64 | | 1731 |
| Shri Shahnawaz Khan | | 1731-33 |
| Shri Vasudevan Nair | | 1733 |
| Dr. Ram Manohar Lohia | | 1733 |
| Shri Himatsingka | | 1734 |

अनदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६३-६४

श्री अ० प्र० शर्मा . . . . १७३४
श्री यशपाल सिंह . . . . १७३५
श्री पें० वेंकटा सुब्बया . . . . १७३५–३६
श्री उ० मू० त्रिवेदी . . . . १७३६
डा० महादेव प्रसाद . . . . १७३६–३७
डा० मा० श्री० अणे . . . . १७३७
श्री विश्राम प्रसाद . . १७३७
श्री गणपति राम . . १७३८
श्री ओंकार लाल बेरवा . . १७३८–३९
श्री बसवन्त . . . . . १७३९
श्री बड़े . . . . १७३९–४२
विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९६४ . . . . १७४२–४४
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६३-६४ . . १७४४–५१
श्री वासुदेवन नायर . . . . १७४७–४८
श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा . . . . १७४८
श्री रंगा . . . . . १७४८–५०
श्री दे० शि० पाटिल . . . . १७५०
श्री विश्राम प्रसाद . . . . १७५१

Demand for Supplimantary Grants (Rai lways), 1963-64

Supliment Pages


Shri A. P. Sharma . . . . . 1734

Shri Yashpal Singh . . . . . 1735

Shr Vkatasubbaiah . . . . . 1735—36

Shri U. M. Trivedi . . . . . 1736

Dr. Mahadeva Prasad . . . . . 1736—37

Dr. M. S. Aney . . . . . 1737

Shri Vishram Prasad . . . . . 1737

Shri Ganapati Ram . . . . . 1738

Shri Onkar Lal Berwa . . . . . 1738—39

Shri Baswant . . . . . 1739

Shri Bade . . . . . 1739—42

Appropriation (Railways ) No. 2 Bill, 1964—Passed . 1742—44

Demands for Supplementary Grants (General), 1963-64. . . 1744—51

Shri Vasudevan Nair . . . . . 1747—48

Shrimati Lakshmikanthamma . . . . . 1748

Shri Ranga . . . . . 1748—50

Shri D. S. Patil . . . . . 1750

Shri Vishram Prasad., . . . . . 1751

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary from of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

2677 (ai) LS—1

## LOK SABHA

मंगलवार, १० मार्च, १९६४/२० फल्गुन, १८८५ (शक)

*Tuesday, March 10, 1964/Phalguna 20, 1885 (Saka)*

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[Mr. Speaker in the chair.]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### हवाई अड्डों पर सुरक्षा कार्यवाही

+

*५०२. श्री रा० गि० दुबे :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अन्तर्राष्ट्रीय और प्रमुख हवाई अड्डों पर सुरक्षा की कड़ी कार्यवाही लागू करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री महीउद्दीन)**: (क) और (ख) हवाई अड्डों तथा वहां की संस्थापनाओं के सामरिक महत्व तथा विमान यातायात की सुचारु व्यवस्था बनाये रखने के लिये हवाई अड्डों पर सुरक्षा की व्यवस्था पहले से बढ़ा दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण संस्थापनाओं/एककों को, जिनमें हैंगर तथा विमानों को खड़ा करने के क्षे , इंजीनियरिंग तथा मरम्मत कारखाने, पेट्रोल भरने/बिजली से चलने वाले यंत्र, समाचार प्राप्त करने तथा भेजने के रेडियो स्टेशन बिजली तथा पानी का संभरण करने वाली संस्थापनायें सम्मिलित हैं, भारत रक्षा नियमों के नियम ७ के अधीन संरक्षित स्थान घोषित कर दिया गया है और चालन क्षेत्र में प्रवेश पर अधिक सावधानी बरती जाती है ।

सभी महत्वपूर्ण संस्थापनाओं की सुरक्षा का भार पुलिस दल को सौंपने और सभी महत्वपूर्ण स्थानों में प्रवेश तथा उनकी देखरेख का काम अधिक अच्छे ढंग से चलाने का प्रश्न विचाराधीन है।

**श्री रा० गि० दुबे** : क्या यह सच है कि श्री डेनियल वाल्काट के पलायन के बाद ये नये कदम उठाये गये हैं ?

**श्री मुहीउद्दीन** : जी, नहीं। आपातकाल की घोषणा के तुरन्त बाद इन क्षेत्रों को गत वर्ष संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था तथा सुरक्षा उपायों को और मज़बूत करने के लिये अनेक प्रकार के प्रबन्ध किये गये थे। निस्संदेह श्री वाल्काट के भाग निकलने के बाद स कुछ और कदम भी उठाये गये हैं।

**श्री रा० गि० दुबे** : क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि इन नए उपायों से निर्दोष नागरिकों को परेशानी होगी ? मिसाल के तौर पर, वर्तमान व्यवस्था यह है कि यात्रियों के मित्रगण रेलिंग तक नहीं जा सकते। क्या यह सच है कि नये उपायों के अनुसार, जो व्यक्ति अपने मित्रों आदि से मिलने के लिये हवाई अड्डे पर जाना चाहते हैं, उन्हें प्रवेश पत्र अथवा इस प्रकार का कोई आदेश प्राप्त करना पड़ता है ?

**श्री मुहीउद्दीन** : हां, यात्री यातायात को विभिन्न तरीकों से नियंत्रित किया जाता है। जहां तक टर्मिनल भवन के हाल का सम्बन्ध है, यात्री तथा उनके मित्र वहां जा सकते हैं। रेलिंग्स तक वे बिना किसी रोक के जा सकते हैं। मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने देखा होगा कि आपातकाल से पहिले भी यात्रियों के अलावा कोई भी व्यक्ति विमान की ओर रेलिंग से परे नहीं जा सकता था।

**श्री वारियर** : क्या इन सुरक्षा उपायों के हेतु, स्वयं मंत्रालय ने कोई संगठन स्थापित किया है अथवा यह कार्य केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग पर छोड़ दिया गया है।

**श्री महीउद्दीन** : सुरक्षा उपायों की व्यवस्था का कार्य निस्संदेह हवाई अड्डे के प्राधिकारियों पर ही छोड़ा जाता है। गुप्त वार्ता का प्रश्न एक पूर्णतया भिन्न मामला है। जहां तक हवाई अड्डे पर सुरक्षा उपायों का सम्बन्ध है, इस कार्य के लिये सीमाशुल्क प्राधिकारी, पासपोर्ट प्राधिकारी तथा हवाई अड्डे के प्राधिकारी तथा अन्य अधिकारी हैं। इन तीनों के बीच पूर्ण समन्वय रहता है और परामर्श के बाद ही ये प्रबन्ध किए जाते हैं।

**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इसके लिये कोई अध्ययन किया गया है कि हमारे हवाई अडडों पर किये जाने वाले सुरक्षा प्रबन्ध किस प्रकार के हों और क्या अन्य देशों से उपकरण तथा जानकारी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता अनुभव की गई है ?

**श्री मुहीउद्दीन** : मेरे विचार से सुरक्षा उपायों के लिये बाहर से जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी**: क्या हवाई अडडों के लिये अपनाये गये सुरक्षा उपाय हवाई अड्डों की सुरक्षा करने वाली रेलिंग्स तक ही सीमित होंगे अथवा रेलिंग्स के दूसरी ओर भी कुछ सुरक्षा उपाय किये जायेंगे ताकि श्री वाल्काट के भाग निकलने जैसी घटनायें पुनः घटित न हों ?

**श्री मुहीउद्दीन** : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि हैंगर, सस्थापनायें आदि सम्मिलित हैं।

**श्री श्याम लाल सर्राफ** : समस्त हवाई अड्डों पर किये गये सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त, क्या पूर्वी तथा उत्तरी सीमाओं पर स्थित हवाई अड्डों की ओर भी कुछ ध्यान दिया जा रहा है और यदि हां, तो वहां पर किस प्रकार के सुरक्षा उपाय किये जा रहे हैं ?

**श्री मुहीउद्दीन** : जहां तक असैनिक हवाई अड्डों का सम्बन्ध है, पूर्वी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों सहित प्रत्येक जगह हर एक प्रयत्न किया जाता है तथा यह तो स्वाभाविक है कि सीमाओं के पास सुरक्षा उपाय अधिक कड़े होंगे ही। परन्तु सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये कोई अन्य विशेष प्रबन्ध नहीं हैं।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या सुरक्षा उपायों के लिये नियुक्त अधिकारियों को अब यह अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि वे बिना किसी पक्षपात के इन उपायों को लागू करें ताकि श्री वाल्काँट के भाग निकलने जैसी घटना न हो जिनको कि अंग्रेज होने के नाते अन्दर तक जाने की अनुमति थी ?

**श्री मुहीउद्दीन** : मेरे विचार से केवल अंग्रेज होने के कारण ही श्री वाल्काट को नहीं जाने दिया गया था। यह घटना तो और ही ढंग से हुई थी और उनके स्थान पर यदि कोई अन्य व्यक्ति भी भाग निकलने की चेष्टा करता तो उस स्थिति में सफल हो सकता था। इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं बरता गया था।

**Shri Rameshwaranand** : Sir, may I know whether some Muslims are also employed at the airports situated in Bengal, Assam and Kashmir ?

**Mr. Speaker**: It is a different question.

**Shri Rameshwaranand** : Sir, I have not been able to make my question clear.

**Mr. Speaker** : We have understood it but it has no relevance to the main question.

**Shri Rameshwaranand**: I wanted to know whether some Pakistani spies are there.

**Mr. Speaker** : The hon. Member may ask this question on some other occasion.

**श्री कपूर सिंह** : क्या इस सामान्य धारणा में कोई सार है कि हमारे दो पडोसियों, चीन तथा पाकिस्तान, के जासूस हमारे सैनिक प्रतिरक्षा सम्बन्धी लगभग सब केन्द्रों तथा संस्थापनाओं में इस समय मोजूद ह ?

**श्री मुहीउद्दीन** : माननीय सदस्य सैनिक प्रतिरक्षा के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं।

**श्री कपूर सिंह** : हवाई अड्डे भी काफी हद तक सैनिक प्रतिरक्षा से सम्बन्ध रखते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है।

**गेहूं, चावल और चीनी का स्टाक**

\+

*५०३. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक भारत सरकार के पास गेहूं, चावल और चीनी का कितना अनुमानित स्टाक है ;

(ख) उसके कब तक देश की जफरत पूरी होती रहेगी ; और

(ग) चालू वर्ष में विदेशों से और सप्लाई प्राप्त करने के लिये आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे)** : (क) और (ख) भारत सरकार चीनी का भंडार नहीं रखती। गेहूं तथा चावल का भंडार आयात, समाहार तथा खपत की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए कालान्तर में बढाने का कार्यक्रम है। इस काम के लिये ४ मिलियन टन गहूं तथा २ मिलियन टन चावल का भंडार काफी है।

(ग) पी०एल० ४८० के अधीन अमरीका से खाद्यान्नों का जो आयात होता है उसके अलावा वर्मा तथा संयुक्त अरब गणराज्य से चावल और आस्ट्रेलिया से गेहूं आयात करने का प्रबन्ध कर लिया गया है। यह भी विचार है कि गेहूं और चावल दोनों का आयात करने के लिये अमरीका सरकार के साथ पी०एल० ४८० के अधीन एक नया करार किया जाये। चीनी का आयात करने का विचार नहीं है।

**Shri Yashpal Singh :** May I know the sugar quota held by different States at present and our production today as compared to last year ?

**श्री शिन्दे** : १५ फरवरी, १९६४ को चीनी के कारखानों के पास ११·२ लाख टन चीनी थी तथा उत्पादन में २७ लाख टन वृद्धि होने की आशा है। परन्तु इस समय कोई सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि मौसम अभी चालू है।

**Shri Yashpal Singh :** May I know the price at which we purchase food-grains from the Indian farmers as also the price at which we import it under PL-480 ? What is the difference between the two ?

**Mr. Speaker :** This question has been discussed several times.

**Shri M. L. DWivedi :** Is it a fact that about 141 thousand tons of food-grains are in store at Kanpur but instead of giving it to the public it is being given to flour mills who are earning a profit of Rs. 7/ per maund in the black market ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : यह सही नहीं है। वस्तुतः, उत्तर प्रदेश की सरकार की प्रार्थना पर हमने हाल में ही ५ केन्द्रों को प्रति केन्द्र २०,००० टन के हिसाब से एक लाख टन का आवंटन किया है तथा कानपुर को भी २०,००० टन का आवंटन किया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। यदि किसी विशेष कठिनाई की ओर संकेत किया जाय, तो मैं उस बारे में जांच करूंगा ?

**Shri M. L. Dwivedi :** The latter part of my question has not been replied to.

**Mr. Speaker :** He says, it is not correct.

**Shri Sheo Narain :** Though there is ample stock of sugar with the Government, it is selling at Rs. 3/ per seer in Rajasthan. May I know what stops the Government to make the sugar available there ?

**श्री शिन्दे** : जैसा मैं पहिले ही बता चुका हूं जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वह अपने पास चीनी का स्टाक नहीं रखती है। स्टाक तो चीनी के कारखाने के पास रहता है।

**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या राज्य सरकारों को इस के लिये कि वे पर्याप्त मात्रा में रक्षित भंडार बना सकें कोई विशेष सहायता दी जाने वाली है अथवा दी जा रही है और यदि हां तो कितनी तथा केन्द्र व राज्यों को मिलाकर कुल कितना भंडार होगा ?

**श्री अ० म० थामस** : रक्षित भंडार केन्द्रीय भंडार के लिये बनाये जाते हैं। परन्तु राज्य सरकारें इसके लिये भी स्वतन्त्र हैं कि वे आन्तरिक प्राप्ति करके कुछ रक्षित भंडार बनालें जैसा कि उत्तर प्रदेश कर रहा है। उत्तर प्रदेश अपने लिये तथा केन्द्रीय भंडार दोनों के लिये सामाहार कर रहा है।

**Shri Kachhaviya:** There is wheat stock in the country and it is given to flour mills. Is it a fact that the flour of that wheat, which is imported from outside at cheap rates, is being given to the public at higher rates?

**श्री अ० म० थामस** : आटा मिलों को दिये जाने वाले गेहूं के कारखाना मूल्य निश्चित हैं। अधिक भाव पर बेचने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है। अतः जैसा कि आरोप लगाया गया है, मेरे विचार चे चोर बाजारी नहीं हो रही है।

**Shri Kachhavaiya :** My question has not been answered.

**Shri Onkar Lal Berwa :** In spite of there being so much stock of wheat and rice, may I know why there is shortage of wheat and rice in the cooperative stores in Delh which is the capital of India?

**The Minister of Food and Agriculture (Shri Swaran Singh) :** I think there is not any shortage of wheat and the flour in Delhi. If the hon. Member mentions any particular store, I would look into the matter. There should be no hortage in Delhi.

**श्री कपूर सिंह** : पी० एल०–४८० करार की वर्तमान अवधि की समाप्ति के बाद विचाराधीन दये करार की कालावधि कितनी होगी तथा इसके अनुसार प्रति वर्ष कितनी मात्रा का आयात किया जायेगा ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : कालावधि तथा मात्रा के प्रश्न पर अभी बातचीत चल रही है।

**Shri Ram SevakYadav:** Are complaints pouring in that there is adulteration in the flour? Is it under contemplation to supply wheat in place of flour?

**श्री अ० म० थामस** : कुछ तिबन्ध लगाये गये हैं जैसा कि आयातित गेहूं के आटे को बेचने वाले देशी गेहूं को नहीं बेच सकते ताकि मिलावट के लिये गुंजाइश न रहे। इसी प्रकार से देशी गेहूं के आटे को बेचने वाले आयातित गेहूं नहीं बेच सकते।

**Shri Ram Sewak Yadav :** What is the difficulty in supply wheat?

**Shri Swaran Singh :** No difficulty at all wheat is also supplied at many places. But in so many places, flour is in demand, wheat and flour are supplied according to their respective demands at various places.

**डा० सरोजिनी महिषी** : कौन कौन से राज्य गेहूं तथा चावल के रक्षित भंडार स्थापित करने की स्थिति में हैं ?

**श्री अ० म० थामस** : जैसा मैंने श्री प्र० चं बरुआ के प्रश्न के उत्तर में बताया है, कुछ राज्य अपने लिये तथा केन्द्रीय स्टाक के लिये भी समाहार कर रहे हैं। उदाहरणार्थ आसाम अपने सहकारी अभिकरण के द्वारा समाहार कर रहा है। उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा भी समाहार कर रहे हैं। हम ने समस्त राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि वे या तो केन्द्र के लिये अथवा अपने लिये समाहार करें।

**अध्यक्ष महोदय** : अनुदानों की मांगों पर चर्चा के समय इस पर और चर्चा की जा सकती है।

## उर्वरकों की कीमतें

\+

*५०४. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री भी० प्र० यादव :**
**श्री बिशन चन्द्र सेठ :**
**श्री धवन :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री दे० जी० नायक :**
**श्री दलजीत सिंह :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री राम सहाय पाण्डेय :**
**श्री राम हरख यादव :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १९ नवम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों के दाम घटाने की योजना पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो दाम घटाने के बाद विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की क्या कीमतें तय की गई हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) मामले पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने निर्णय किया है कि १-१-१९६४ से यूरिया की कीमत १०० रु० प्रति मीट्रिक टन की दर से कम कर दी जाये। विभिन्न उर्वरकों के संगृहीत मूल्य इस समय इस प्रकार हैं :—

| | |
|---|---|
| अमोनियम सल्फेट | ३३० रु० प्रति मीट्रिक टन |
| यूरिया | ५७० रु० ,, ,, ,, |
| अमोनियम सल्फेट नाईट्रेट | ४०० रु० ,, ,, ,, |
| कैलशियम अमोनियम नाईट्रेट | २७८ रु० ,, ,, ,, |

**Shri Yashpal Singh :** In all how much reduction has been made in the price of the fertilizers in a year ?

**Dr. Ram Subhag Singh:** In 1962-63, the price of calcium amonium nitrate was reduced by Rs. 32/- per ton. As I just said, a reduction of Rs. 100 /- per ton has been made in the price of urea from 1st January, 1964. Thus, in all a reduction of Rs. 3,78,41,292 would be effected to in 1963-64.

**Shri Yashpal Singh :** May I knsnw how long would it take for us to be self-sufficient rather to depend upon America?

**Dr. Ram Subhag Singh :** It would not be possible for us to achieve self-sufficiency until and unless fertilizer plants are set up here in sufficient number. The demand for chemical manure has been increasing every year....

**Shri Ram Sewak Yadav :** At least the possible date may be indicated.

**Dr. Ram Subhag Singh :** It is difficult to state any possible date either, because its demand would continue to rise every year. It was proposed in the Third Five Year Plan to set up a factory with a capacity of about one million tons but in fact it would be established having a capacity of only eight or seven and a half lakh tons. Jnless production keeps pace with the requirements, the difficulty would continue to be there.

**श्री प्र० चं० बख्शी** : बागीचों तथा कृषि उत्पादन के हेतु दिये जाने वाले उर्वरकों के मूल्यों में क्या कोई अन्तर है ?

**डा० राम सुभग सिंह** : जी, हां। राज्य सरकारों को तथा बागीचों के लिये दिये जाने वाले उर्वरकों के मूल्यों के बीच थोड़ा अन्तर है। राज्य सरकारों को हम अमोनियम सल्फेट ३३० रु० प्रति मीट्रिक टन तथा बागीचों के लिये ३५४.६० रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से देते हैं। इसी प्रकार से उर्वरकों की कुछ अन्य किस्मों के लिये भी दरें भिन्न भिन्न हैं।

**श्रीमती सावित्री निगम** : आयातित तथा भारत में बने उर्वरकों के मूल्य में क्या अन्तर है ? देशीय उर्वरकों के मूल्य को कम करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

**डा० राम सुभग सिंह** : सिंदरी में बनाये जाने वाले अमोनियम सल्फेट को हम ३०७ २० रुपये के हिसाब से खरीदते हैं। केन्द्रीय उर्वरक संग्रह के लिये हम भारत के विभिन्न कारखानों से उर्वरक खरीदते हैं। इसका आयातित मूल्य २२२ रु० है। इस प्रकार से आयातित यूरिया का मूल्य ३९३ रु० तथा सिंदरी में बनाये जाने वाले यूरिया का मूल्य ६७२ रु० है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट का मूल्य ४०५ रु० प्रति टन तथा कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट का मूल्य २८० रु० है। दोनों मूल्यों को मिलाकर राज्य सरकारों तथा बागीचों के लिये उर्वरक का मूल्य निर्धारित किया जाता है।

**श्रीमती सावित्री निगम** : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मूल्यों को कम करने के लिये क्या प्रयास किये गये हैं ?

**डा० राम सुभग सिंह** : भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय इस पर गौर कर रहा है और यह केवल इसी कारण सम्भव हो सका है कि हम ने हाल मे ही यूरिया का मूल्य १०० रुपये कम कर दिया है।

**श्री अ० प्र० जैन** : उर्वरक संग्रह द्वारा कमाये गये मुनाफे की इस समय संचित राशि कितनी है तथा गत् तीन वर्षों के दौरान यह कितनी थी ?

**डा० राम सुभग सिंह** : १९६२-६३ में यह ८,५०,०६,५८० रु० तथा १९६१-६२ में ९,४७,१९,९३० रुपये थी।

**श्री अ० प्र० जैन** : अब यह क्या है ?

**डा० राम सुभग सिंह** : मेरे द्वारा पहिले बताई गई राशि आप घटा सकते हैं । ८,५०,०६,५८० में से ३,७८,४१,२९२ घटा दीजिये । अतः यह इस प्रकार होगी ।

**श्री अ० प्र० जैन** : मुझे तो आप बिल्कुल ठीक राशि बताने का कष्ट करें ।

**डा० राम सुभग सिंह** : मैं तो आप को आंकड़े बता रहा हूं ।

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । यह केवल एक साधारण घटाने की बात है । श्री त्यागी ।

**श्री त्यागी** : उर्वरकों के मामले में, जहां तक मुझे पता है, कारखानों को १० प्रतिशत की छट देने के बाद सब से पहिली प्रतिधारण मूल्य निर्धारित किया जाता है । उसके बाद उर्वरक संग्रह तथा लाभोजन की बात आती है । मेरे माननीय मित्र यह जानना चाहते थे कि संग्रह ने कितना मुनाफा कमाया है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि निर्धारित प्रतिधारण मूल्य के अतिरिक्त "संग्रह" ने ६० रुपये प्रति टन के हिसाब से वसूल किया ?

**डा० राम सुभग सिंह** : यह पूर्णतया गलत है क्योंकि जैसा मैंने बताया है उर्वरक संग्रह ने कुल लगभग ८ करोड़ ५० लाख रु० का मुनाफा कमाया है । परन्तु इस वर्ष यूरिया की तथा १९६२-६३ में कैलशियम अमोनियम सल्फेट की कीमत में कमी कर देने के कारण इस लाभ में प्रति वर्ष के हिसाब से ३ करोड़ रुपये की और कमी हो गई है तथा अन्तर को कम करने के लिए हम और कदम उठाने वाले हैं ।

**श्री त्यागी** : श्रीमानजी, मंत्री जी के उत्तर से एक प्रश्न उत्पन्न होता है । वह कहते हैं कि ६० रु० प्रति टन गलत है । परन्तु उनके मंत्रालय ने लोक-लेखा समिति के समक्ष यह बताया है कि कारखाने को प्रशुल्क आयोग द्वारा समय समय पर निर्धारित किये गये प्रतिधारण मूल्य की अनुमति दी गई थी जिसमें सामान्यतया लगाई गई कुल पूंजी पर प्राप्त आय का १० प्रतिशत शामिल है तथा विभिन्न एककों की देशीय उत्पादों के क्रय मूल्य तथा अनेक प्रकार के खर्चों सहित आयातित पदार्थों को ध्यान में रखते हुए उर्वरक संग्रह द्वारा सग्रह निगमन मूल्य निर्धारित किया गया था । लेखा परीक्षा विभाग ने समिति को यह बताया था कि संग्रह का औसत मूल्य कारखाने के लिये निश्चित किये गये प्रतिधारण मूल्य से लगभग ६० रु० प्रति टन अधिक था ।

**डा० राम सुभग सिंह**: इस मूल्य में आप को प्रासंगिक व्यय, परिवहन लागत तथा अन्य बातों को भी शामिल करनापड़ेगा ।

**श्री त्यागी** : आकस्मिक प्रभार तो कृषक के जिम्मे है ।

**डा० राम सुभग सिंह** : मैं अब भी यही कहूंगा कि यह बात शत प्रतिशत गलत है । **(अन्तर्बाधा)**

**श्री त्यागी** : माननीय मंत्री जी गलत उत्तर दे रहे हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । **(अन्तर्बाधा)**

**डा० राम सुभग सिंह** : इस का खंडन करने के लिये माननीय सदस्य को लोक लेखा समिति को मंत्रालय द्वारा बताए गये आंकड़ों का यहां उल्लेख नहीं करना चाहिये था ।

**श्री त्यागी** : क्यों नहीं ?

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। कृपया दोनों बैठ जायें। डा० पं० शा० देशमुख।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है। लोक लेखा समिति के सभापति ने बताया कि मंत्रालय ने उनको गलत आंकड़े दिये हैं। मंत्रालय का लोक लेखा समिति को गलत आंकड़े देना एक बहुत गम्भीर मामला है। अतः इस मामले की जांच की जानी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : एक प्रमुख वकील की हैसियत से वह सोच सकते हैं कि औचित्य प्रश्न कहां उत्पन्न होता है।

**डा० पं० शा० देशमुख** : यह स्पष्ट है कि इस संग्रह से सरकार काफी मुनाफा कमा रही है क्या यह नीति कि यह संग्रह बिना लाभ व हानि के आधार पर कार्य करे अब लागू कर दी गई है?

**डा० राम सुभग सिंह** : हमारी वस्तुतः यही नीति है और इसीलिये हम ने मुनाफा ३.७८ करोड़ रुपये कम कर दिया है। इसी कारण तो मैं कहता हूं कि पूर्व आंकड़े गलत हैं।

**Shri Vishram Prasad :** The hon. Minister just said that the price of the imported fertilizers was Rs. 220/-per ton and that of indigenously produced Rs. 370/- per ton and the margin of profit is Rs. 60/-. May I know how the agricultural production can be increased in view of such a high price of fertilizers?

**Mr. Speaker :** I do not think how this information would be available.

**श्री रंगा** : हमें यह बताया गया है कि सरकार उर्वरकों के मामले में राज सहायता प्रदान करने की नीति का पालन कर रही है ताकि यह किसानों को कम दाम पर प्राप्त हो सकें। परन्तु सत्यता कुछ और ही है। क्या मैं जान सकता हूं कि यदि इस नीति का उर्वरक संग्रह के माध्यम से पालन नहीं किया जा रहा है तो और सरकार किस प्रकार से इस कार्य को कर रही है ताकि उर्वरकों के विक्रय के मामले में राजसहायता प्रदान की जा सके तथा किसानों को उर्वरक सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकें?

**डा० राम सुभग सिंह** : एक उपाय मूल्य को कम करने का है। दूसरा उपाय है वितरण के मामले में राज सहायता प्रदान करना। हम २.५० रु० प्रति टन ग़ैरमौसमी रियायत दे रहे हैं तथा ५०० किलोमीटर तक परिवहन सम्बन्धी राज सहायता तथा समस्त दुर्गम क्षेत्रों—पहाड़ी क्षेत्रों आदि—को राज सहायता दे रहे हैं। परन्तु मैदानी इलाकों में किसानों को इसी मूल्य पर दिये जाते हैं।

**श्री रंगा** : सरकार ने किसानों को इस मामले में किस प्रकार का लाभ प्रदान किया है?

**डा० राम सुभग सिंह** : वे इस मूल्य पर खरीद रहे हैं, यह एक बहुत बड़ा लाभ है।

### मसाले की फसलों और काजू के सम्बन्ध में अनुसन्धान

\+

*५०५. { श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मसाले की फसलों और काजू के सम्बन्ध में बुनियादी और

प्रौद्योगिकीय अनुसंधान करने के लिए एक केन्द्रीय अनुसन्धान संस्था स्थापित करने की किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). मसाले और काजू सम्बन्धी अनुसन्धान की एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं। इसके ब्यौरे अभी अन्तिम रूप से तैयार नहीं हैं।

**श्री वारियर** : क्या इस योजना में राज्य में होने वाले सभी मसाले सम्मिलित होंगे और यह संस्था किस जगह पर स्थापित की जायेगी।

**डा० राम सुभग सिंह** : यह संस्था इरनाकुलम में किसी जगह होगी। हमने राज्य सरकार से कुछ भूमि देने की प्रार्थना की है और वे भूमि देने वाले हैं। राज्य सरकार ने कुछ कार्यवाही के सुझाव दिये हैं और उनकी जांच की जा रही है। परन्तु यह संस्था केरल में होगी। मैं समझता हूं कि सभी मसाले इसमें शामिल किये जायेंगे।

**श्री वारियार**: इन संस्था को स्थापित करने के लिये सरकार अब तक क्या कदम उठा चुकी है?

**डा० राम सुभग सिंह** : फरवरी के प्रथम सप्ताह में हमारा कृषि आयुक्त कोचीन में था। उन्होंने किसी स्थान का निरीक्षण किया था। समस्त कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिये एक समिति स्थापित की जा रही है जिसमें केवल सरकार और मसाले उगाने वाले अन्य राज्यों के प्रतिनिधि होंगे और यह कार्य शीघ्रतापूर्वक किया जायेगा।

**श्री जोकीम आल्वा** : क्या माननीय मन्त्री को यह ज्ञात है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र उत्तर कनारा है और उसके समवर्ती क्षेत्रों गोआ और दक्षिण कनारा में काजू वाले क्षेत्रों की एक गहन और घनी पेटी है ? क्या इस संस्था को उस क्षेत्र में खोलने का विचार है?

**डा० राम सुभग सिंह** : जी, नहीं, यह केरल राज्य में स्थापित की जायेगी।

**श्री कपूर सिंह** : क्या दक्षिण के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में मसाले की इन फसलों को उगाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिये कुछ प्रयोग करने का विचार है अथवा कुछ प्रयोग किये जा रहे हैं ?

**डा० राम सुभग सिंह** : कुछ अन्य क्षेत्रों में भी कुछ मसाले उगाये जाते हैं। परन्तु कुछ दक्षिणी राज्यों में, विशेष रूप से केरल में, वे बहुत अधिक मात्रा में उगाये जाते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : वह यह चाहते हैं कि ऐसा खोज कार्य किया जाये जिससे कि अन्य स्थानों पर भी मसाले उगाये जा सकें।

**डा० राम सुभग सिंह** : हम इस पर विचार करेंगे।

**श्री भागवत झा आजाद** : क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी एक संस्था की अनुपस्थिति में यदि मसाले की फसल और काजू को उगाने वाले सरकार से सहायता के लिये प्रार्थना करें तो सरकार उन्हें क्या सहायता प्रदान करेगी ?

**डा० राम सुभग सिंह** : हमारी भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् इस कार्यक्रम की देखभाल कर रही है। इस अनुसन्धान संस्था के न होने पर भी एक ऐसा विंग है जो इस मामले की जांच करता

है और वह निकाय इस पर उचित ध्यान देता है। परन्तु हम यह चाहते हैं कि हम इस कार्यक्रम पर विशेष रूप से ध्यान दें और इसीलिये यह संस्था स्थापित की जा रही है।

**Shri Vishram Prasad :** What are the aspects on which research will be conducted in the proposed Research Institute ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** Some of the aspects are as to how various spimes-crops are to be developed, how they are to be graded, how the land is to be improved and what improvements are to be carried out in the marketing process of spices.

**श्री ब० कु० दास :** क्या केरल में काजू के सम्बन्ध में एक अनुसन्धान केन्द्र पहिले ही से स्थापित किया हुआ है ?

**डा० राम सुभग सिंह :** जी, हां, वहां पर एक केन्द्र है।

**Shri Kashi Ram Gupta :** May I know as to whether in addition to Kerala and Mysore these cashewnuts could be grown in Northern India also ?

**Dr. Ram Subhag Singh :** Efforts were made to grow them at other places also. Kerala, Mysore and Madras are the largest producers of cashewnuts. Last year we have carried out their replantation in Assam also. But in South India they are grown in a very concentrated way.

**श्री अ० प्र० जैन :** काली मिर्च पश्चिमी तट पर उगायी जाती है क्योंकि वर्ष के एक विशेष भाग में इसे वहां वर्षा की बौछारें मिल जाती हैं। पूर्वी तट पर मद्रास में कृत्रिम बौछार देकर इसको उगाने के प्रयोग किये गये थे।

**अध्यक्ष महोदय :** वह तो जानकारी दे रहे हैं।

**श्री अ० प्र० जैन :** क्या उस प्रयोग के फलस्वरूप और भी प्रयोग किये गये हैं ?

**डा० राम सुभग सिंह :** इस प्रश्न का उत्तर दिये जाने के लिये मुझे यथास्थिति सूचना दी जाये।

**डा० सरोजिनी महिषी :** मसालों और काजू से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमायी जाती है। क्या इनका निर्यात करते समय इनकी किस्म नियन्त्रण के लिये कोई विशेष व्यवस्था है ?

**डा० राम सुभग सिंह :** जी, हां; इसकी व्यवस्था है। जैसा कि मैंने बताया है भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् इस कार्यक्रम की देखभाल करती है।

## Delhi Milk Scheme

\+

*506. **Shri M.L. Dwivedi :**
**Shri Hari Vishnu Kamath :**
**Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Vasudevan Nair :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 479 and supplementaries raised thereon on the 10th December, 1963 and state:

(a) the steps taken to improve the working of Delhi Milk Scheme; and

(b) the result achieved thereby ?

**The Parliamentary Secretary to the Minister of Food & Agriculture (Shri Shinde) :** (a) & (b). A senior officer of the Ministry of Food and

Agriculture has been appointed as the Inquiry Officer for conducting an inquiry into accumulation and deterioration of a large quantity of white butter in the Delhi Milk Scheme and for fixing responsibility for any lapses on the part of any individual officer. His report is awaited. Certain proposals for strengthening the administration of the Delhi Milk Scheme are also under the active consideration of the Government of India.

**Shri M. L. Dwivedy:** The hon. Minister has stated just now that Government have taken certain steps for strengthening the administration of Delhi Milk Scheme. May I know as to what steps have been taken and what is the reason for shortage of milk even when it is available in plenty in the adjoining areas of Delhi ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने यह प्रश्न एक पिछले प्रश्न और उसके अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर से सम्बन्ध रखते हुए उठाया है। पिछला प्रश्न दुर्गन्धयुक्त मक्खन के बारे में था। इसीलिए उत्तर में हमने यह बताया है कि उस मामले में क्या कार्यवाही की गई है। प्रशासन को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिये कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। हम प्रशासनिक अनुभव वाले एक अफसर को महाप्रबन्धक के पद पर रखना चाहते हैं और प्रविधिक अनुभव वाले एक व्यक्ति को उप महाप्रबन्धक के स्थान पर। ये बातें विचाराधीन हैं और इन पर गृह-कार्य मन्त्रालय तथा वित्त मन्त्रालय के साथ चर्चा की जा रही है। जहां तक सम्भरण का सम्बन्ध है हम लगभग ३,००० या ४,००० मन दूध का प्रतिदिन सम्भरण कर रहे हैं। बाढ़ों और अन्य परिस्थितियों के कारण हमें उत्तर प्रदेश से कम दूध मिल रहा है। इसलिये सम्भरण पर इसका कुछ प्रभाव पड़ा है। परन्तु हम समझते हैं कि आगामी महीनों में भी हम इतनी ही मात्रा में दूध का वितरण कर सकेंगे। दूध को शीतल करने वाले केन्द्रों की भाण्डार क्षमता को हम बढ़ा रहे हैं। परिवहन व्यवस्था में भी हम सुधार कर रहे हैं।

**श्री म० ला० द्विवेदी** : अपने प्रश्न के प्रथम खण्ड में मैंने मन्त्रालय द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में पूछा था। उनके बारे में कोई बात नहीं बताई गई है।

**अध्यक्ष महोदय** : जो कार्यवाही की गई है वह उन्होंने बता दी है।

**Shri M. L. Dwivedi:** May I know as to why Delhi Milk Scheme employees reach late at the milk distribution depots which results in people getting their supplies late?

**श्री अ० म० थामस** : जी, हां। हमारे पास कुछ शिकायतें आई हैं। हमने उनकी जांच की है और वितरण केन्द्रों के मैनेजरों को चेतावनी दे दी है कि वे बहुत सतर्क रहें और ऐसी शिकायतों को आने का अवसर न दें।

**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या माननीय मन्त्री को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि वितरण केन्द्रों के काउण्टरों पर बहुत अधिक बेईमानी की जाती है और जिन लोगों को उनके कार्डों पर दूध नहीं दिया जाता है उन्हें उनका पैसा वापस नहीं किया जाता है ?

**श्री अ० म० थामस** : गबन की कुछ शिकायतें आई हैं जिन पर उपयुक्त कार्यवाही की गई है। उचित लेखा रखे जाने के कारण कुछ पैसा वापस करने में कुछ विलम्ब तो होगा ही। परन्तु हमने दिल्ली दुग्ध योजना से यह कहा है कि पैसे वापस करने के मामले में कोई विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये।

**श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या बहुत अधिक घी को जमाने वाला उपकरण सरकार को प्राप्त हो गया है और यदि नहीं, तो घी को जमा रखने तथा उसकी और बरबादी को रोकने के लिये और क्या तरीका अपनाया गया है ?

**श्री अ० म० थामस** : यद्यपि हमने क्रयादेश तो भेज दिया है परन्तु अधिक घी को जमाने वाला उपकरण हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मक्खन को जमा रखने के लिये इस समय हम आइस-क्रीम वाले शीतागृह का उपयोग कर रहे हैं।

**Shri Prakash Vir Shastri** : Has any information been received by the Government regarding the loss sustained by the Delhi Milk Supply Scheme during the last two years as a result of ghee worth lakhs of rupees having been spoiled as also frequent spoiling of milk due to slackness of the staff and defective working system? Is any data available with the Government in this connection?

**श्री अ० म० थामस** : इस मामले की जांच करने के लिये एक प्रवर अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है जो कि हानि का अनुमान लगायेगा और दोषी व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहरायेगा। जहां तक दुर्गन्धयुक्त घी के विक्रय का सम्बन्ध है हम समझते हैं कि इससे हमें लगभग ७४,००० रुपये की हानि होगी।

**Shri Vishram Prasad** : The hon. Minister has stated that a special officer has been appointed to conduct the enquiry. Has any employee been suspended during the period of enquiry and by when its report is likely to be submitted?

**श्री अ० म० थामस** : कोई मुअत्तिल नहीं किया गया है।

**Shri Jagdev Singh Siddhanti**: What effect this Milk Scheme is likely to have over the persons carrying on business in milk independently ?

**श्री अ० म० थामस** : जी, कोई नहीं; जहां तक दूध के सम्भरणकर्ताओं का सम्बन्ध है उनकी स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। दिल्ली दुग्ध योजना के प्रारम्भ होने से पहले वे अपना दूध बहुत कम मूल्य पर बेच रहे थे। अब उनकी चीज़ के लिये उन्हें उचित मूल्य मिल रहा है।

**Shri Kachhavaiya**:. Is it a fact that due facilities are not being provided for the employees and that is the reason for dislocation of supplies ?

**श्री अ० म० थामस** : जी, नहीं। कर्मचारियों की शिकायतों के प्रश्न की भी जांच की जा रही है। जब कभी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तभी हम कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से मिलते हैं और बातचीत करते हैं।

**Shri Yashpal Singh** : In view of the fact that milk is the first necessity of life, has the hon. Minister cared to see that milk van is stopped near the canal bridge and certan quantity of milk is sold out and canal water is mixed in the remaining milk in the same quantity? Water from the well is intentionally not mixed because that is heavier.

**Mr. Speaker** : Had the hon. Minister seen he would have said so. If you have seen you can tell us.

**Shri Kashi Ram Gupta** : On the one hand, the hon. Minister says that there is shortage of milk due to famine conditions and on the other he says that

General Manager and Deputy General Manager will be appointed. I want to know the purpose that they are going to serve when there is short supply of milk?

**Mr. Speaker :** He has already explained that.

**श्री वारियर** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस शिकायत की जांच की है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा नीलामी में बेचे गये घी को अपमिश्रण के काम में लाया गया था ?

**श्री अ० म० थामस** : जी, नहीं। ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है।

**श्री वारियर** : यह समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई थी।

**Shri Sheo Narain :** Is there any conflict between the higher officers and low paid staff of the Delhi Milk Scheme because of which the working of the scheme is not going on properly ?

**श्री अ० म० थामस** : वास्तव में योजना के चलाने के बारे में कुछ मतभेद है। हमने उसकी भी जांच की है और सम्पूर्ण प्रशासनिक ढांचे को सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों ने दुग्ध योजना के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में अनेकों शिकायतें की हैं और यह कि उनके कार्मिक संघ को जो कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के साथ सम्बद्ध है केवल इसलिये मान्यता प्रदान नहीं की गई है कि उन्होंने दिल्ली दुग्ध योजना के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में शिकायतें की थीं ?

**श्री अ० म० थामस** : कर्मचारी संघ को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार किया गया है और हम उसे मान्यता प्रदान करने के पक्ष में हैं। इस मामले पर श्रम मन्त्रालय के साथ बातचीत की जा रही है।

## सड़क बोर्ड

\+

*५०७. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री गो० महन्ती :**
**श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **परिवहन** मंत्री १० दिसम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क बोर्ड स्थापित करने की योजना पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २४८१ /६४]**

**श्री रामचन्द्र उलाका :** भारतीय सड़क कांग्रेस ने यह प्रस्ताव कब किया था और इस पर विचार करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ है ?

**श्री राज बहादुर :** सड़क बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में भारतीय सड़क कांग्रेस ने समय समय पर सिफारिश की थी और अपने पिछले अधिवेशन में भी उन्होंने अपनी सिफारिश दुहराई थी। वास्तव में बात यह है कि इस बोर्ड के कृत्य, जिसमें इसकी शक्तियां भी सम्मिलित हैं, गठन और अर्थ व्यवस्था के मामलों को तय करना एक कठिन कार्य है, और कृत्यों और शक्तियों से संबंधित मामला विशेष रूप से इस कारण कठिन है कि इस बोर्ड की स्थापना से राज्य परिवहन प्राधिकार के कुछ कृत्य एक प्रकार से बोर्ड के पास चले जाते हैं।

**श्री रामचन्द्र उलाका :** इस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं और इससे देश में परिवहन सम्बन्धी कठिनाई को दूर करने में कहां तक सहायता मिलेगी ?

**श्री राज बहादुर :** सड़क तथा सड़क परिवहन से सम्बन्धित हमारे विकास कार्यक्रमों का सुधार, समन्वय तथा एकीकरण इस से होगा।

**श्री विश्वनाथ राय :** इस बोर्ड के कृत्यों की मुख्य बातें क्या हैं और क्या वह अन्तर्राज्यीय सड़कें बनाने के कार्य को शीघ्र हाथ में लेगा ?

**श्री राज बहादुर :** इसके कृत्य मैं अभी अभी बता चुका हूं।

**श्री प० वेंकटा सुब्बया :** जब तक कि कोई निर्णय लिया जाय, क्या परिवहन गाड़ियों के एक राज्य से दूसरे राज्य में आने-जाने के लिये लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाने की दृष्टि से सरकार का विचार विभिन्न राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने का है, जिससे कि परिवहन संबंधी कठिनाई दूर हो सके ?

**श्री राज बहादुर :** जहां तक इस बोर्ड के गठन का सम्बन्ध है, हम राज्य सरकारों के साथ पत्रव्यवहार कर ही रहे हैं और उन से परामर्श भी कर रहे हैं। नीति को उदार बनाने आदि का प्रश्न इस मूल प्रश्न से नहीं उठता।

**श्रमती सावित्री निगम :** किन किन राज्यों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है और किन राज्यों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ?

**श्री राज बहादुर :** मद्रास, केरल, हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य-क्षेत्र और एक अन्य संघ राज्य-क्षेत्र की सरकारों की प्रतिक्रियायें कुछ इसके पक्ष में हैं। इस के अतिरिक्त, आम तौर पर राज्य इस के बहुत पक्ष में होते हुए प्रतीत नहीं होते, परन्तु फिर भी मामला अभी तक विचाराधीन है।

**श्री भागवत झा आजाद :** इस कथन के अनुसार जो राज्य सरकारें इस के पक्ष में नहीं हैं उन को इसके पक्ष में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, क्या सरकार का विचार इस बात को जानने का है कि अन्य देशों में ऐसे बोर्ड किस प्रकार कार्य कर रहे हैं जिससे कि यह जानकारी हमारे लिये सहायता पूर्ण सिद्ध हो सके ?

**श्री राज बहादुर :** इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी एकत्रित करने का प्रयत्न हमने किया है और हमें यह बताया गया है कि पश्चिम यूरोपीय देशों में, जापान में तथा अमेरिका में भी ऐसे बोर्ड नहीं हैं। आस्ट्रेलिया से जानकारी आने की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।

इस के अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारें मूलतः इस विषय में एकमत हैं, जैसाकि इस वर्ष कलकत्ता में राज्यों के परिवहन आयुक्तों और सचिवों की फरवरी में हुई अन्तिम बैठक में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों द्वारा कही गई बात से मालूम होता है, कि वे सड़क कार्यक्रमों का समन्वय तथा एकीकरण चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उस आधार पर इस मामले में शायद कोई सांझा रास्ता खोज निकाला जा सकता है।

**श्री त्यागी :** हमारी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान द्वारा दी गई कड़ी धमकियों को दृष्टिगत रखते हुए, क्या सीमा पर कुछ उदार सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिस से कि सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में किसी कठिनाई का अनुभव न हो ?

**श्री राज बहादुर :** इस मामले पर प्रतिरक्षा मंत्रालय सदा विचार करता रहा है और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के परिवहन मंत्रालय इस सम्बन्ध में जो कुछ भी सहायता दे सकते हैं उसकी व्यवस्था की जायेगी।

## मध्यवर्ती और छोटे बन्दरगाह

+

*५०८. { **श्री महेश्वर नायक :**<br>**श्री ओंकारलाल बेरवा :**

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में निर्धारित कार्यक्रम के मुकाबले में विभिन्न राज्यों में मध्यवर्ती और छोटे बन्दरगाहों के विकास में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) सम्बन्धित राज्यों की इस प्रयोजनार्थ अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए विदेशी मुद्रा विषयक समस्याएं कहां तक हल की गई हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से राज्यों को और क्या सहायता दी जा रही है ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिस में अपेक्षित जानकरी दी हुई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २४८२/६४]

**श्री महेश्वर नायक :** विवरण से मुझे यह पता चला है कि तीसरी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन परादीप पत्तन का एक मध्यवर्ती पत्तन के रूप में विकास करने के हेतु १,५४,३०,००० रुपये का उपबन्ध किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें से तनिक भी रुपया व्यय नहीं किया गया है। इस के क्या कारण हैं ?

**श्री राज बहादुर :** मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि एक मध्यवर्ती पत्तन के रूप में इस का विकास करने के लिए हमने अपनी ओर से तो इस पत्तन को तीसरी योजना

में सम्मिलित किया था। बाद में राज्य सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि इस पत्तन को एक बड़े विकास कार्यक्रम के लिये लिया जाये और हम इससे सहमत हो गये। वे अपनी योजना तैयार कर रहे हैं; तीसरी योजना के अधीन हम जितनी सहायता कर सकते हैं, वह उन को दी जायेगी।

**श्री महेश्वर नायक :** परादीप पत्तन का सब मौसम वाले पत्तन के रूप में विकास करने के लिए १३ करोड़ ३२ लाख रुपये का उपबंध किया गया है। इसमें और ऐसी क्या बातें हैं जिनके कारण इसे केन्द्रीय क्षेत्र में नहीं लिया जा सकता ?

**श्री राज बहादुर :** क्योंकि यह तीसरी योजना में सम्मिलित नहीं किया गया था--बस यही मुख्य कारण है।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :** क्या मैं ऐसा मान लूं कि इस पत्तन का सभी-मौसमों वाले एक पत्तन के रूप में विकास करने के लिये राज्य सरकार ने जो १२ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया था, वह ऐसी एक योजना है जिसका कि केन्द्रीय सरकार के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है अथवा क्या यह योजना केन्द्रीय सरकार की सहमति से तैयार की गई थी ? क्या केन्द्रीय सरकार को यह ज्ञात है कि हाल ही में उड़ीसा की विधान सभा में यह बताया गया था कि इस पत्तन के २४ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया था, न कि १२ करोड़ रुपये का जैसाकि विवरण में दिखाया गया है ?

**श्री राज बहादुर :** इस परियोजना का वित्तीय उत्तरदायित्व तथा इसके निष्पादन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार ने पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है। हमारा सम्बन्ध केवल तीसरी योजना में किये गये आवंटनों से हीं है। फिर भी, वे अपनी योजना के सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं और उन्होंने जो कुछ भी सहायता मांगी है हम ने उस की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है परन्तु वह सहायता वित्तीय आवंटन के अन्दर ही सीमित है।

**श्री रंगा :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि परादीप पत्तन प्रथम श्रेणी के पत्तनों में से एक होगा, इसका वित्तीय उत्तरदायित्व तथा योजना के निष्पादन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार को ही क्यों सौंप दिया गया है और केन्द्रीय सरकार ने उसे अपने हाथों में क्यों नहीं लिया है ?

**श्री राज बहादुर :** सदन को यह ात है कि तीसरी योजना में विकास के लिये मंगलौर और तूतीकोरिन के पत्तनों को केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन सम्मिलित किया गया था। जहां तक परादीप का सम्बन्ध है, उसे एक मध्यवर्ती पत्तन के रूप में सम्मिलित किया गया था, न कि एक बड़े पत्तन के रूप में। राज्य सरकार यह समझती थी कि इस परियोजना विशेष को चलाने के लिए वे कर्मचारियों और धन दोनों ही के रूप में आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था कर सकती है और उन्होंने प्रगति की भी है। इस समय इस परियोजना की यह स्थिति है।

**श्री गारियर :** छोटे पत्तनों के लिये, विशेष रूप से केरल राज्य में, जहां कि पानी सूख गया है अथवा वे उथले गये हैं और जहां पर अब काम चालू नहीं है, निकर्षिगों (ड्रैजर्स) की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या किया है ?

**श्री राज बहादुर :** विभिन्न प्रकार की जो सहायता दी गई है वह विवरण में दिखाई गई है। इसके अतिरिक्त, छोटे पत्तनों के लिये हम ने सर्वेक्षण नौकाओं तथा निकर्षिगों का एक पूल बनाया है। इस के लिए सर्वेक्षण नौकाये प्राप्त हो चुकी हैं और १९६२ में सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था। जिन दो निकर्षिगों के लिए, क्रयादेश भेजे गये थे उनमें से एक के अप्रैल में आने की आशा

है और दूसरे के उसके पश्चात् शीघ्र ही । उन्हें भी इस पत्तन के लिए उपयोग किया जा सकता है। अन्यथा, राज्य सरकार स्वयं भी छोटे निकर्षिगों आदि की व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रही है ।

**Shri Onkar Lal Berwa :** On what basis this classificatin of ports, as major ports and minor ports, is made?

**Shri Raj Bahadur :** This classification is based on the volume of traffic in the ports and their development. Besides major ports there are intermediate ports and minor ones.

**श्री पें० वेंकटा सुब्बया :** केन्द्रीय क्षेत्र में आंध्र प्रदेश के तीन पत्तन, ककिनाड, मछलीपट्टम और कृष्ण पट्टम सम्मिलित किये गये थे । परन्तु तीसरी योजना में योजना के आवंटनों के अधीन एक भी रुपया व्यय नहीं किया गया है । क्यों ? लौह-अयस्क के निर्यात से सम्बन्धित मछलीपट्टम एक महत्वपूर्ण पत्तन है ।

**श्री राज बहादुर :** मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकार द्वारा कुछ योजनायें तैयार की जा रही थीं और गत वर्ष के अन्त तक उन्हें अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका था । यही कारण है कि प्रथम दो वर्षों में इसकी जांच नहीं की जा सकी । मैं आशा करता हूं कि योजना का कार्य शीघ्र आरम्भ हो जायेगा ।

**Shri Tulshidas Jadhav :** In what proportion the expenditure incurred in establishing a port is shared between the State and Central Governments?

**Shri Raj Bahadur:** There is no question of sharing the expenditure between State Government and the Central Government. There are certain schemes which are under the Central sector, as dredging and Survey Organisation for minor ports. The project for Pondicherry port, even being a minor port, is included under the Central Sector. The centre provides to give credit for port projects in Orissa and other States.

**श्रीमती सावित्री निगम :** अन्दमान और निकोबार द्वीप समूहों के पत्तनों की इतनी मन्द प्रगति के क्या कारण हैं ? कुल ४८,००० रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है परन्तु अब तक केवल ६,००० रुपया ही व्यय किया गया है । इसका क्या कारण है ?

**श्री राज बहादुर :** ऐसी सभी योजनाओं में, सर्वेक्षण कार्य में, डिजाइनों और परियोजनाओं के तैयार करने में कुछ न्यूनतम समय लगता है और वह इनका आवश्यक अंग है और इसीलिये प्रथम कुछ वर्षों में कार्य की गति मन्द तो होनी ही है ।

**श्री जोकीम आल्वा :** क्या समुद्रीय राज्यों में, विशेषरूप से मेरे राज्य में, पत्तनों पर होने वाले व्यय पर केन्द्रीय मंत्रालय कड़ी निगाह रखता है ? विवरण से मैं देखता हूं कि भटकल, तादरी, कुमता और बेलेकेरी पर, जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं, बहुत ही कम रुपया व्यय किया गया है । क्या इन पत्तनों के लिये आप अधिक धन राशि आवंटित करते हैं ?

**श्री राज बहादुर :** राज्यों की स्वायत्तता को देखते हुए हम जितनी कड़ी निगरानी कर सकते हैं वह करते हैं ।

## रेलवे दुर्घटनायें

+

*५०६. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने भारतीय रेलवे पर दुर्घटनाओं के न होने देने के लिए कोई विद्युत प्रक्रिया अपनाने की आवश्यकता का हाल में ही अध्ययन किया है तथा अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनके मुख्य विचार तथा सुझाव क्या हैं ; और

(ग) उनके आधार पर सरकार ने क्या निर्णय किए हैं ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) रेल सुरक्षा आयुक्त ने 'रेल सुरक्षा की समस्याओं पर गवेषणा' पर एक टिप्पण पेश किया है और 'सुरक्षा की खोज में' नामक एक पुस्तिका भी प्रकाशित की है ।

(ख) मानवीय भूल चूक के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सुरक्षा के जिन साधनों का विकास हुआ है उनकी ओर उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है जिनमें व्यवहृत विद्युत-विज्ञान की विशेष चर्चा है। उनका मुख्य सुझाव यह है कि सुरक्षा साधनों पर गवेषणा की एक संस्था स्थापित की जाये और गवेषणा के लिये कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक मंत्रणा परिषद् भी बनाई जाये ।

(ग) सुरक्षा साधनों के विकास के लिये लगातार विशेष गवेषणा तथा अध्ययन की आवश्यकता को पूरी तरह समझा जाता है । उसको पूरा करने के लिये नई संस्था बनाने की बजाय यह अधिक अच्छा है कि वर्तमान रेलवे गवेषणा, बनावट तथा मानक संस्था को, सुरक्षा गवेषणा का एक अलग विभाग बना कर, मजबूत किया जाये । अतएव रेलवे गवेषणा केन्द्र, लखनऊ में एक सुरक्षा गवेषणा केन्द्र स्थापित कर दिया गया है ।

**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या मैं जान सकता हूं कि कुंजरू समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने प्रतिशत रेल दुर्घटनाओं का कारण ऐसी प्रक्रिया का न होना बताया है ?

**श्री सें० वें० रामस्वामी :** उन्होंने कहा है कि इस प्रक्रिया के न होने के कारण नहीं बल्कि मानवीय भूल चूक के कारण ७० प्रतिशत दुर्घटनायें होती हैं ।

**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या उन्होंने यह नहीं कहा है कि इस प्रक्रिया के न होने के कारण २० प्रतिशत दुर्घटनायें होती हैं ?

**श्री सें० वें० रामस्वामी :** उन्होंने कहा है कि यदि यह प्रक्रिया अपनाई जाए तो संख्या कम हो सकती है ।

**श्री महेश्वर नायक :** क्या अन्य प्रगतिशील देशों में इस विशेष विद्युत प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है और दुर्घटनायें रोकने में इसकी सफलता प्रमाणित हो चुकी है ; यदि हां, क्या उस अनुभव का इस देश में भी प्रयोग किया जाएगा ?

**श्री सें० वें० रामस्वामी :** अन्य देशों में प्रयोग किये गये हैं। बहुत धन खर्च किया जा रहा है। हम अपने ढंग से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे अपनाने का प्रयास कर रहे हैं।

**श्री भागवत झा आजाद :** भाग (ख) का उत्तर हां में है, कुछ सिफारिशें की गई हैं। हम जानना चाहते हैं कि सिवाय इसके कि वह एक और अनुसन्धान केन्द्र खोलना चाहते हैं रेल दुर्घटनाओं के लिये विद्युत प्रक्रिया के व्यवहृत विज्ञान के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह अलग संगठन नहीं है। यह लखनऊ स्थित वर्तमान रेलवे गवेषणा, बनावट तथा मानक संस्था का ही अंग है।

**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि दूसरी योजना में जिन विद्युत सिगनल इन्टरलार्किंग कामों की स्वीकृति दी गई थी उनमें से अब तक बहुत से पूरे नहीं किये गये हैं यदि हां, तो क्या कारण है और उन्हें कहां तक पूरा किया गया है ?

**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जहां तक संभव हो सका है हमने विभिन्न योजनाओं पर काम किया है। सामग्री के अभाव तथा अन्य कारणों से इसमें रुकावट पड़ गई है लेकिन हम काम को तेज कर रहे हैं तथा पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं।

**Shri Sheo Narain :** Is Government prepared to consult any foreign specialist in this regard ?

**श्री सें० वें० रामस्वामी :** दुर्घटनाओं को रोकने के लिये हम विदेशियों की भी सहायता लेना चाहते हैं।

**महाराजकुमार विजय आनन्द :** मैंने एक बार सरकार से पूछा था कि क्या वह ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये ऐसी एक्सप्रेस और मेल गाड़ियों के आगे आगे अलग इंजन चलाने पर विचार करेगी ?

**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हम ४००० यात्री और मेल तथा एक्सप्रेस गाड़ियां चलाते हैं। यदि प्रत्येक गाड़ी के आगे आगे एक एक अलग इंजन भेजना है तो वह मैं सदन पर छोड़ देता हूं।

**महाराजकुमार विजय आनन्द :** मैंने एक्सप्रैस तथा मेल गाड़ियों का ही उल्लेख किया था ..... **(अन्तर्बाधायें)**

**Shri Rameshwaranand :** Previously the practice in the Railways was that one had to be a fireman for several years before being appointed a driver, what happens now is that persons with little education and little experience are appointed drivers and that is the cause of accidents. I want to know whether the idea is first to appoint firemen and then promote them as drivers on the basis of the old system.

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Shahnawaj Khan) :** The persons who are recruited are first given training irrespective of the fact whether they are educated or not and when they are able to do the drivers work, they are appointed as drivers.

**Mr. Speaker :** Shri A. P. Sharma.

**Shri Kapur Singh :** Do they put fuel or not ?

**Mr. Speaker** : The hon. Member says that in the beginning they be asked to do minor jobs, to put fuel, and then they should be promoted as drivers.

**Shri Kapur Singh** : It has not been answered.

**Shri Rameshwaranand** : Mr. Speaker, my question must be answered.

**Mr. Speaker** : The hon. Minister may give the reply.

**Shri Shahnawaj Khan** : The question of the hon. Member was so lengthy that I could not follow it fully.

**Mr. Speaker** : A question asked by Swamiji cannot be but lengthy.

He says that previously the practice was that the firemen were promoted as drivers. He presumes that the cause of accidents now is direct recruitment and persons having a little knowledge of English take an examination and are appointed drivers. The hon. Member wants to know whether Government, following the old practice, would first appoint them as firemen and then, in stages, promote them as drivers.

**Shri Iyaji** : In political language, first of all the Parliamentary Secretary may be appointed, then Deputy Minister, then Minister of State and then Minister of Cabinet rank.

**Mr. Speaker** : And why not have qualifications for becoming Members ?

**Shri Shahnawaj Khan** : Avenues of promotion are opened even now for those firemen who are fit for promotion according to educational standards.

**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : आपने मेरा नाम लिया था ; मैं अपना प्रश्न तो कर नहीं सका ।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है ; मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

**श्री जोकीम आल्वा** : कृपया मुझे एक अवसर दीजिये । मैं छः बार खड़ा हुआ था ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने अगला प्रश्न ले लिया है । यह जरूरी नहीं कि जो भी सदस्य खड़ा हो उसे अवसर दिया जाए ।

**श्री अ० प्र० शर्मा** : स्वामी जी को उत्तर मिल सके क्या इसलिये मेरा प्रश्न रह जायेगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अफसोस है ।

**श्री जोकीम आल्वा** : इसका सम्बन्ध दुर्घटनाओं से तथा दुर्घटनाओं के प्रति उनके आत्म-तुष्ट दृष्टिकोण से है । दुर्घटनाओं के बारे में प्रश्नों के लिये आपको अवसर देना ही चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति । दुर्घटनाओं पर यहां चर्चा करने का यह समय नहीं है । इसके लिये अन्य कई अवसरों का उपयोग हो सकता है । मैंने अगला प्रश्न पुकारा है ।

### समन्वेषी नलकूप संगठन

***५१०. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समन्वेषी नलकूप संगठन ने समन्वेषण कार्य का कोई विस्तृत कार्यक्रम बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने वर्षों के लिए, किन क्षेत्रों तथा स्थानों के लिए तथा कितनी पूंजी से ; और

(ग) क्या संगठन के कार्यक्रम का हाल में ही समन्वित पुनर्विलोकन किया गया है तथा यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव : (श्री शिन्दे) :** (क) जी हां ।

(ख) समन्वेषी नलकूप संगठन जनवरी, १९५५ से देश के विभिन्न भागों में भूगर्भ जल का समन्वेषण कर रहा है । उसका वर्तमान कार्यक्रम तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक के लिये मंजूर किया जा चुका है । तीसरी योजना की कालावधि में, उसका ३०० समन्वेषी कूप खोदने का लक्ष्य है जिनमें से जनवरी, १९६४ के अन्त तक १७८ कूप आसाम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी बंगाल में खोदे जा चुके हैं ।

तीसरी योजना के कार्य के लिये कुल खर्च लगभग ३ करोड़ १८ लाख रुपये होने का अनुमान है ।

(ग) समन्वेषी नलकूपों के लिए एक अन्तर्विभागीय प्रबन्ध-मण्डल परियोजना के आरम्भ से ही बना दिया गया है । उसका मंडल में इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा भारत के भूभौतिकीय पर्यवेक्षण के प्रतिनिधि हैं और उनके अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर, समन्वेषी नलकूप संगठन, भारत सरकार का सिंचाई सलाहकार और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अन्य प्रतिनिधि हैं । संगठन की प्रगति, कार्यक्रम तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर मण्डल समय समय पर विचार करता है और मंडल द्वारा मंजूर किये गये रूप में तथा उसके निदेशों के अनुसार कार्य सम्पन्न होता है । मंडल में अन्तिम पर्यवेक्षण २४-२-६४ को किया था । मंडल ने देखा कि प्रगति की गति ठीक चल रही है ।

---

## अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

## SHORT NOTICE QUESTION AND ANSWER

**भूतत्वीय नक्शों की चोरी**

\+

**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६.**

**श्री हरि विष्णु कामत :**
**श्री महेश्वर नायक :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री कछवाय :**
**श्री गोकरन प्रसाद :**

**क्या इस्पात खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के कलकत्ता स्थित कार्यालय से भारत-पाकिस्तान और भारत-तिब्बत सीमा से सम्बन्धित बहुत से भूतत्वीय नक्शे, हवाई जहाज से लिए गये फोटो, फोटो से बनाई गई प्रतियां और धरातल सम्बन्धी पत्र गायब हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में जांच की गई है ; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). जी नहीं। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के निदेशक द्वारा १९५९ में नियुक्त की गई एक समिति ने इस आशय के कतिपय आरोपों की छानबीन की थी और यह निष्कर्ष निकला था कि आरोप निराधार थे ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मंत्री महोदय का ध्यान पश्चिम बंगाल विधान सभा की पिछले महीने की दिनांक २४ की कार्यवाही की ओर गया है। जहां इस आशय के आरोप लगाये गये थे तथा वक्तव्य दिये गये थे कि कलकत्ता में भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के कार्यालय से हजारों नक्शे, फोटो, फोटो से बनाई गई प्रतियां और धरातल सम्बन्धी पत्र गायदब हो गये हैं और जब कि मुख्य मंत्री द्वारा भी कोई खंडन नहीं किया गया, जैसा समाचार पत्रों में आया है, क्या सभा यही समझे कि आरोप निराधार हैं ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण के लिये भारत सरकार उत्तरदायी है। हमने इसकी जांच कराई है और यह बिल्कुल निराधार है ।

**श्री हेम बरुआ** : जांच किसने की ? यह १९५९ में .....

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसी बातें उठी थीं, उन्होंने जांच पड़ताल की और इसे निराधार पाया गया ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : २४ फरवरी को—केवल दो सप्ताह पहले—पश्चिम बंगाल विधान सभा में लगाये गये ताजा आरोपों को देखते हुए क्या भारत सरकार इस बारे में आगे जांच करेगी और वक्तव्यों की सत्यता सुनिश्चित करेगी ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : ये आरोप १९५९ में लगाये गये थे। मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने इस मामले को फिर से खड़ा किया है ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंने नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल विधान सभा ने किया है ।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैंने समझा था कि हाल की कुछ घटनाओं के बारे में कुछ आरोप हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। केवल यही एक आरोप था। उसकी पूरी पूरी जांच की गई है और सच तो यह है कि ये आरोप एक निराश अधिकारी ने लगाये थे जिसने कई तरह की याचिकायें लिखी थीं। उसके विरुद्ध जांच की गई है और उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसने एक याचिका लेख प्राप्त कर लिया है जिसकी सुनवाई आज पंजाब उच्च न्यायालय में होने वाली है ।

**श्री हरि विष्णु कामत** : उन्होंने १९५९ की घटनाओं का उल्लेख किया है। मैं इस वर्ष २४ फरवरी को, अर्थात् दो ही सप्ताह पहले, पश्चिम बंगाल विधान सभा में दिये गये वक्तयों की बात कर रहा हूं। आज १० मार्च है ।

**अध्यक्ष महोदय** : विधान सभा में भी सका उल्लेख हुआ था। क्या सुनिश्चित किया गया, किससे इन्कार किया गया या नहीं किया गया—यह भी पुरानी घटना के बारे में था और हाल ही में कुछ गायब होने के बारे में नहीं ।

**श्री हरि विष्णु कामत :** उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया था ।

**अध्यक्ष महोदय :** हाल ही में नक्शों का गायब हो जाना नहीं । इसका सम्बन्ध केवल पुरानी घटना से था । उन्होंने यही उत्तर दिया है ; मैं समझता हूं कि मंत्री जी का यही अभिप्राय है ।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जी हां ।

**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसी सामग्री की पूरी सूची रखी गई थी और यदि हां, तो सारी सूचना का पिछली बार कब निरीक्षण किया गया था और क्या परिणाम निकला था ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** ब्यौरा रखा जाता है परन्तु मैं यह नहीं जानता कि कब कब उसका सत्यापन होता है । परन्तु इस आरोप का कोई भी आधार नहीं है कि नक्शे या दस्तावेज गुम हैं ।

**Shri Kachhavaiya :** The number of Pakistani spies is increasing in our country. I want to know whether any spies had a hand in it and if so, the action being taken to prevent such moves.

**Mr. Speaker :** When nothing has happened, how there can be any link

**श्री हेम बरुआ :** जैसाकि मुझे समझ आया है माननीय मंत्री ने १९५९ की घटना का उल्लेख किया है । परन्तु ऐसे नये आरोप हैं कि इस विशेष कार्यालय से नक्शे चोरी किये गये हैं और इस घटना विशेष में कलकत्ता स्थित पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त के कार्यालय का हाथ होने के आरोप हैं । इसलिए हम इतने उत्तेजित हैं और वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं ।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मैंने किन्हीं ताजा या हाल ही के आरोपों के बारे में नहीं सुना है । यदि माननीय सदस्य कोई तथ्य जानते हैं तो उन्हें मुझे दे दें और मैं अवश्य ही उनकी जांच करूंगा ।

**श्री पालीवाल :** क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जांच के बाद सामान्य जानकारी के लिये सूचना दी गई थी कि आरोप निर्मूल थे ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** यह १९६० में संसद में एक प्रश्न का विषय था और मामला स्पष्ट कर दिया गया था ।

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या सरकार का ध्यान हाल ही की एक घटना की ओर गया है कि मासूद नामक एक व्यक्ति का भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण में फोटोग्राफी का काम था और वही ये सारी चीजें करता था और उसका इससे संबंध था तथा क्या १९५९ की जांच इस आरोप के बारे में कराई गई थी या पहले के आरोप के बारे में ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जहां तक उन तथ्यों का संबंध है जो मेरे पास हैं, नक्शा या दस्तावेजों के गायब होने के बारे में हाल ही में कोई ताजा आरोप नहीं लगाये गये हैं । ऐसा केवल १९५९ में हुआ था और उसकी जांच की गई है । हाल ही में भूतत्वीय सर्वेक्षण में हुई किसी चीज के बारे में अग्रेतर तथ्यों के बिना कोई नई जांच नहीं की जा सकती ।

**श्री जोकीम आल्वा :** क्या नक्शों की काफी और कड़ी निगरानी होती है और यदि सुरक्षा उपाय वे नहीं कर सकते तो क्या उन्होंने इसके लिये गृह-कार्य मंत्रालय से सहायता मांगी है ?

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : सुरक्षा मामलों के बारे में हमने वर्गीकरण किया हुआ है और जब ऐसे मामले आते हैं तो सुरक्षा के उपाय भी किये जाते हैं ।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मंत्री महोदय ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या पश्चिमी बंगाल परिषद में लगाये गये विशेष आरोप की जांच की गई है और उसे गलत पाया गया है ।

**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मेरा विचार है, जैसा कि अल्प सूचना प्रश्न में कहा गया है, कि पश्चिम बंगाल विधान परिषद में भी इसी घटना का उल्लेख किया गया है और उसकी जांच हो चुकी है क्योंकि इस बारे में मैंने किन्हीं नये आरोपों के बारे में नहीं सुना है ।

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर
# WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

## कृषि उत्पादन बोर्ड

*५११. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **खान तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि उत्पादन बोर्ड ने निर्णय किया है कि केन्द्रीय सरकार को चावल तथा गेंहूं की सघन खेती के लिए उसी आधार पर वित्तीय सहायता देनी चाहिये जिस आधार पर १९६४–६५ में रूई तथा तिलहन के मामले में सहायता दी गई है ;

(ख) इस सहायता कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं, कितनी सहायता दी जायेगी तथा यह धन किस तरह व्यय किया जायेगा ; और

(ग) चावल तथा धान की सकन खेती के लिए वित्तीय सहायता किन राज्यों को दी जानी हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) सुधरे हुये बीजों, फास्फेट के उर्वरकों, कृषि औजारों आदि के लिये योजना में उपलब्ध सामान्य राजसहायता के इलावा अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग के लिये केन्द्र द्वारा ५० प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जायेगी ।

(ग) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २४८३/६४ ।]**

## खाद्यान्न लाइसेन्स आदेश

*५१२. **श्री हिम्मतसिंहका** :
**श्रीमती सावित्री निगम** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार आदर्श खाद्यान्न लाइसेंस जारी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) खाद्यान्न विक्रेता लाइसेंस देने सम्बंधी आदेश पहले ही सब राज्यों में लागू हैं। व्यापारियों पर कड़ा नियंत्रण करने और सारे देश में विक्रेताओं के लाइसेंस की एक सी शर्तें करने के लिये एक आदर्श लाइसेंस देने के आदेश का प्रारूप तैयार किया गया था और राज्य सरकारों को इस सुझाव के साथ भेजा गया था कि उनके वर्तमान आदेश को आदर्श प्रारूप के अनुसार सुधार लिया जाये।

(ख) इस नवीनतम लाइसेंस देने के आदर्श आदेश के प्रारूप की नई विशेषतायें ये हैं :

(१) ५०० रु० या १००० रु० की जमानत की व्यवस्था जो विक्रय पर निर्भर है जो लाइसेंस की शर्तों या कोई नियामक आदेश तोड़ने पर जब्त कर ली जायेगी।

(२) लाइसेंसधारियों द्वारा घोषित किये गये गोदामों का रख रखाव ;

(३) दुकानों पर मूल्य प्रदर्शित करना केवल थोक विक्रेताओं के पास रजिस्टर्ड परचून विक्रेताओं को बिक्री और वह भी सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार।

(४) मंडी या मार्केट के अधिकारी की हिदायतों का पालन किया जाना और जहां विनिमित बाजार न हो वहां सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य निकायों के आदेश मानना; और

(५) किसी लाइसेंसधारी द्वारा किसी इलाके में सरकार या राज्य सरकार द्वारा कानून के अधीन प्राप्त शक्ति द्वारा निर्धारित अनाज के दाम से अधिक दाम लेने की मनाही।

## राज्य वित्त निगम

*५१३. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य वित्त निगम अधिनियम के अधीन स्थापित राज्य वित्त निगम किसी भी राज्य में सड़क परिवहन उद्योग की सहायता के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करने में असमर्थ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस उद्योग के वित्त पोषण के लिए इनको सक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी राज्य वित्त निगमों आदि से एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## चावल के मूल्य

*५१४. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :
**डा० रानेन सेन** :
**श्री श्रीनारायण दास** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चावल के मूल्य विशेषतया चावल उगाने वाले राज्यों में बहुत बढ़ गये हैं यद्यपि बाजार में नया चावल उपलब्ध हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) १९६१–६२ में तथा १९६२–६३ के इसी मौसम में चावल के क्या मूल्य थे ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) से (ग) देश में चावल के मूल्य आज १९६१–६२ और १९६२–६३ के मौसमों की तत्सम्बंधी अवधि के मूल्य से अधिक हैं। तथापि, अक्तूबर १९६३ के मध्य में वे घटने आरम्भ हो गये थे। चावल के थोक मूल्यों का अखिल भारतीय देशनांक जो १९ अक्तूबर, १९६३ का १३३.१ था फरवरी १९६४ के तीसरे सप्ताह तक घट कर १२०.९ हो गया है। फरवरी १९६३ के लिये यह देशनांक १०८.५ था और फरवरी १९६२ के लिये १०२.२ ।

## ग्रामीण सहकारी बैंकों का पुनर्विलोकन

*५१५. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहाकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय सहकारी बैंकों के सम्बंध में हाल में किए गये पुनर्विलोकन के समान ही ग्रामीण सहकारी बैंकों का भी पुनर्विलोकन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## जिला सहकारी विपणन समितियां

*५१६. **श्री प० वेंकटासुब्बैया** : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृ क गे कि :

(क) क्या जिला सहकारी विपणन समितियों द्वारा प्राथमिक समितियों को पारेषण एवं ऋण सुविधायें दिये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है तथा बीज और उर्वरक लिए किसानों को किस सीमा तक सुविधायें दी जायेंगी ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) और (ख). ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, कुछ के ऐसे राज्यों में जहां जिला सहकारी विपणन समितियों पारेषण पर उत्पादन सम्बंधी आवश्यक वस्तुयें देने के लिये बनाई गई हैं प्राथमिक समितियों की सहायता करती हैं। आन्ध्र प्रदेश में प्राथमिक समितियों को इस समय यह सुविधा नहीं मिलती। तथापि, राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि यह सुविधा प्राथमिक विपणन समितियों को भी दी जाए और उन्हें ऋण पर उत्पादकों को उर्वरक देने के लिये भी कहा जाए ।

## संयुक्त अरब गणराज्य और भारत के बीच समुद्रीय सेवा

*५१७. श्री महेश्वर नायक :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कजरोलकर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री कोया :

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जनवरी के आरम्भ में काहिरा में संयुक्त अरब गणराज्य तथा भारत के बीच नियमित समुद्रीय सेवा स्थापित करने के बारे में कोई करार हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २४८४/६४]

## मनीआर्डर फार्म

*५१८. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री हेमराज :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीआर्डर फार्मों को बेचने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो फार्म का क्या मूल्य निश्चित किया गया है ; और

(ग) विक्रय की तिथि के बाद कब तक फार्म का प्रयोग हो सकेगा ?

डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती): (क) और (ख). १ मार्च, १९६४ से अन्तर्देशीय मनीआर्डर फार्म ३ नये पैसे प्रति की दर से बेचे जा रहे हैं । इस तरह से जो मूल्य मिलता रहा है उसकी कमीशन में तत्स्थानी छूट देकर मनीआर्डर कराते समय भेजने वाले को प्रतिपूर्ति कर दी जाती है ।

(ग) कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है ।

## खाद्यान्नों के अधिकतम मूल्य

*५१९. श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्यान्नों के अधिकतम मूल्य निश्चित करने के संबंध में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक निर्णय की घोषणा हो जायेगी ; और

(ग) इस निर्णय की क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) से (ग). मामला सरकार के विचाराधीन है और अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

## खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन

*५२०. श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री दलजीत सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २३ फरवरी, १९६४ को नई दिल्ली में राज्य खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों के मूल्य स्थिर करने के लिए सम्मेलन में क्या निर्णय किये गये; और

(ग) सम्मेलन में अन्य किन विषयों पर चर्चा हुई थी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) जी हां ।

(ख) २ मार्च, १९६४ को खाद्य सम्बंधी मामलों पर वाद-विवाद के दौरान खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा चर्चा के सामान्य परिणाम सभा में बता दिये गये हैं । खाद्यान्नों के मूल्यों की स्थिरता के बारे में किये गये निर्णय निम्नलिखित थे :—

(१) व्यापारियों पर नियंत्रण सुदृढ़ करना और देश भर में व्यापारियों के लाइसेंसों को न्यूनाधिक एकरूप परिस्थितियां उत्पन्न करना ; और

(२) लाइसेंस देने तथा नियंत्रण सम्बंधी आदेशों के उल्लंघन के मामलों में तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये राज्यों में संगठनात्मक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना ।

(ग) जिन अन्य विषयों पर चर्चा की गई थी वे निम्नलिखित हैं :—

(१) चावल मिलों को राज्य या सहकारी नियंत्रण में लाने का प्रश्न ;

(२) चावल की प्राप्ति ; और

(३) मितोपयोगी उपाय करना तथा दावतों, पार्टियों और सामाजिक समारोहों में आने वाले लोगों की संख्या सीमित करना ।

## विमान सेवायें

*५२१. श्री यशपाल सिंह : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में देश में चालू विभिन्न विमान सेवाओं ने कितनी विमान सेवायें बन्द कर दी हैं ;

(ख) ये कब तक बन्द रहेंगी ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इनके कब तक पुनः चालू कर दिये जाने की संभावना है ?

परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) से (घ). में एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २४८५/६४ ।]

## Ex-Servicemen in P. & T.

1001. **Shri Hem Raj** : Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(a) whether the ex-servicemen appointed on postal allowance on the posts of Branch Post-masters in the postal department are not given temporary increase in the pension :

(b) whether it is also a fact that the ex-employees of education and postal departments appointed on these posts are given their full pension along with the full postal allowance ; and

(c) if so, the reasons for this discrimination ?

**The Deputy Minister in the Department of Posts & Telegraphs (Shri Bhagavati)** : (a) Ex-servicemen appointed on postal allowance on posts of Branch Post-masters are not given temporary increase in pension.

(b) Yes, generally so far as postal pensioners are concerned. As regards the pensioners of education department the pension is authorised by the States concerned and no information is available.

(c) The matter is under review.

## पोस्टल डिवीजन

१००२. श्री हेम राज : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार, पोस्टल डिवीजनों की क्या संख्या है ;

(ख) ऐसे डिवीजनो की क्या संख्या है जिनमें डिवीजनल डाक समितिया स्थापित की गयी हैं और उन्होंने कार्य आरम्भ कर दिया है ; और

(ग) क्या इन समितियों ने कोई सिफारिशें की हैं और यदि हां, तो राज्यवार, उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २४८६ / ६४ ]

**बस्तर में चावल पर शुल्क**

१००३. **श्री लखमू भवानी :**
**श्री वाडीवा :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बस्तर में चावल पर शुल्क लगाये जाने के आदेश दिये गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) जब पहले मध्य प्रदेश में शुल्क लगाया गया था तो बस्तर को छूट देने के क्या कारण थे ;

(ग) मध्य प्रदेश के अन्य जिलों अर्थात् रायपुर और दुर्ग की तुलना में बस्तर जिले में निम्न शुल्क समाहार दर निर्धारित करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) जगदलपुर में रेलवे आउट-एजेंसी को "रेलहैड" न मानने के क्या कारण हैं जब कि उड़ीसा के कोरापुट जिले में उसको "रेलहैड" माना गया है और वहां पर "रेलहैड" के लिये समाहार दर निर्धारित किये गये हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) जी, हां। वर्ष १९६२-६३ में बताया गया था कि बस्तर जिले में चावल की फसल बड़ी अच्छी हुई है और यह भी बताया गया था कि उबले चावल के उत्पादन के लिये खाडवान धान, जो अधिकांशत: बस्तर जिले में पैदा होता है, उपयुक्त है और बस्तर जिले में उत्पादित उबले चावल की महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में कोई मांग नहीं है ।

(ख) आरम्भ में, शुल्क आदेश नवम्बर, १९६० में मध्य प्रदेश में केवल छ: जिलों में लागू किये गये थे। अगले वर्ष इसमें बस्तर जिले को भी शामिल करने का निश्चय किया गया क्यों कि इसको फालतू वाला जिला बताया गया ।

(ग) चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश में "रेलहैड" और "गैर-रेलहैड" केन्द्रों के लिये चावल के विभिन्न मूल्य निर्धारित किये गये हैं। बस्तर जिले में सभी केन्द्र "गैर-रेलहैड" केन्द्र हैं ; इन केन्द्रों के लिये अन्य जिलों में "गैर-रेलहैड" केन्द्रों की तरह ही मूल्य निर्धारित किए गए।

(घ) उड़ीसा में पहले केन्द्र की ओर से ऐच्छिक आधार पर चावल का समाहार किया गया। अत: उड़ीसा के "गैर-रेलहैड" केन्द्रों में सरकार को यह विकल्प था कि वह इन केन्द्रों में चावल का समाहार करे या न करे। अत: उड़ीसा में समाहार के लिये "गैर-रेलहैड" केन्द्रों के लिये कोई पृथक मूल्य निर्धारित नहीं किए गए हैं ।

चावल (मध्य प्रदेश) मूल्य नियंत्रण आदेश में "रेलहैड" और "गैर-रेलहैड" केन्द्रों के लिये भिन्न मूल्य निर्धारित किए गये हैं। जगदलपुर आउट-एजेन्सी "गैर-रेलहैड" केन्द्र है।

## Aerodrome at Azamgarh

**1004. Shri Vishram Prasad :** Will the Minister of **Transport** be pleased to state :—

(a) whether it is a fact that an aerodrome is undercontruction at Azamgarh, Uttar Pradesh ;

(b) if so, when it is expected to be completed; and

(c) the total expenditure likely to be involved ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Transport (Shri Ahmed Mohiuddin) :** (a) No. Sir.

(b) and (c). Do not arise.

## ग्रामीण गृहणियों का कार्य-भार

**१००५. श्री श्रीनारायण दास :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १७ दिसम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १७७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण गृहिणियों के कार्य-भार को हल्का करने की योजना के ब्योरे तब से तैयार कर लिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० २४८७/६४]

## भाण्डागार

**१००६. श्री यशपाल सिंह :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगमों द्वारा चलाये जा रहे भाण्डागारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा संधारित अनाज की खत्तियों की संख्या आवश्यकता को पूरा करने के लिये अपर्याप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कदम उठायेगी ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## असैनिक इंजीनियर

**१००७. श्रीमती सावित्री निगम :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असैनिक इंजीनियरों, ओवरसियरों और ड्राफ्टसमैनों की कमी से सड़क-निर्माण कार्यक्रम में बाधा हो रही है, ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां, कुछ हद तक।

(ख) नए इंजीनियरिंग कालिज और पोलीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं और वर्तमान तकनीकी संस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है।

## भूमि का सर्वेक्षण

१००८. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिन्होंने सामान्य रूप से भूमि का और खेती का लिये उपयुक्त क्षेत्रों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है ;

(ख) बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितना उपबन्ध किया गया है ; और

(ग) अब तक कितना धन व्यय किया गया है और आज तक कुल कितनी भूमि का कृष्यकरण किया गया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जावेगी।

## विदेशी तार

१००९. **श्री यशपाल सिंह** : क्या डाक और तार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२ और १९६३ में दिल्ली में विभिन्न दूतावासों के लिये आये कितने विदेशी तारों को गलत व्यक्तियों को दिया गया ;

(ख) क्या वर्ष १९६२ और १९६३ में नई दिल्ली के केन्द्रीय तार घर में विदेशी दूतावासों और वैदेशिक कार्यों के लिये आये संदेशों के गलत डिलीवर किये जाने अथवा उनमें अनधिकृत रूप से परिवर्तन किये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) जी, कोई नहीं।

(ख) अनधिकृत परिवर्तन के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली। वर्ष १९६३ में अन्तर्देशीय तारों के गलत डिलीवर किये जाने के बारे में केवल दो शिकायतें प्राप्त हुई।

(ग) अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गयी है।

### नैनी स्टेशन पर माल डिब्बे में आग लगना

१०१०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ४ जनवरी, १९६४ को इलाहाबाद सेक्शन में नैनी स्टेशन पर एक माल डिब्बे में आग लग गयी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना में जन तथा सम्पत्ति की किनी क्षति हुई ; और

(ग) यह आग किन परिस्थितियों में लगी ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां। लेकिन ३-१-१९६४ को।

(ख) एक पोर्टर की मृत्यु हो गयी। इसमें शामिल रेलवे सम्पत्ति और लोक-सम्पत्ति का मूल्य क्रमशः २३० रुपये और ७०० रुपये आंका गया है।

(ग) रेलवे प्रशासन अफसरों के जांच प्रतिवेदन पर विचार कर रहा है।

### त्रिपुरा को सिल्चर से मिलाना

१०११. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा को सिल्चर से बरास्ता बदरपुर और करीमगंज मिलाने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति की गयी है ; और

(ख) इसके कब तक पूरा होने की संभावना है।

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). त्रिपुरा को सिल्चर से बारास्ता करीमगंज और बदरपुर होकर मिलाने वाली कल्कलीघाट-धर्मनगर लाइन (३१.३४ किलोमीटर) का निर्माण लगभग पूरा हो गया है और इसके मार्च, १९६४ के मध्य तक यातायात के लिये खुल जाने की सम्भावना है।

### एयर इण्डिया के कर्मचारियों को बोनस

१०१२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इंडिया के कर्मचारियों को पहली बार वर्ष १९६२-६३ का लाभांश बोनस दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो मंजूर किये गये भुगतान के क्या ब्योरे हैं ; और

(ग) क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के कर्मचारियों ने भी ऐसी ी है ?

**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)**: (क) और (ख). वायु निगम कर्मचारी संघ की वर्ष १९६२-६३ के लिये एयर इंडिया के कर्मचारियों को बोनस दिये जाने की मांग को महाराष्ट्र सरकार के समझौता अधिकारी को निर्देशित किया गया था जिन्होंने समझौता कार्यवाही के विफल होने की सूचना दी। तथापि, मामला विचाराधीन है।

(ग) जी, नहीं।

**Delay in Delivery of M.O's**

**1013. Shri Vishram Prasad**: Will the Minister of **Posts and Telegraphs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is great delay in the delivery of money-orders in the Post Offices in the rural areas of district Azamgarh (U.P.) as a result of which people do not get money in time ; and

(b) if so, that reasons therefor and the step sbeing taken by Government to remove the inconvenience to people ?

**The Deputy Minister in the Department of Posts & Telegraphs (Shri Bhagavati)**: (a) No Sir, not at present.

(b) Sometime past there were some complaints of delays due to inadequate supply of funds but that has now been removed.

**जगाधरी रेलवे स्टेशन**

१०१४. **श्री दे० द० पुरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे पर जगाधरी में मौजूदा रेलवे स्टेशन को एक नये स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या नये स्थान का चयन कर लिया गया है ; और

(ग) नया रेलवे स्टेशन कब तक तैयार हो जायेगा ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

**कोयले पर विलम्ब शुल्क**

१०१५. **श्री महेश्वर नायक :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री मोहन स्वरूप :**
**श्री ओंकार लाल बेरवा :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री कछवाय :**
**श्री रामेश्वरानन्द :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे ने दिल्ली स्टेट सेंट्रल कोआपरेटिव स्टोर द्वारा, आयात किये कोयले पर, जो कि स्टोर और दिल्ली प्रशासन के संभरण निदेशालय के बीच चल रहे विवाद के कारण कई सप्ताहों से अजमेरीगेट की साइडिंग पर पड़ा है, विलम्ब शुल्क माफ कर दिया है जो कि कई हजार रुपये बैठता है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ८७७० रुपये की उतराई छोड़ी गयी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें वे परिस्थितियां बताई गयी हैं जिनमें उतराई छोड़ी गई है :—

**विवरण**

दिल्ली स्टेट सेंट्रल को-आपरेटिव स्टोर, दिल्ली को भेजे गये हार्ड कोक के ३१ माल-डिब्बे २५ और २६ दिसम्बर, १९६३ को खाली करने के लिये नई दिल्ली मिनरल साइडिंग पर लाये गये। इन माल-डिब्बों को स्टोर द्वारा विभिन्न समय पर खाली किया गया। इस पर हुए १२४.३० रुपये विलम्ब-शुल्क के रूप में पूरे-पूरे वसूल किये गये।

तथापि, क्योंकि कोक की किस्म के बारे में विवाद था, असैनिक संभरण निदेशक ने तब तक माल उठाने की अनुमति नहीं दी जब तक कि कोयला नियंत्रक का एक प्रतिनिधि उसकी जांच न कर ले। इतने समय में, असैनिक संभरण अधिकारियों ने कोयला नियंत्रक कलकत्ता से हार्ड कोक की श्रेणी के बारे में इसका निरीक्षण करने के लिये एक प्रविधज्ञ को भेजने का अनुरोध किया। अथक प्रयत्नों के बावजूद ११-१-१९६४ से पूर्व इसका निरीक्षण नहीं किया जा सका।

१३ जनवरी, १९६४ को दिल्ली स्टेट कोआपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड ने दिल्ली के डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेंट को अभ्यावेदन किया कि उनको उतराई शुल्क की छूट देकर, जो कि उनकी बिना गल्ती के पड़ा है, कोयला दिया जाए। इस प्रार्थना का असैनिक संभरण निदेशक ने भी यह कह कर समर्थन किया कि यह उतराई शुल्क कोआपरेटिव स्टोर के काबू के बाहर के कारणों से हुआ और इसमें उनका दोष नहीं है। रासायनिक विश्लेषण से पता चला कि हार्ड कोक प्रथम श्रेणी का नहीं है।

इस प्रार्थना की उचितता को ध्यान में रखकर ३१ वैगन हार्ड कोक की डिलीवरी बिना उतराई शुल्क के दी गई।

**मिट्टी का सर्वेक्षण**

**१०१६. श्री हेमराज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा से लद्दाख तक हिमालय क्षेत्र की भिन्न प्रकार की मिट्टी का सर्वेक्षण कर के लिये कोई संगठन है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार एक ऐसा संगठन स्थापित करेगी और इसका केन्द्र कहां स्थापित किया जायेगा ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) मुख्यत बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं के जलगत स्थानों में, जो हिमालय क्षेत्र में भी हैं, मिट्टी सर्वेक्षण कार्य करने के लिये भारत सरकार का एक अखिल भारत मिट्टी तथा भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन है। इसके अतिरिक्त पंजाब और उत्तर प्रदेश की सरकारों और हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने भी अपने क्षेत्रों के लिये मिट्टी सर्वेक्षण संगठन स्थापित किये हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## पंजाब में टेलीफोन एक्सचेंज

१०१७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **डाक और तार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में किसी मौजूदा टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित एक्सचेंज बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या नंगल एक्सचेंज को भी स्वचालित बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो अगले दो वर्षों में इन एक्सचेंजों से कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिये जायेंगे ?

**डाक और तार विभाग में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) जी, हां। निम्नलिखित एक्सचेंजों को स्वचालित बनाया जायेगा :

१. चंडीगढ़ ।

२. पटियाला ।

३. अम्बाला छावनी ।

४. लुधियाना ।

५. अम्बाला सिटी ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यद्यपि अगले दो वर्षों में किसी भी मौजूदा एक्सचेंज को स्वचालित नहीं बनाया जायेगा, अगले दो वर्षों में मंजूर किये जाने वाले कनेक्शनों की संख्या निम्न प्रकार है :

| | |
|---|---|
| चंडीगढ़ . | ५०० |
| पटियाला . | १०० |
| अम्बाला छावनी . | १०० |
| अम्बाला शहर | ५० |
| लुधियाना . . . | ३५० |

## Road Accidents in Delhi

**1018. Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of **Transport** be Pleased to state :

(a) the number of road accidents in Delhi during 1963 ;

(b) the number of persons killed in those accidents ;

(c) whether there has been any increase in the number of accidents as compared to previous years ; and

(d) if so, the steps Government propose to take to improve the situation ?

**The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) :** (a) 7199.

(b) 254.

(c) The number of road accidents during 1963 was less than that in 1962.

(d) The following measures have been taken by the Delhi Administration to keep the incidence of road accidents under check :—

(*i*) Traffic rules and regulations, specially those in regard to over-speeding are being strictly enforced.

(*ii*) Road markings and erection of cautionary road signals on dangerous inter-sections have been arranged.

(*iii*) Safety weeks have been organised to inculcate road sense in the general public. A special traffic drive has also been organised for this purpose. Pamphlets have also been prepared and distributed to educate the road users.

(*iv*) Cinema slides about road safety are being shown in a number of cinema houses in Delhi.

(*v*) One Sub-Inspector has been specially detailed to educate school children. Films on traffic problems were also shown in the various schools.

(*vi*) Instructions are given to drivers of heavy transport vehicles (including D.T.U. bus drivers) in traffic rules.

(*vii*) Construction of over-bridges at level crossings and widening of some of the inter-sections to ease traffic congestion are under consideration.

(*viii*) The plan for the development of Delhi City and its suburbs, included in the Master Plan, has been so drawn up that the rapidly expending population and other factors will not lead to traffic hazards in the future.

## भांडागार

१०१६. **श्री उमानाथ :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २३ जनवरी, १९६४ को मद्रास विधान सभा द्वारा पारित एक सरकारी संकल्प की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित भांडागारों को अधिनियम में निर्दिष्ट वस्तुओं के अतिरिक्त वस्तुएं रखने के लिये संसद् विधान बनाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि कई अन्य राज्यों ने भी केन्द्र से ऐसी आवश्यकता पर जोर दिया है;

(ग) यदि नहीं, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं और उन्होंने क्या विचार व्यक्त किये हैं; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

**[illegible] स) :** (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). संकल्प हमारे कहने पर पास किये जाते हैं और किये जा रहे हैं । ये इसलिये आवश्यक है कि संसद् भाण्डागार निगमों को उन वस्तुओं के अतिरिक्त, जिनके बारे में संसद् को संविधान की सत्रहवीं अनुसूची में सूची तीन की मद संख्या ३३ के अन्तर्गत कानून बनाने का अधिकार है, वस्तुओं को रखने के अधिकार देने का कानून पास कर सके । क्योंकि तम्बाकू, लाख, ऊन आदि वस्तुएं इस में शामिल

करने के लिये लगातार मांग की गयी है, यह महसूस किया गया कि हमें इन निगमों के कार्य-क्षेत्र को बढ़ाना चाहिये। राज्य विधान मंडलों द्वारा इन संकल्पों के पारित किये जाने पर सरकार इस बारे में संसद् में एक विधेयक उपस्थापित करेगी।

## भूमि का कटाव

१०२०. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश अनुसंधानकर्ताओं के एक दल ने मिट्टी पर रबड़ की परत बना कर भूमि के कटाव को रोकने का एक तरीका निकाला है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उपरोक्त तरीके पर प्रयोग करने का विचार है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) ४ जनवरी, १९६४ के 'टाइम्स आफ इण्डिया' (दिल्ली संस्करण) में जो कुछ समाचार छपा है, इसके अतिरिक्त भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। सरकार ने लिट्रेचर मंगाया है और उसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) इस समय कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

## पंचायती राज अनुसन्धान परियोजना

१०२१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन की पंचायती राज अनुसन्धान परियोजना द्वारा तैयार किये गये पत्र की जांच कर ली है;

(ख) प्रतिवेदन में बताई गई अनियमितताओं को ठीक करने और कार्यक्रम और विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को वस्तु स्थिति के अनुकूल बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) पंचायती राज के कार्य में पिछले चंद वर्षों में जिन त्रुटियों का पता लगा है उनको दूर करने के लिये विभाग ने जो सुझाव दिये हैं क्या उन्हें स्वीकार्य समझा गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार निकट भविष्य में आवश्यक परिवर्तन लाना चाहती है ?

**सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). प्रतिवेदन राजस्थान के एक जिले में किये गये अनुसन्धान अध्ययन पर आधारित है। प्रतिवेदन ने राजस्थान में पंचायती राज में कुछ प्रवृत्तियों को दर्शाया है और कुछ सिफारिशें भी की हैं। इन में से बहुत सी सिफारिशें, न्याय पंचायतें, ग्राम सभा, आय-व्ययक और लेखा तैयार करने का प्रक्रिया और पंचायती राज के संसाधनों पर भारत सरकार द्वारा स्थापित किये गये अध्ययन दलों की सिफारिशों से मिलती जुलती हैं।



2659(ai)LSD—4

राजस्थान में पंचायती राज पर एक अध्ययन दल, जिसमें संसद् और राज्य विधान सभा के सदस्य, पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधि और कुछ सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, और जिसे राज्य सरकार ने स्थापित किया था, अब राज्य में पंचायती राज के विभिन्न पहलुओं का व्यापक अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन दल अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप देते समय अनुसन्धान अध्ययन की बातों और सिफारिशों को ध्यान में रखेगा।

## धनबाद में ऊपरी पुल

**१०२२. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२ में रेलवे स्टेशन से थोड़े फासले पर बिहार में धनबाद के जिला नगर में प्रवेश के लिये चौकीदार वाले फाटक पर ऊपरी पुल निर्माण करने का निर्णय किया गया था;

(ख) क्या १९६२ के आरम्भ में इस फाटक पर एक गम्भीर दुर्घटना हुई जिसके परिणामस्वरूप बहुत से व्यक्ति मारे गये और अनेकों को चोट आई और जनता में बड़ा भय फैल गया; और

(ग) ऊपरी पुल की योजना का कितना कार्य पूरा हो गया है और इसके लिये कितना धन मंजूर किया गया है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी, नहीं। सड़क ऊपरी पुल बनाने का प्रस्ताव १९६१ से बिहार राज्य सरकार के विचाराधीन रहा है।

(ख) एक दुर्घटना २३-४-१९६२ को हुई जिसके फलस्वरूप १९ व्यक्ति मारे गये और २७ व्यक्ति घायल हुए।

(ग) बिहार राज्य सरकार के इंजीनियरों और रेलवे के इंजीनियरों के बीच संयुक्त बैठक के पश्चात्, पुल के लिए एक विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है और ५-२-६४ को राज्य सरकार को उसकी स्वीकृति के लिए भेज दी गई है, जिसका उत्तर नहीं आया है। इस कार्य को रेलवे के कामों के कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है और ज्यों ही राज्य सरकार योजना को मंजूर कर लेगी और लागत के अपने भाग का धन दे देगी यह कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

## Zonal and Regional Committees

**1023. Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the principles being followed for the formation of Zonal and Regional Committees ; and

(b) whether it is fact that while forming these Committees, Government also takes into consideration the question of giving representation to the Members of Lok Sabha and Rajya Sabha ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) :** (a) and (b). A statment is attached. [*Placed in Library. Please See No. L.T.*—2488/64.]

## Broad-Gauge Lines in North Bihar

**1024. Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) whether Government propose to lay braod guage lines in North Bihar after constructing the Mokameh bridge (Rajendra Bridge) ; and

(b) If so, the names of districts likely to be provided with broad gauge lines and by when ?

**The Deputy Minister in Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy)** : (a) No.

(b) Does not arise.

## अलेग्जेन्ड्रा गोदी बम्बई

**१०२५. श्री राम हरख यादव** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ११ फरवरी, १९६४ को द्वार पर टूट फूट के कारण बम्बई अलेग्जेंड्रा गोदी को जहाजों का जाना बिलकुल बन्द हो गया ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण है ; और

(ग) कितना व्यापार बन्द हुआ और यात्रियों को कितनी असुविधा पहुंची ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) अलेग्जेंड्रा गोदी बम्बई के 'आउटर लॉक गेट्स 'के मरम्मत के सिलसिले में, 'आउटर लॉक गेट' के पश्चिमी भाग को कुछ ऊंचा कर ११ फरवरी, १९६४ को सवेरे अस्थिर क्रेन से बांध दिया गया। इस का अभिप्राय जहाजों को ह्यूज ड्राई डॉक की ओर रस्सों से खेंचना था। उस समय वहां पर दो रस्से और एक बर्थिंग मास्टर उपस्थित थे। सवेरे ९ बज कर १५ मिनट पर ज्योंही बाह्य द्वार 'इन्नर लॉक गेट्स' तक पहुंचा ही था कि उसी समय जोड़ने वाले बक्कल्स (रोटल स्क्रूज़) जो तारों से जुड़े हुए थे, टूट गये और द्वार गोदी के पानी में दब गया तथा अस्थिर क्रेन और गोदी स्थित दीवार टूट गई। इस संघर्ष के कारण क्रेन कई जगह से टूट गया। इस दुर्घटना के पश्चात् इस अस्थिर क्रेन को रस्सों की सहायता से दरवाजों से बाहर खेंच लिया गया।

ड्राई डाक कर्मचारी वर्ग के एक सदस्य को छोड़ कर, जो पानी में गिर गया और जिसे जरा सी चोट आई, कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। अस्थिर क्रेन अथवा द्वार को कोई क्षति नहीं पहुंची।

२. डूबे हुए दरवाजे को दुर्घटना के बाद दूसरे दिन, अर्थात् १२ फरवरी, १९६४ को लगभग शाम को ७ बजे पानी से बाहर निकाल कर रस्सों की सहायता से 'ह्यज ड्राई डाक' में पहुंचा दिया गया। इसकी सफाई आदि का काम १२ फरवरी, १९६४ की शाम तक होता रहा। इसके फल-स्वरूप ६ जहाजों जिन्हें ११ फरवरी, १९६४ को वहां से प्रस्थान करना था, की रवानगी में देर हो गई। इनमें ४ जहाज १२ फरवरी, १९६४ की रात को रवाना हो गये और पांचवां जहाज १३ तारीख को सवेरे रवाना हुआ। छठे जहाज के एजेंटों ने अपनी रवानगी रद्द कर ७०० टन और माल भर लिया। यह जहाज १४ फरवरी, १९६४ को रवाना हुआ।

तीन जहाज १२ फरवरी, १९६४ की शाम को वहां रुकने वाले थे, वे उस दिन ऐसा न कर सके और उन्होंने दूसरे दिन वहां प्रवेश किया। व्यापार में गड़बड़ी सर्वथा नगण्य थी और यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हुई।

### कैनेडी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल

१०२६. **श्री द्वारका दास मंत्री :** क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैनेडी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया टर्मिनल खोलने के संबंध में एयर इंडिया इन्टरनेशनल के चेयरमैन अमरीका गये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब चेयरमैन सरकारी ड्यूटी पर थे तो उन्होंने भारत सरकार की नीति और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के विरुद्ध वक्तव्य दिये ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) :** (क) जी, नहीं। श्री जे० आर० डी० टाटा अपने सार्थ के व्यापार के सम्बन्ध में अमरीका गये थे। एयर इंडिया के प्रबन्धकों ने चेयरमैन के अमरीका के दौरे का फायदा उठाते हुए उनसे, कैनेडी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नया एयर-इन्डिया टर्मिनल खोलने के सम्बन्ध में बातचीत में भाग लेने के लिए, प्रार्थना की जिसके लिए वह राजी हो गये। टर्मिनल, ५ फरवरी, १९६४ को संयुक्त राष्ट्र में अमरीका के राजदूत अदलाई स्टीवेंसन द्वारा खोला गया था।

(ख) श्री जे० आर० डी० टाटा ने भारत सरकार की नीति और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के विरुद्ध कोई वक्तव्य नहीं दिया।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

### विदेशी पर्यटक

१०२७. **श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३ में कितने विदेशी पर्यटकों ने भारत का दौरा किया ; और

(ख) उससे कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) :** (क) १९६३ में कुल १,४०,८२१ विदेशी पर्यटकों (पाकिस्तानी राष्ट्रजनों को छोड़ कर) ने भारत का दौरा किया।

(ख) कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई, इस बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसका अनुमान भारत के रक्षित बैंक द्वारा लगाया जाता है जोकि सामान्यतः अगले वर्ष के मध्य तक अनुमान तैयार कर लेती है।

**कीड़े और अन्य रोग**

१०२८ **श्री पें० वेंकटा सुब्बैया :**
**श्री इम्बीची बाबा**
**श्री ग्र० क० गोपालन :**
**श्री प० कुन्हन :**

**क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक वाले खेतों में अन्य खेतों की अपेक्षा फसल को रोग लगने और कीड़ा लगने की घटनायें अधिक होती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस प्रकार का अध्ययन किया गया है और क्या निवारक उपाय सोचे जा रहे हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) जो अध्ययन किये गये हैं उनसे पता लगा है कि उर्वरकों के इस्तेमाल से पौधों का हरा भाग अधिक फलता फूलता है, जो स्वभावत: कीड़ों के लिये अधिक सारस खुराक देता है और फफूंद, जीवानु और विषाणु रोगों द्वारा संक्रामण के लिए अधिक सतह पैदा करता है।

उत्पादन की प्रतिशतता वृद्धि पर उर्वरक के प्रभाव पर विचार करते हुए हानिकर प्रयत्नों को निष्फल करने के लिए उर्वरक के उदार प्रयोग के साथ साथ गहन पौधा संरक्षण उपाय भी किये जाते हैं।

**दक्षिणी राज्यों में कृषि विकास योजनायें**

१०२९ **श्री पें० वेंकटा सुब्बैया** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विकास कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिये हाल ही में एरणाकुलम् में दक्षिणी राज्यों का कोई सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या मुख्य सिफारिशें की गईं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी, हां। सम्मेलन एरणाकुलम् में २ और ३ फरवरी, १९६४ को हुआ।

(ख) जिन विषयों पर चर्चा हुई और सम्मेलन में जो सुझाव और सिफारिशें की गईं वे निम्न हैं :—

(१) कृषि उत्पादन कार्यक्रमों की शीघ्र क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए राज्य, जिला, खंड और ग्राम स्तरों पर प्रशासनिक प्रबन्ध।

दक्षिणी क्षेत्रों में राज्य सरकारों को, राज्य में कृषि और सम्बद्ध विषयों से सम्बन्धित विभागों के समन्वय की देख भाल करने के लिए, एक वरिष्ठ अधिकारी को शक्तियां देनी चाहियें और जिला, खंड और ग्राम के स्तरों पर समन्वय के लिए

ऐसे संशोधनों के साथ उपयुक्त प्रबन्ध भी करने चाहियें जोकि स्थानीय स्थितियों के लिए आवश्यक समझे जायें।

(२) विशेषतया चावल, ज्वार बाजरा और दालें, कपास और तिलहन के लिए गहन खेती कार्यक्रमों की क्रियान्विति।

चावल, ज्वार, बाजरा और दाले, कपास और तिलहन के गहन खेती कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए इस बात पर जोर दिया गया है कि क्षेत्रों के मौकों की समस्याओं और आवश्यक संगठनों के रूपों की ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिये। विशेषतः गहन खेती वाले क्षेत्रों में कृषि के एकीकृत विकास के लिए पर्याप्त ऋण, उर्वरकों, अच्छी किस्म के बीजों, कीटाणु नाशक दवाइयों आदि की व्यवस्था के लिए शीघ्र संभरण प्रबन्ध करने की वांछनीयता पर सहमति प्रकट की गई। इस बात पर भी विचार किया गया कि सीमेंट, लोहा और इस्पात आदि देने के लिए कृषि संबंधी आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

(३) विशेषतः गहन खेती जिलों में कृषि के विकास के लिए ऋण की पर्याप्त व्यवस्था करना।

रिजर्व बैंक इस बात से सहमत होते हुए कि कृषि के लिए विशेषकर फसलों की सघन खेती के लिए चुने गये क्षेत्रों में धन की व्यवस्था करने के मामले में उदार दृष्टिकोण रखेगा, इस बात पर जोर दिया गया कि राज्यों में सहकारी व्यवस्था का पुनर्गठन करने तथा पुनः मजबूत बनाने के लिए विशेष कर केन्द्रीय सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के मामलों में अधिक प्रयत्न किया जाना चाहिये।

(४) सिंचाई क्षमता का उपयोग :–

मैसूर को छोड़ कर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति सामान्यतः सन्तोषजनक थी। अपेक्षित धन की व्यवस्था के लिए आवश्यकता, उचित कानून का बनाना और लागू करना और सिंचाई क्षमता के प्रयोग की विभिन्न अवस्थाओं के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करने पर जोर दिया गया।

(५) कृषि के जिए बिजली की दरें :–

यह टिप्पणी की गई कि क्षेत्र के राज्यों में कृषि के लिए बिजली की दरें सामान्यतः उचित ही थीं।

## हिन्दी प्रशिक्षण

१०३०. **श्रीमती सावित्री निगम :**
**श्री म० ला० द्विवदी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के हिन्दी प्रशिक्षण अनुभाग में कितने कर्मचारी क्लर्क, टाइपिस्ट, हिन्दी निरीक्षक, चपरासी, अलग अलग काम कर रहे हैं ;

(ख) अन्य रेलवेज में नियोजित इन कर्मचारियों की क्या संख्या है ; और

(ग) रेलवे बोर्ड ने हिन्दी सुपरवाइजरों को किस प्रकार की ड्यूटियां दी हुई हैं ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) पूर्व रेलवे के मुख्यालय में हिन्दी प्रशिक्षण अनुभाग में कर्मचारियों की संख्या निम्न है :—

| श्रेणी | कर्मचारियों की संख्या |
|---|---|
| हिन्दी सुपरवाइजर | २ |
| हिन्दी अध्यापक | ८ |
| चपरासी | १ |
| कुल | ११ |

(ख) अन्य रेलवेज में इन कर्मचारियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी० २४८९ / ६४]**

(ग) रेलवे बोर्ड द्वारा हिन्दी सुपरवाइजरों को निम्न ड्यूटियां दी गई हैं :—

(१) हिन्दी कक्षाओं का संगठन और पर्यवेक्षण करना और रेलवे में हिन्दी की परीक्षाओं का प्रबन्ध करना ।

(२) हिन्दी सुपरवाइजरों को यह भी जांच करनी पड़ती है कि :

(एक) क्या रेलवे के कार्यालयों में प्राप्त हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया जा रहा है ;

(दो) क्या कर्मचारियों के मामलों से सम्बन्धित परिपत्र हिन्दी में भी जारी किये जा रहे हैं ;

(तीन) क्या रेलवे स्थानों और डिब्बों में प्रदर्शित साइन बोर्डों और सूचनाओं में प्रयोग की गई लिपि वर्तमान आदेशों के अनुसार है ;

(चार) क्या रेलवे स्थानों और डिब्बों में प्रदर्शित साइन बोर्ड और सूचनाएं मानकित हिन्दी के समान शब्दों के अनुसार हैं ; और

(पांच) क्या उन रेलवे कार्यालयों के, जो हिन्दी भाषी क्षेत्रों में स्थित हैं और जहां के अधिकांश कर्मचारियों को हिन्दी का काम चलाऊ ज्ञान है, कुछ सैक्शनों में फाइलों पर टिप्पण का कार्य हिन्दी में किया जा रहा है ।

## वाणिज्यिक जहाजी बेड़ा

**१०३१. श्री राम सहाय पाण्डेय** : क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वाणिज्यिक जहाजी बेड़ा बनाने के लिए दस वर्षीय 'आय तथा भुगतान' योजना लागू कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**परिवहन मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). प्रश्न में उल्लिखित कोई योजना नहीं है। हमारी विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण हम आस्थगित भुगतान के आधार पर जहाजों का अर्जन करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा जितना सम्भव होता है उतना हम भुगतान की अवधि के अनुसार भुगतान करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ मामलों में भुगतान की अवधि ६ वर्ष, ७ वर्ष तथा ८ वर्ष है तथा हाल में ही हमें १० वर्ष में भुगतान के प्रस्ताव मिले हैं तथा इस प्रस्ताव का पूरा उपयोग करने का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि १० वर्ष की भुगतान की निर्धारित अवधि की कोई मानक योजना बनाई गई है। सच यह है कि हमारा यही प्रयत्न है कि आस्थगित भुगतान की उत्तम शर्तें प्राप्त करें। इसीलिए भुगतान तथा अन्य शर्तें अलग अलग मामलों में अलग अलग हैं।

### रेलवे अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

१०३२. { **श्री काशी राम गुप्त** :
**श्री बड़े** :

**क्या रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बहुत से अधिकारी जो रेलवे से अन्य सरकारी विभागों, राज्य उपक्रमों तथा अन्य संविहित संस्थाओं में लगातार १५ वर्षों से प्रतिनियुक्त हैं रेलवे से वह सभी सुविधायें पा रहे हैं जो उनको रेलवे में रहने पर मिलतीं ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वे० रामस्वामी)**: रेलवे में अन्य विभागों तथा राज्य उपक्रमों को अधिकारियों की सेवायें सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक के लिये नहीं दी जाती हैं।

ऐसा कोई भी रेलवे अधिकारी नहीं है जो १५ वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के साथ बाहरी प्रतिनियुक्त हो।

प्रतिनियुक्त अधिकारी पर वही नियम लागू होते हैं जो उस विभाग के हों जिसमें वह प्रतिनियुक्त किया गया हो। परन्तु महंगाई भत्ते के मामले में ऐसा नहीं होता है। परन्तु यह इस पर निर्भर करता है कि वह अधिकारी रेलवे वेतनक्रम में वेतन पा रहे हैं अथवा प्रतिनियुक्त पद के वेतनक्रम में वेतन पा रहे हैं। स्थांनान्तरण यात्रा भत्ते उनको रेलवे नियमों के अधीन हों मिलते हैं। रेलवे प्रतिनियुक्त अधिकारियों को प्रिविलेज पास तथा प्रिविलेज टिकट आर्डर के विशेषाधिकार का लाभ भी उठाने देती है।

पासों तथा प्रिविलेज रिकार्ड टिकट आर्डरों के विशेषाधिकारों का निम्नलिखित रूप में विनियमन होता है ।

(एक) यदि कोई ऐसा पद हो जिस पर रेलवे अधिकारी की नियुक्ति होना आवश्यक हो तो अधिकारियों को पासों तथा प्रिविलेज टिकट आर्डरों के बारे में वही सुविधायें मिलेंगी जो उसको प्रतिनियुक्त होने से पहले मिलती रहती।

(दो) केवल नीचे पांच में उल्लिखित परिस्थितियों के अतिरिक्त जिन पदों पर केवल रेलवे अधिकारियों को ही नियुक्त करना जरूरी नहीं समझा जाये, उन पदों पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों प्रतिनियुक्त के पहले तीन वर्ष में उतने पास तथा प्रिविलेज टिकट आर्डर मिलेंगे जितने रिटायर्ड अधिकारी को मिलते हैं क्योंकि उनका, प्रतिनियुक्त होने से पहले २०वर्ष की सेवा पूरी करना मान लिया जाता है।

(तीन) जिन मामलों में पद निर्णय कर लिया गया है कि प्रतिनियुक्त अधिकारी तीन वर्ष से अधिक तक प्रतिनियुक्त रहेंगे उन मामलों में उनको वही पास मिलते रहेंगे जो उनको पहले तीन वर्षों में रेलवे सेवा से रिटायर होने के बाद मिलते ।

(चार) जिन मामलों में यह निर्णय कर लिया गया कि प्रतिनियुक्त अधिकारी को स्थाई रूप में विभाग अथवा संगठन में लगा दिया गया हो तो उसको रिटायरमेंट के बाद जो पास मिलेंगे वही उस तिथि से मिलेंगे जिस तिथि को उसका स्थाई रूप से स्थानान्तरण हुआ हो ।

(पांच) जिन अधिकारियों को केन्द्रीय प्रशासन 'पूल' के अधीन 'एक्सचेंज सिस्टम' में प्रतिनियुक्त किया जाता है उनको पहले तीन वर्षों के बाद भी मद (दो) के अनुसार शर्तों पर पास आदि दिए जाते रहते हैं ।

**उत्तर प्रदेश के लिए गेहूं**

१०३३. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री राम हरख यादव :**

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने संघ सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य को और अधिक गेहूं दें; और

(ख) यदि हां, तो उस पर संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अ० म० थामस)** (क) जी हां ।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार की मांग पूरी की जा रही है ।

**Bus-Train Collision**

**1034. Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that passenger bus going from Bhilwara to Jaipur collided with a goods train between Bhilwara and Chitorgarh on the 17th February, 1964 ;

(b) if so, the number of persons killed or injured therein ; and

(c) the cause of the accident ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) :** (a) No. However, on 12-2-64 a passenger bus proceeding from Udaipur to Bhilwara collided with the engine of a goods train at unmanned level crossing between Chanderia and Gangrar stations of Western Railway.

(b) No one was killed but sixteen persons sustained injuries.

(c) The collision was due to the driver of the bus crossing the level crossing gate in the face of approaching train.

## Sugar Export to Nepal

35 **Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri Vishwa Nath Pandey :**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India would supply one lakh maunds of sugar to Nepal this year ;

(b) if so, by what time ; and

(c) whether India has sugar more than her needs ?

**The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) :** (a) Yes, Sir.

(b) In four quarterly instalments commencing from March, 1964.

(c) The trade between India and Nepal is ordinarily free but limitation on export of sugar to Nepal became necessary this year because of imposition of controls on distribution of sugar within the country itself.

## पश्चिम जापान में भारतीय जहाज का रेत में फंस जाना

१०३६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी समुद्री बोर्ड ने रिपोर्ट दी थी कि २४ फरवरी, १९६४ को पश्चिमी जापान के आन्तरिक समुद्र में एक भारतीय जहाज रेत में फंस गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके रेत में फंसने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसको रेत में से किस प्रकार निकाला गया ?

**परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) जी हां। मैसर्स जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड का 'भारत जयन्ती' जहाज जब एक जापानी मार्ग दर्शक के साथ वाकियामा से काबुटा जा रहा था २४ फरवरी, १९६४ को १८.३० बजे रेत में फंस गया।

भारी कोहरा तथा वर्फ के कारण दिखाई कम दे रहा था।

(ग) २८ फरवरी, १९६४ को जापानी साल्वेज जहाज की सहायता से जहाज को पुनः पानी में तिरा दिया गया था।

## राजा मुन्द्री में रेल सड़क का पुल

१०३७. **श्रीमती विमला देवी :** क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बीच कोई अन्तिम समझौता हो गया है कि राजामुन्द्री में रेल-सड़क का पुल बनाया जाये जो १४ फीट चौड़ा हो और जिस पर दो ओर से मोटर यातायात हो सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी)** (क) सड़क की चौड़ाई के बारे में प्रस्तावों तथा वित्तीय और तकनीकी पहलुओं पर परिवहन मन्त्रालय तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार के परामर्श से बातचीत हो रही है और तब प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

(ख) अत्यधिक विलम्ब नहीं हुआ है । सच यह है कि देर न होने देने के लिये रेलवे मन्त्रालय ने १९ जनवरी १९६४ को राज्य सरकार तथा परिवहन मन्त्रालय के प्रतिनिधियों का उच्चस्तरीय सम्मेलन कठिनाइयों को स्पष्ट करने के लिये बुलाया था । अन्तिम परीक्षा शीघ्रता से पूरी की जा रही है ।

---

## विशेषाधिकार के कथित उल्लंघन के बारे में

## Re : ALLAGED BREACH OF PRIVILEGE

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कल डा० लोहिया और श्रीकिशन पटनायक से एक विषेशाधिकार के उल्लंघन सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई थी । यह सूचना श्री भगत, वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री, के उस वक्तव्य से सम्बद्ध थी जो उन्होंने डा० लोहिया द्वारा लगाये गये आरोप का उत्तर देते समय दिया था । मैं ने उस के लिये अनुमति नहीं दी । उसके पश्चात् यह दोनों सदस्य मुझ से मिले और इन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि वह समझते हैं कि विशषाधिकार का उल्लंघन हुआ है । मैं निश्चित तौर पर यही समझता हूं कि यदि कोई सदस्य या मंत्री कोई गलत बयानी करता है या अपूर्ण बात कहता है या तथ्यों को छिपाता है, तो उस से विशेषाधिकार का उल्लंघन नहीं होता । मेरे पूर्वाधिकारियों का भी यही विचार रहा है । इस प्रकार के मामले में तरीका यह है कि सम्बद्ध सदस्य उस गलत बयानी की सूचना मुझे दें, और मैं उस सदस्य अथवा मंत्री से भी, जिसने कि गलत बयानी की बतायी गई, वक्तव्य प्राप्त करूंगा । मैं उन्हें सभा में अपने अपने बयान देने के लिये कहूंगा । यदि इस प्रकार समस्या का समाधान नहीं हो पाता, तो उसका हल यही है कि उन के बयान कार्यवाही का अंग बन कर रहें, और इस बात का फैसला जनता करे कि किस की बात ठीक है या गलत है । इस प्रकार के मामले में कोई जांच नहीं हो सकती । हम कोई समिति नियुक्त नहीं कर सकते, और दस्तावेज नहीं मंगा सकते । इसलिये मुझे खेद है कि मैं डा० लोहिया और श्री किशन पटनायक से सहमत नहीं हू, और इसके लिये अनुमति नहीं दे सकता ।

---

## सदस्य की गिरफ्तारी के बारें में

## Re : ARREST OF MEMBER

**श्री हो० ना० मकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : हमारे दल के नेता श्री अ० क० गोपालन को, जो किसी कारण भूख-हड़ताल पर थे, गिरफ्तार कर लिया गया है । आप के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं आई है ।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इस बारे में तीन तार प्राप्त हुए हैं । कुछ समय पश्चात् मैं सभा को इस बारे में जानकारी उपलब्ध करूंगा ।

# सभा पटल पर रखे गये पत्र

## PAPERS LAID ON THE TABLE

**लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, प्रतिरक्षा सेवाएं, प्रतिरक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे तथा केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य-संचालय के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन**

**वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) संविधान के अनुच्छेद १५१ (१) के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, प्रतिरक्षा सेवायें, १९६४ की एक प्रति ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २४७८/६४]**

(२) प्रतिरक्षा सेवाओं के वर्ष १९६२–६३ के विनियोग लेखे और तत्सम्बन्धी वाणिज्यिक परिशिष्ट की एक प्रति ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २४७९/६४]**

(३) केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्य-संचालन के बारे में वर्ष १९६२–६३ की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति ।

**[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० २४८०/६४]**

---

# तारांकित प्रश्न संख्या ४९६ के उत्तर में शुद्धि

## CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION No. 496

**बिना विभाग के मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : कल एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मैं ने कहा था कि दालाई लामा द्वारा विदेश यात्रा के लिये इच्छा प्रकट करने के बारे में मुझे मालूम नहीं था । परन्तु इस बारे में ठीक स्थिति यह है कि ५ मार्च को, श्री ग्यालो थांडुप, जो दालाई लामा के भाई हैं, विदेश सचिव को मिले और उन को बताया कि दालाई लामा कुछ पड़ौसी देशों की यात्रा करना चाहते हैं । विदेश सचिव ने उन को बता दिया कि भारत सरकार को उन की यात्रा करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं होगी ।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । उन्होंने यह नहीं बताया कि दालाई लामा कौन से देशों की यात्रा करना चाहते हैं अथवा सरकार उन्हें कौन से देशों की यात्रा करने की अनुज्ञा देगी ।

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : उन के साथ एक सामान्य प्रकार की बात हुई थी । यदि उन के भाई अथवा कोई अन्य व्यक्ति उन की ओर से आते हैं और बातचीत करते हैं तो हमें अग्रेतर ब्यौरे में जाना होगा ।

**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : क्या वह दालाई लामा की विदेश यात्रा सम्बन्धी कोई निश्चित कार्यक्रम ले कर आये थे ?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : वह कोई विशेष कार्यक्रम ले कर नहीं आये थे । उन के कहने के अनुसार दालाई लामा कुछ बुद्ध के अनुयायी देशों की यात्रा करना चाहते हैं । यदि वह इस बारे में तत्पर हैं तो अग्रेतर ब्यौरे-सम्बन्धी बातचीत करनी होगी ।

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farukhabad) : Will the hon. Minister tell Dalai Lama to continue his struggle for the liberation of Tibet from some other country, in view of the fact that India is herself getting weaker now ?

**Mr. Speaker :** This is suggestion for action.

**श्री रंगा** (चित्तूर): क्या दालाई लामा को बताया जायगा कि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये जिस देश में जाना चाहें जा सकते हैं, और फिर जब वह वापस आना चाहेंगे आ सकेंगे ?

**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस में सन्देह नहीं कि वह जब चाहें वापस आ सकेंगे । परन्तु वह किन-किन देशों की यात्रा के लिये जायेंगे इस बारे में बात तभी होगी जब वह ब्योरेवार बात करेंगे ।

## सदस्य की गिरफतारी

## ARREST OF MEMBER

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे एरणाकुलम के अतिरिक्त जिला दण्डाधीश से दिनांक ९ मार्च, १९६४ का एक तार प्राप्त हुआ कि लोक-सभा के सदस्य श्री अ० क० गोपालन को ९ मार्च को पुलिस अधिनियम की धारा ३८ के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें रिमांड लेकर १९ मार्च, १९६४ तक मूवत्तुपुजा की उपजल की हिरासत में रखा गया है ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । चूंकि गिरफ्तार किये गये सदस्य भूख-हड़ताल पर हैं, इसलिये सम्बद्ध अधिकारियों का दायित्व है कि वह उनकी हालत के बारे में आप को सूचित करें, और आप चाहें तो सभा को वह जानकारी उपलब्ध कर सकें ।

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : तार में और प्रैस की खबर में कुछ अन्तर है । यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी कि माननीय सदस्य ने हड़ताल गिरफ्तार होने से पूर्व आरम्भ की थी अथवा बाद में ।

**अध्यक्ष महोदय** : एक अन्य तार भी मुझे मिला है । मैं तथ्यों को जानने की कोशिश करूंगा ।

---

## सामान्य आय-व्ययक, सामान्य चर्चा—जारी

## GENERAL BUDGET—GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : जहां तक मैंने सदस्यों को सुना और समझा है, आय-व्ययक के प्रति प्रतिक्रिया निराशाजनक नहीं रही है । जिन सदस्यों ने आलोचनात्मक दृष्टि से आय-व्ययक का मूल्यांकन किया है, मैं उन के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं ।

४००० करोड़ के आय-व्ययक में समाज पर कुछ बोझा पड़ना आवश्यक है परन्तु देखना यह होगा कि यह बोझा किस तरह से डाला गया है, आया यह सभी लोगों पर समान रूप से पड़ता है

और आया इस से अर्थ-व्यवस्था में निरन्तर प्रगति हो सकना सम्भव है । मैं समझता हूं कि आय-व्ययक इन दृष्टियों से हितकर है ।

आय-व्ययक पर हुई चर्चा के बारे में मेरा अनुभव यह रहा है कि बहुदा सदस्यगण आलोचना करते समय मूल प्रस्तावों और हमारे सिद्धान्तों से परे जा कर चर्चा को एक राजनीतिक रंग देने लगें । कुछ विरोधी पक्ष के सदस्यों ने तो यहां तक कहा कि कुछ विशेष परिस्थितियों का लाभ उठा कर हम ने प्रधान मंत्री की नीतियों एवं उन के दृष्टिकोण की अवहेलना की है । परन्तु यह उन की राजनीतिक युद्ध की कलाबाजियां थीं जिन का सम्बन्ध आय-व्ययक प्रस्तावों एवं सिद्धान्तों से नहीं है । इसलिये मैं उस प्रकार की आलोचना का उत्तर देने में व्यर्थ समय नष्ट नहीं करूंगा ।

मुख्यत: आलोचना का आधार यह विषय थे : आय-व्ययक में कृषि की अवहेलना, आम व्यक्ति के लिये राहत का अभाव, बढ़ते हुए वस्तुओं के मूल्य, आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रण के विरुद्ध कार्यवाही का अभाव, विदेशी विनियोजन का विरोध, पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के पुनर्वास सम्बन्धी उपबन्ध का अभाव, आदि ।

कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह आय-व्ययक मैंने अपने ही दृष्टिकोण से तैयार किया है और कुछ अन्य सदस्यों ने कहा कि इसके तैयार करने में मेरा व्यक्तिगत अंशदान नहीं के बराबर है । इसलिये मैं उस आलोचना का उत्तर देता हुआ स्वयं सदस्यों पर छोड़ता हूं कि वह इस बात का समाधान खुद ही करें ।

कृषि की अवहेलना सम्बन्धी आलोचना निराधार है । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये केन्द्रीय सरकार के पास दो उपाय हैं : एक तो योजना के जरिये उत्पादन को प्रोत्साहन देने सम्बन्धी उपबन्ध करना, और दूसरे अनाज प्राप्त करने और मूल्य निर्धारित करने और उर्वरकों आदि का उपबन्ध रखने सम्बन्धी नीतियों के निर्धारण में मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों की सहायता करना । इन के अतिरिक्त, सामुदायिक विकास मंत्रालय और रक्षित बैंक सहकारी संगठनों के जरिये कृषकों को ऋण उपलब्ध करते हैं । राज्य सरकारों की सहायतार्थ आय-व्ययक में ५५९ करोड़ रुपये का उपबन्ध है जो कृषि, सिंचाई एवं विद्युत् परियोजनाओं पर व्यय किया जायगा । इस के अतिरिक्त मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों में भी उपबन्ध किया गया है । ८० जिलों में गहन उत्पादन कार्यक्रम पर व्यय करने के लिये ३ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है । इन के अलावा केन्द्रीय सरकार और क्या कर सकती है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने बिना सोचे समझे ही कह दिया कि उर्वरकों को कम मूल्य पर उपलब्ध किया जाय । वास्तव में किसान कीमत देने के लिये तो तैयार है परन्तु जनप्रिय उर्वरक उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं । यदि उन प्रसिद्ध उर्वरकों के मूल्य कम किये गये तो उन में चोर-बाजारी शुरू हो जायगी । उसी तरह यह कहना गलत है कि विद्युत् प्रशुल्क को कम करने से किसान की समस्या हल हो जायगी । यद्यपि यह एक राज्य का विषय है, परन्तु मैं इतना जानता हूं कि यदि विद्युत् प्रशुल्क को कम किया गया तो राज्य को और सहायता देनी पड़ेगी, जिसका भार अन्त में फिर जनता पर ही पड़ेगा ।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि रक्षित बैंक द्वारा सहकारी संस्थाओं को २ प्रतिशत ब्याज की दर पर ऋण दिया जाता है और बिचौलियों के कारण वह ८ प्रतिशत पर पड़ता है। परन्तु यह एक राज्य का विषय है जिस का सम्बन्ध केन्द्रीय आय-व्ययक से नहीं है। इस के बावजूद भी हमें इस बात को मानना होगा कि कृषकों को उपलब्ध किये जाने वाले ऋण की सुविधा में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। अनुमान के अनुसार तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में ३६० करोड़ रुपये ऋण के रूप में उपलब्ध किये जायेंगे। कुल मिला कर यह ऋण ४२५ करोड़ रुपये होगा। चौथी योजना के अन्त तक इस ऋण की मात्रा ७१० करोड़ तक हो जायेगी। सहकारी संस्थायें अब ऋण उपलब्ध करने के साथ साथ कृषि उत्पादों को तैयार भी करेंगी और उपभोक्ता माल के वितरण आदि का काम भी किया करेंगे। सहकारी बैंक अब संयुक्त स्टाक वाणिज्यिक बैंकों के समान कार्य करेंगे। रक्षित बैंक द्वारा दी जा रही सहायता की मात्रा काफी बढ़ गई है। वर्ष १९५१-५२ में १२ करोड़ रुपये के ऋण के लिये मंजूरी दी गयी थी परन्तु वर्ष १९६२-६३ में १६३·९४ करोड़ रुपये के लिये मंजूरी दी गयी। वर्ष १९६२-६३ में ऐसे ऋणों की अशोधित राशि १२४·२८ करोड़ थी और मध्यकालीन ऋणों की राशि १०.५६ करोड़ रुपये, जबकि वर्ष १९५२-५३ में ऐसी राशि शून्य थी। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यह बैंक, बैंक दर से कम दर पर कई प्रयोजनों के लिये ऋण उपलब्ध करता है।

सहकारी बैंकों के कार्य-संचालन में हुई प्रगति का असर देश की चल मुद्रा स्थिति पर भी पड़ता है। रक्षित बैंक का उत्तरदायित्व है कि वह आर्थिक स्थायित्व बनाये रखे। ऐसा करने के लिये उसे बैंकिंग समवाय अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां प्राप्त हैं। परन्तु सहकारी बक उस अधिनियम के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आते। इस लिये इस बारे में स्थिति के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है।

मूल्यों के बढ़ने का कारण कृषि उत्पादन में कमी है। इसलिये आय-व्ययक द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

खाद्यान्नों सम्बन्धी स्थिति का हल यही है कि वितरण पर सरकार का अधिक नियंत्रण हो। यदि स्थिति में सुधार न हुआ तो लोगों को वितरण व्यवस्था पर नियंत्रण के लिये तैयार रहना चाहिये।

उपज के मूल्यों के बारे में और उपभोक्ताओं के लिये मूल्यों के विनियमन के बारे में ग्रामीण और शहरी लोगों में भेद करने सम्बन्धी जो सुझाव दिये गये हैं वह अनुचित हैं। यदि सरकार गावों के लोगों को मूल्यों के सिलसिले में वित्तीय सहायता देती है तो उस का बोझ करों के रूप में जनता पर ही पड़ेगा। इस लिये शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के लोगों के लिये एक ही नीति होनी चाहिये। दोनों के लिये अलग अलग नीति नहीं होनी चाहिये।

आय, मजूरी, उपभोग एवं विनियोजन के लिये हमें एक संयोजित नीति बनानी पड़ेगी। परन्तु इस काम में राज्य सरकारों, राजनीतिक दलों आदि को भी अपना सहयोग देना होगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी ने शिकायत की कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिये उपयुक्त उपबन्ध आय-व्ययक में नहीं किया गया। परन्तु शरणार्थियों के लिये धन का नि तन सम्बद्ध मंत्रालय की अनुदानों की मागों में होगा। आय-व्ययक प्रस्तुत करते समय मैंने कहा था कि यदि यह समस्या भीषण रूप धारण कर गयी तो उस के समाधान के लिये धन जुटाया जायगा। इस लिये इस बारे में आलोचना करना व्यर्थ हैं।

अपव्यय को रोकने के लिये और प्रशासन में कुशलता लाने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय के अन्तर्गत एक प्रशासनिक सुधार डिवीजन बनाया जा रहा है जो यह देखेगा कि विभिन्न समितियों द्वारा की गयी सिफारिशों को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ।

धन के केन्द्रण के बारे में भी आलोचना की गयी । उस से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि धन का केन्द्रण किसी सीमा तक हुआ है । परन्तु विकासशील अर्थ-व्यवस्था में ऐसा हो जाना स्वाभाविक है । एक व्यक्ति अथवा समवाय जो मोटर गाड़ियों का निर्माण करता है वह धीरे धीरे सहायक पुर्जों का निर्माण भी करने लगता है । मैंने स्वयं इस प्रवृत्ति को रोकने की कोशिश की है । परन्तु मैं समझता हूं कि वास्तव में खराबी कहां पैदा होती है जहां एक समवाय अथवा सार्थ जिस वस्तु का निर्माण कर रहा होता है उस से बिल्कुल भिन्न वस्तु के निर्माण-कार्य को अपने हाथ में लेता है । इस प्रकार के केन्द्रण का अथवा एकाधिकार का मूल्यों के बढ़े हुए स्तरों को बनाये रखने में कितना प्रभाव पड़ता है यह बात विवादास्पद है । माननीय सदस्यों ने यह तो बताया कि अर्थ-शक्ति कुछ हाथों में केन्द्रित है परन्तु यह नहीं बताया गया कि इस का हमारी अर्थ-व्यवस्था पर क्या असर पड़ा है ।

इस अर्थ-शक्ति के केन्द्रण को दूर करने के लिये पहला कदम हम ने यह उठाया है कि एक एकाधिकार आयोग नियुक्त किया जा रहा है । कुछ सदस्यों ने उस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए स्थिति को समझे बगैर ही कुछ अन्य समितियों आदि की चर्चा की । उन्हें शायद मालूम नहीं है कि वर्तमान विधानों के अन्तर्गत अर्थ-शक्ति के केन्द्रण को कम करने सम्बन्धी उपबन्ध अथवा शक्ति हमारे पास नहीं है । यदि मैं एकाधिकार आयोग अधिनियम ला सकता था परन्तु वह विदेशों के अनुभवों के आधार पर ही लाया जा सकता था, जब कि मैं चाहता था कि एकाधिकार आयोग पहले इस देश में स्वयं अनुभव प्राप्त करके, यहां की त्रुटियों को अच्छी तरह समझ कर अपना प्रतिवेदन दे और फिर हम एक अधिनियम उस प्रयोजनार्थ लायें । इसी उद्देश्य से यह एकाधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है । मैं नहीं समझ सका कि किस आधार पर इस प्रस्ताव की आलोचना की जा सकती है ।

प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने के लिये और बड़े बड़े ग्रुपों के एकाधिकार को कम करने की दृष्टि से सरकार द्वारा छोटे उद्योगों को कई प्रकार से सहायता दी जा रही है । एकक प्रन्यास बनाया गया है । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम बनाया गया है । लघु उद्योग सेवा संस्थायें एवं विभिन्न बोर्ड उस प्रयोजनार्थ बनाये गये हैं । इन से हमारा उद्देश्य यही है कि छोटे और लघु उद्योगों को देश के औद्योगिक विकास में अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर मिले और बड़े बड़े सार्थ और समवाय ही सारा लाभ न उठायें । इसी प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्ष में बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दुगुनी सहायता दी गयी ।

गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के बारे में हमारी मूल नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । विदेशी विनिमय की कमी को पूरा करने के लिये तीसरी योजना में ३०० करोड़ रुपया ही गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के रूप में आयेगा । वास्तव में योजना के पहले दो वर्षों में केवल ३० करोड़ रुपया प्रति वर्ष ही बाहर से आया है । लाभों को छोड़ कर, विदेशों से पूंजी बहुत कम आयेगी । चौथी योजना की विदेशी विनिमय सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान तो नहीं लगाया जा सकता । परन्तु यह स्पष्ट है कि चौथी योजना विस्तार में बड़ी होगी, अपनी योजना के अनुसार हम विदेशों से बड़ी मात्रा में सहायता प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते ; विदेशी वित्त पर इसी शर्त पर हम निर्भर करें कि हमारा ऋण अदायगी सकी सम्बन्धी बोझा तुरन्त भविष्य में न बढ़े । और हम विकास के नये क्षेत्र ढूंढें । वि-

शेषतया एलैक्ट्रानिक्स और आटोमेशन के क्षेत्र में विकास हो जिस के लिये विदेशी निर्माताओं का सहयोग वांछनीय होगा ।

विदेशी पूंजी सम्बन्धी अपनी नीति में हमें रूपभेद न करते हुए केवल उसे कार्य रूप देना है । विदेशियों ने शिकायत की है कि उन के विनियोजन सम्बन्धी प्रस्तावों का उत्तर तत्परता से नहीं दिया जाता। इसलिये प्रशासन में सुधार लाने सम्बन्धी कार्यवाही की गयी है। आय व्ययक के प्रस्तावों द्वारा तो हम ने उन त्रुटियों को दूर किया है जिन के कारण विदेशी निरुत्साहित होते थे । हमारे देश के व्यक्तिगत करारोपण स्तर से देश त्यागने वालों के लिये समस्यायें खड़ी होती थीं और आय-व्ययक प्रस्तावों से उन्हें राहत मिली है। यह रियायतें सभी विदेशी कर्मचारियों को ही दी गई हैं। हमने, विदेशियों को इस देश में कार्यालय स्थापित करने सम्बन्धी जो कठिनाइयां पेश आती थीं; उन्हें दूर कर दिया है। सब से अधिक लाभ विदेशी विनियोजकों को इस निर्णय से होता है जिस के अनुसार अन्तःनिगमित लाभांशों को अधिकर से मुक्त कर दिया गया है। यह निर्णय सभी प्रकार के अन्तःनिगमित विनियोजकों पर लागू होता है। विदेशी सार्थों के बारे में केवल यही परिवर्तन हुआ है कि जिन सार्थों की केवल शाखायें यहां पर हैं और वह अपने लाभांश की घोषणा विदेशों में ही करते हैं उन्हें ६३ प्रतिशत की बजाय ६५ प्रतिशत की दर से कर देना होगा। हम नहीं चाहते कि यहां पर विदेशी सार्थों की शाखायें हों। हम चाहते हैं कि उन समवायों का विकास हो जिन में गैर-सरकारी विदेशी विनियोजन हो। जो भारत में निगमित समवाय हों और जो भारत में ही अपने लाभांशों की घोषणा करें ।

जहां तक सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में साम्यपूंजी लगाने का सम्बन्ध है हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। १९५६ के औद्योगिक नीति संकल्प में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार नये एककों की स्थापना में राष्ट्र के हित की दृष्टि से गैर-सरकारी उपक्रमों की सहायता ले सकती है। इन नीति के अनुसरण में बहुत सी सरकारी परियोजनाओं में गैर-सरकारी विदेशी पूंजी साम्य पूंजी के रूप में लगी हुई हैं। हम उद्योगों में विदेशो पूंजी का स्वागत करते हैं विशेषकर जब हमें तकनीकी जानकारी की आवश्यकता होती है। परन्तु वह पूंजी हमारे शर्तों पर लगाई जानी चाहिये। सरकारी परियोजनाओं में विदेशी सार्थ बहुमत की स्थिति में नहीं होते। गैर-सरकारी उद्योगों के सम्बन्ध में यही नीति है परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों में विदेशी सार्थ बहुमत भी प्राप्त कर सकते हैं ।

हम सरकारी उपक्रमों से यह आशा करते हैं कि वे राज्य कोष में काफी योगदान दें या अपना विस्तार स्वयं करें। परन्तु किसी सरकारी उपक्रम के सम्बन्ध में यदि सरकार यह महसूस करती है कि उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन देने या निम्न-लिखित आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिये कीमतों में सहायता देने की आवश्यकता है तो सरकार को वह सहायता देनी चाहिये। अतः इन दो भिन्न बातों को भिन्न दृष्टि से देखा जाना चाहिये ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बारे में जनसाधारण को अधिक राहत न दिये जाने की काफी माननीय सदस्यों ने शिकायत की है। मिट्टी के तेल तथा कपड़े पर उत्पादन शुल्क में कमी करने के सुझाव दिये गये हैं। ये वस्तुएं कम मात्रा में उपलब्ध हैं और इनकी कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं। कपड़ा उचित दामों पर मिल सके इसके लिये जरूरी है कि उत्पादन शुल्क में कमी करने की बजाय कपड़े के वितरण पर नियंत्रण और अधिक कड़ा किया जाये, क्योंकि उत्पादन शुल्क की कमी को बिचौलिये हड़प कर जायेंगे ।

[श्री ती० त० कृष्णमचारी]

जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बंध है बिना साफ किये हुये मिट्टी के तेल का आयात किया जाता है और इसकी खपत बढ़ाने से हमारी विदेशी मुद्रा स्थिति और अधिक खराब हो जायेगी। मिट्टी का घटिया तेल लारी चलाने वालों द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है अतः सरकार यदि शुल्क में कुछ कमी भी कर दे तो जनसाधारण को तेल सस्ता नहीं मिल सकता।

यदि दियासलाई पर कुछ कमी कर दी जाये तो बिचौलिये उसे हजम कर जायेंगे। ग्रामोफोन रकार्डों पर उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया गया है क्योंकि ये अधिकतर गांवों में मनोरंजन के लिये प्रयोग में लाये जाते हैं और इनसे बहुत ही कम राजस्व प्राप्त होता है। जहां वितरण पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता वहां पर हम बिचौलियों के मुनाफे को खत्म करना चाहते हैं और इस उद्देश्य के लिये हमें उत्पादन शुल्क बढ़ाना पड़ेगा।

हमने संसद से भी ये अधिकार देने के लिये कहा है। इस आय व्ययक में उत्पादन शुल्क में अधिक वृद्धि नहीं की गई है।

श्री मसानी ने कहा है कि निगम क्षेत्र को कोई राहत नहीं दी गई है जबकि सरकार को इस क्षेत्र से ११ करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। मैं केवल यही कहूंगा कि उन्हें राजस्व के आंकड़ों को ही नहीं देखना चाहिए अपितु करों में दी गई विशेष रियायतों की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

निजी कर के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि १५,००० रुपये प्रतिवर्ष से कम आय वाले व्यक्तियों के आय कर में कुछ मामलों में जो वृद्धि की गई है वह, अनिवार्य जमा राशि को घटा कर, बहुत कम है।

वार्षिक (एन्युटि) जमा योजना के बारे में एक सुझाव यह दिया जाता है कि इसे वैकल्पिक बना दिया जाये। मैं इस सुझाव को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। ७० वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं ऐसे व्यक्ति के मामले में भी इसे वैकल्पिक बनाने के लिये तैयार हूं जो किसी विशेष कारण से वार्षिक जमा नहीं करना चाहता है। परन्तु हम अधिक कर लगाकर ऐसे व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि नहीं होने देंगे। दूसरा सुझाव यह दिया गया है कि व्यक्तियों को वार्षिक भुगतान न लेने की अनुमति दी जाये। मैं इसे भी नहीं स्वीकार कर सकता। चाहे कोई व्यक्ति वार्षिक भुगतान ले या न ले वह राशि उस विशेष वर्ष के लिये उस व्यक्ति की आय में सम्मिलित समझी जायेगी।

५,००० रुपये तक के उपहारों पर कोई उपहार-कर नहीं लगाया जायेगा। इस बात को वित्त विधेयक में मुद्रण के समय हुई गलती के कारण स्थान नहीं मिल सका है। इस उद्देश्य से वित्त विधेयक पर एक संशोधन लाया जा रहा है।

मैंने अपने आय-व्ययक भाषण में कहा है कि इस समय लागू विकास छूट १ अप्रैल, १९६६ के पश्चात् समाप्त हो जायेगी परन्तु वित्त विधेयक में खण्ड ८ में कहा गया है कि विकास छूट वर्तमान समय से तीन वर्ष तक की अवधि तक बनी रहेगी अर्थात वर्ष १९६७ तक। मैं इस अशुद्धि को ठीक नहीं करने जा रहा हूं और यह सुझाव समझ लिया जाना चाहिये कि वर्तमान स्थिति अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष तक बनी रहेगी।

आयव्ययक भाषण में विकास छूट सम्बंधी कथन का यह अर्थ है कि चौथी योजना के आरम्भ तक विद्यमान दरें बनी रहेंगी। अब एक वर्ष की अवधि बढ़ा दी गई है। संभव है कि चौथी योजना की प्राथमिकताओं की दृष्टि से छूट देने की नई पद्धति लागू करनी पड़े और ऐसे परिवर्तन के बारे मे उद्योगों को पूर्व सूचना देना जरूरी था। इसका अर्थ यह नहीं है कि विकास छूट की व्यवस्था पूर्णतया समाप्त कर दी जायेगी। आशा है कि सरकार चौथी योजना अवधि मे लागू होने वाली विकास छूट की दरों की घोषणा कर सकेगी। वर्तमान प्रवृत्तियों से पता चलता है कि बुनियादी उद्योगों, जिनमें अधिक पूंजी लगी हुई है, को अधिक छूट दी जायेगी।

जहां तक श्री अ० प्र० जैन की आपत्ति का सम्बंध है मैं बताना चाहता हूं कि अधिकर विधेयक के उपबंधों के अन्तर्गत देय ब्याज की राशि अधि-कर के लिये लाभ की राशि में पुनः जोड़ दी जाती है। ताकि दोहरी कटौती न की जा सके।

एक निगम की पूंजी दूसरे निगम में लगाये जाने पर मिलने वाले लाभांश पर नये प्रस्तावों में अधि-कर न लगाने का एक उद्देश्य यह है कि कर-ढांचे को सरल बनाया जाये और विभिन्न तिथियों की बनी कम्पनियों के बीच होने वाली अनियमितताओं को दूर किया जाये। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि जबकि एक निगम की पूंजी दूसरे निगम में लगाने से प्रभावी दल का नियंत्रण क्षेत्र बढ़ सकता है, मुख्यतर ऐसे विनियोजनों से निगमों की बचत को लगाने का अवसर मिलता है और इनमें से अधिकतर सामाजिक दृष्टि से लाभदायक कार्य करते हैं। यदि इनसे धन का संचय होता है तो हम उसे रोकने के लिये गैर-वित्तीय उपायों का प्रयोग करेंगे।

कुछ अन्य सुझाव के बारे में अच्छी तरह विचार करके अपनी राय प्रगट करूंगा।

यह शिकायत की गई है कि उद्योगों को कोई रियायत नहीं दी गई है। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि नये कर प्रस्ताव बनाते समय मैंने कुछ बड़ी कम्पनियों के संतुलन पत्र पर इन्हें परखा था। ऐसा करते समय कुछ उद्योगों को निगम-कर या अधिकर पर दी गई रियायतों को हिसाब मे नहीं लाया गया था। ३१ समवायों में से १९ समवायों ने गत वर्ष अधिलाभ-कर दिया था। इन सब की सब १९ कम्पनियों को नये प्रस्तावों के अनुसार कुल आय की प्रतिशतता के आधार पर कम कर देना पड़ेगा। परन्तु जिन समवायों को अधिलाभ-कर नहीं देना पड़ता उनके बारे में स्थिति भिन्न होगी।

सभा में तथा बाहर भी यह आलोचना की गई है कि कम आय वाले व्यक्तियों को आय-कर में राहत नहीं दी गई है। परन्तु आंकड़े दे कर मैं स्पष्ट कर सकता हूं कि पिछले वर्ष की तुलना में उन्हें कम कर देना पड़ेगा।

माननीय सदस्यों द्वारा कुछ ऐसी बातें उठाई गई हैं जिनका आयव्ययक से सीधा सम्बंध नहीं है, जो भी मंत्रालय उन बातों से सम्बंध रखता है वह उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके सभा को उनका उत्तर देगा।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने आयव्ययक पर अपने विचार प्रकट किये। मैं यह दावा नहीं करता कि यह आयव्ययक त्रुटि रहित है परन्तु मैं जोरदार शब्दों में यह कह सकता हूं कि इस आयव्ययक में राजकोषीय त्रुटियों को दूर करने की कोशिश की गई है ताकि हमारी अर्थ-व्यवस्था बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। हम अपने देश में एक ऐसे स्वतंत्र समाज की स्थापना

[श्री ति० त० कृष्णमचारी]

करना चाहते हैं जिसमें आर्थिक, राजनीतिक तथा व्यक्तिगत भय से स्वतंत्रता सुनिश्चित की जा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति में जो भी बाधायें आयेंगी हम उनको अपने रास्ते से निकाल फैंकना चाहते हैं। धन तथा सत्ता की असमानता को दूर करने के लिये कुछ कड़े उपाय लागू करने के लिये मैं किसी श्रेय का दावा नहीं करता परन्तु लोकतंत्र को बनाये रखने तथा सामाजिक अर्थ व्यवस्था को ठोस रूप देने के लिये ऐसे उपाय करना जरूरी है।

**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि यदि उत्पादन शुल्क कम कर दिया जाये तो बिचौलिये इस लाभ को हड़प कर जायेंगे परन्तु सरकार ने संसद् को यह आश्वासन दिया था कि मूल्यों को स्थिर रखा जायेगा। अतः क्या वित्त मंत्री यह स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं ?

**श्री रंगा** (चित्तूर) : यदि वित्त मंत्री मिट्टी के तेल पर शुल्क कम करने का फैसला कर तो क्या उपभोक्ता से कम मूल्य पर प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते ?

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : क्या यह सच है कि सरकार मूल्यों को स्थिर रखने में असमर्थ है दूसरे, जब अनिवार्य जमा योजना समाप्त कर दी गई है तो क्या इस योजना के अन्तर्गत एकत्रित धन राशि लोटाने का सरकार का विचार है ?

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : यदि यह धन राशि लौटा दी जाये तो इससे मुद्रा स्फीति होने का डर है और यह दुकानदारों के हाथों में जायेगी - हम कोई ऐसा उपाय करेंगे जिससे उन्हें यह महसूस हो कि वह धन उन्हीं के पास है।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : ३१ मार्च, १९६४ से पहले लोगों को उधार लेकर भी अनिवार्य धनराशि जमा करनी पड़ेगी। जबकि यह योजना वापिस ले ली गई है तो अब यह धनराशि जमा करने का क्या औचित्य है ?

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : थोड़े अन्तर वाले मामलों को छोड़ कर यह योजना भूतलक्षी प्रभाव से वापिस नहीं ली गई है।

**श्री नाथपाई** : मूल्यों को स्थिर रखने के बारे में वित्त मंत्री को सरकार की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये।

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैंने अपने भाषण में सरकार की कठिनाइयों का उल्लेख कर दिया है और सरकार इस बारे में जो कुछ कर रही है उस पर भी प्रकाश डाला है।

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) : If not more than one thousand rupees are spent on any person either in Government or in private sector a saving of Rs. 22—25.

hunered Crores and not less than 10-15 hundred croves of nipees in any case can be effeced. It can be uti ised in redning the burden of taxes on the people can be invested in industries klhen do Government prooose to bonsider over ?

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : केवल कांग्रेस दल के लोग ही ऐसे बन्धन को स्वीकार कर सकते हैं। अन्य कोई व्यक्ति ऐसे बन्धन में रहने के लिये तैयार नहीं होगा।

---

## लेखानुदानों की मांगें, १९६४-६५

## DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT, 1964-65

**अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष १९६४-६५ के लिये लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुयीं --**

**The following Demands for grants on Account for the year 1964-65 were put and adopted.**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| १ | सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय . . | २,४०,००० |
| २ | सामुदायिक विकास परियोजनायें, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा सहकार . . . . . | ४७,५४,००० |
| ३ | प्रतिरक्षा मंत्रालय . . . . | ५,०४,००० |
| ४ | प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी स्थल सेना | ४८,५७,३७,००० |
| ५ | प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी नौसेना . | १,९२,८८,००० |
| ६ | प्रतिरक्षा सेवायें, क्रियाकारी वायुसेना | १०,३८,४२,००० |
| ७ | प्रतिरक्षा सेवायें, अक्रियाकारी . | १,८२,५०,००० |
| ८ | शिक्षा मंत्रालय . . | ७,१९,००० |
| ९ | शिक्षा . . | ३,०४,८१,००० |
| १० | पुरातत्व . . . | १०,६९,००० |
| ११ | भारत का सर्वेक्षण | ३४,६७,००० |
| १२ | वानस्पतिक सर्वेक्षण | २,३६,००० |
| १३ | प्राणिकीय सर्वेक्षण . . | २,१६,००० |
| १४ | शिक्षा विभाग का अन्य राजस्व व्यय | ९८,४२,००० |
| १५ | आदिमजाति क्षेत्र . . | १,३२,१८,००० |
| १६ | वैदेशिक-कार्य . . . | १,५४,५४,००० |
| १७ | दादरा और नगर हवेली क्षेत्र . . | १,५६,००० |
| १८ | वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व-व्यय . | ६५,१०,००० |
| १९ | वित्त मंत्रालय . . . . . | १८,५२,००० |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| २० | सीमा-शुल्क | ३८,६४,००० |
| २१ | संघ उत्पादन शुल्क | ९२,८६,००० |
| २२ | निगम कर आदि सहित आय पर कर | ६५,६४,००० |
| २३ | मुद्रांक | ८६,५४,००० |
| २४ | लेखा-परीक्षा | १,१६,३२,००० |
| २५ | चल मुद्रा और सिक्के | ८०,९९,००० |
| २६ | टकसाल | २२,०६,००० |
| २७ | कोलार की सोने की खानें | ४२,९५,००० |
| २८ | पेंशन तथा सेवानिवृत्ति के अन्य लाभ | ९८,०९,००० |
| २९ | प्रादेशिक तथा राजनैतिक पेंशनें | १,८२,००० |
| ३० | अफीम | २,३६,३९,००० |
| ३१ | वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | १३,४८,३३,००० |
| ३२ | योजना आयोग | ९,२२,००० |
| ३३ | राज्यों को सहायतार्थ अनुदान | १८,२४,२४,००० |
| ३४ | केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन | २,३५,००० |
| ३५ | विभाजन पूर्व के भुगतान | १,२४,००० |
| ३६ | खाद्य तथा कृषि मंत्रालय | ७,०७,००० |
| ३७ | कृषि | ३६,३७,००० |
| ३८ | कृषि अनुसन्धान | ५६,२०,००० |
| ३९ | पशु पालन | ९,४१,००० |
| ४० | वन | १०,४१,००० |
| ४१ | खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | १,५५,३२,००० |
| ४२ | स्वास्थ्य मंत्रालय | १,९०,००० |
| ४३ | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | १,०३,९३,००० |
| ४४ | स्वास्थ्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | ७,९३,००० |
| ४५ | गृह-कार्य मंत्रालय | ३७,७८,००० |
| ४६ | मंत्रिमंडल | ३,८२,००० |
| ४७ | क्षेत्रीय परिषदें | ११,००० |
| ४८ | न्याय प्रशासन | २६,००० |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| ४९ | पुलिस | १,२१,९९,००० |
| ५० | जनगणना | ११,३८,००० |
| ५१ | आंकड़े | १९,१७,००० |
| ५२ | भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते | २८,००० |
| ५३ | दिल्ली | १,७८,७२,००० |
| ५४ | अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह | २७,१९,००० |
| ५५ | लक्कद्वीप, मिनीकोय और अमीनद्वीप समूह | ३,९६,००० |
| ५६ | गृह-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | २२,९५,००० |
| ५७ | उद्योग मंत्रालय | ३,१२,००० |
| ५८ | उद्योग | १,५४,३६,००० |
| ५९ | नमक | ४,६७,००० |
| ६० | उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | २,५९,००० |
| ६१ | सूचना और प्रसारण मंत्रालय | १,३०,००० |
| ६२ | प्रसारण | ४९,२६,००० |
| ६३ | सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | ३८,३८,००० |
| ६४ | अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय | २,७७,००० |
| ६५ | विदेशी व्यापार | ७७,७८,००० |
| ६६ | अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | २६,३६,००० |
| ६७ | सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय | २,१५,०००० |
| ६८ | बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें | १६,००,००० |
| ६९ | सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | ७५,११,००० |
| ७० | श्रम और रोजगार मंत्रालय | २,४६,००० |
| ७१ | मुख्य खान निरीक्षक | २,९०,००० |
| ७२ | श्रम और रोजगार | ९४,००,००० |
| ७३ | श्रम और रोजगार मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | १,२४,००० |
| ७४ | विधि मंत्रालय | ३,८४,००० |
| ७५ | निर्वाचन | ७,१६,००० |
| ७६ | विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | १८,००० |
| ७७ | पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय | १,४७,००० |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| ७८ | पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . | ७,९२,००० |
| ७९ | इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय | ३,४३,००० |
| ८० | भूतत्वीय सर्वेक्षण . . . . | २९,५३,००० |
| ८१ | इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . . | ३,१९,४०,००० |
| ८२ | परिवहन मंत्रालय . . | ८,८५,००० |
| ८३ | ऋतु विज्ञान . . . | २२,३४,००० |
| ८४ | केन्द्रीय सड़क निधि . . . . | ३६,७१,००० |
| ८५ | संचार (राष्ट्रीय राजपथ सहित) . . . | ६३,८६,००० |
| ८६ | वाणिज्यिक नौवहन . . . . | १०,७९,००० |
| ८७ | प्रकाश-स्तम्भ और प्रकाश-पोत . . | ९,११,००० |
| ८८ | उड्डयन . . . . . | ५८,६८,००० |
| ८९ | परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . | २५,६१,००० |
| ९० | निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय . . | ३,८९,००० |
| ९१ | लोक-निर्माण-कार्य . . | २,८१,६८,००० |
| ९२ | लेखन-सामग्री और छपाई . . | ९६,२२,००० |
| ९३ | विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय . . | ७०,४४,००० |
| ९४ | निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | ७,५५,००० |
| ९५ | अणु शक्ति विभाग . . . . | १,६१,००० |
| ९६ | अणु शक्ति अनुसंधान . . . . | ८३,११,००० |
| ९७ | संसद-कार्य विभाग . . . . | ३०,००० |
| ९८ | डाक तथा तार विभाग . . . | ८२,००० |
| ९९ | समुद्रपार संचार सेवा . . . . | १३,२३,००० |
| १०० | डाक तथा तार (कार्य-संचालन व्यय) . . | १०,३१,४३,००० |
| १०१ | सामान्य राजस्व को डाक तथा तार का लाभांश और रक्षित निधि में विनियोग . . . | १,००,९०,००० |
| १०२ | डाक तथा तार विभाग का अन्य राजस्व व्यय . . | २,२१,००० |
| १०३ | संभरण विभाग . | ४,२९,००० |
| १०४ | संभरण तथा निपटान . . . . | २९,४८,००० |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| १०५ | संभरण विभाग का अन्य राजस्व व्यय | ८७,००० |
| १०६ | प्रविधिक विकास विभाग . | २६,००० |
| १०७ | प्रविधिक विकास विभाग का अन्य राजस्व व्यय | ३,७१,००० |
| १०८ | लोक-सभा . . | ८,८४,००० |
| १०९ | लोक-सभा का अन्य राजस्व व्यय | ४५,००० |
| ११० | राज्य सभा . . | ३,७७,००० |
| १११ | उप-राष्ट्रपति का सचिवालय . . . | १८,००० |
| ११२ | सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय | १,१७,००० |
| ११३ | प्रतिरक्षा पूंजी परिव्यय . . | ११,७४,५८,००० |
| ११४ | शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . | ४६,६७,००० |
| ११५ | वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . | १३,७५,००० |
| ११६ | भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी परिव्यय . . | १,६३,००० |
| ११७ | चलमुद्रा और सिक्के पर पूंजी परिव्यय . | ९६,७३,००० |
| ११८ | टकसालों पर पूंजी परिव्यय . | २,७६,००० |
| ११९ | कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय | ६,७१,००० |
| १२० | पेंशनों का परिणित मूल्य . . . | १०,३२,००० |
| १२१ | वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . . | १४,८५,६२,००० |
| १२२ | राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के विकास के लिये अनुदानों पर पूंजी परिव्यय . . . | २,३५,१७,००० |
| १२३ | केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन . . | २६,१७,७३,००० |
| १२४ | वनों पर पूंजी परिव्यय . . | १६,००० |
| १२५ | खाद्यान्नों का क्रय . . . . | ३१,३४,००,००० |
| १२६ | खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . | ६,१४,००,००० |
| १२७ | स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . | ९०,३०,००० |
| १२८ | गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . | ६,३१,००० |
| १२९ | उद्योग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . . | २९,०३,००० |
| १३० | सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . | १७,५६,००० |
| १३१ | अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . | ५,००,००० |
| १३२ | बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . | ८७,८९,००० |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| १३३ | सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय | ७७,८६,००० |
| १३४ | श्रम और रोज़गार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . | ३१,००० |
| १३५ | पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . | ४,२६,४५,००० |
| १३६ | इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . . | ११,४८,६०,००० |
| १३७ | सड़कों पर पूंजी परिव्यय | ४,६७,५८,००० |
| १३८ | पत्तनों पर पूंजी परिव्यय . . | २२,२०,००० |
| १३६ | असैनिक उड्डयन पर पूंजी परिव्यय . | ४१,२१,००० |
| १४० | परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . | ५७,३४,००० |
| १४१ | लोक-निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय | ७८,७७,००० |
| १४२ | दिल्ली पूंजी परिव्यय . . . | २,०५,७६,००० |
| १४३ | निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय | ७१,८३,००० |
| १४४ | अणुशक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय . | १,६५,१४,००० |
| १४५ | डाक तथा तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं दिया गया) . . . | ३,५०,३३,००० |
| १४६ | डाक तथा तार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय | ३,८३,००० |

---

## विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १९६४

## APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1964

**वित्तमंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं विधेयक को पुर: स्थापित करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के एक भाग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"कि वित्तीय वर्ष १९६४-६५ के एक भाग के लिये धारत की संचित निधि में चे कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खण्डों को लेंगे ।

प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड १, २, ३, तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खंड १, २, ३ तथा अनसूची विधेयक में जोड़ दिये गये**

**Clauses 1, 2, 3 and the Schedule were added to the Bill.**

**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

---

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे) १९६३-६४

## DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (RAILWAYS), 1963-64

**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब आयव्ययक (रेलवे), १९६३-६४ के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेगी ।

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां)** : अनुपूरक मांग कुल ५५ करोड़ रुपये की है जबकि मूल आयव्ययक अनुदान १,१८० करोड़ रुपये का था । अनुपूरक मांगों

[श्री शाहनवाज खां]

में से ६·७५ करोड़ रुपया आयव्ययक के अधिशेष पर वास्तविक अधिशेष की वृद्धि का द्योतक है जो वास्तव में अतिरिक्त व्यय नहीं है परन्तु उसके लिये मतदान आवश्यक है क्योंकि वह राशि विकास निधि में विनियोजित की जाती है ।

राजस्व कार्यवहन व्यय के अन्तर्गत मांगी गई अतिरिक्त राशि में से ५·५६ करोड़ रु० कर्मचारियों सम्बन्धी व्यय की विभिन्न मदों से सम्बन्धित हैं । इस में ३.५० करोड़ रु० की वह राशि भी शामिल है जो १-७-१९६३ से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देने तथा कुछ नगरों तथा शहरों के पुनर्वर्गीयकरण के परिणाम-स्वरूप १–१–६४ से देय नगर पूर्ति तथा मकान किराया भत्तों में वृद्धि के लिये है । राजस्व कार्यवाहन व्यय के अन्तर्गत मांगी गई शेष अतिरिक्त राशि का अधिकतर भाग आयव्ययक के बाद की बातों जैसे सामान्य कराधान में परिवर्तन का व्यय पूरा करने और १९६३-६४ के रेलवे आयव्ययक के प्रस्तुत किये जाने के बाद केन्द्रीय बिक्री कर में वृद्धि होने के करते हुए व्यय को पूरा करने के लिये है ।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair* }

इसी प्रकार, रेलवे के विकास कार्यक्रम का व्यय, जिसमें निर्माण व्यय भी शामिल है, सीमा शुल्क में हुई वृद्धि के फलस्वरूप बढ़ गया है ।

इन शब्दों के साथ, मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वह अनुदानों की अनुपूरक मांगों को स्वीकार करे ।

**वर्ष १९६३-६४ के लिये रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित अनपूरक मांगें प्रस्तुत की गयीं**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| ४ | कार्यवहन व्यय—प्रशासन | १,८३,६४,००० |
| ५ | कार्यवहन व्यय—मरम्मत और संधारण | ४,७८,५४,००० |
| ६ | कार्यवहन व्यय—संचालक कर्मचारी | २,३३,३३,००० |
| ७ | कार्यवहन व्यय—संचालन (ईंधन) | ३,६४,५८,००० |
| ८ | कार्यवहन व्यय—कर्मचारियों तथा ईंधन के अतिरिक्त संचालन | ४५,७३,००० |
| ९ | कार्यवहन व्यय–विविध व्यय | २,४८,५५,००० |
| १० | कार्यवहन व्यय—श्रम कल्याण | ४१,४५,००० |
| १२ | सामान्य राजस्व को भुगतान | १,९१,७९,००० |
| १५ | चालू लाइनों का निर्माण-विस्तार तथा प्रतिस्थापन | २६,५८,७१,००० |
| १६ | चालू लाइनों का निर्माण–विकास निधि | ३,७६,८२,००० |
| १८ | विकास निधि में विनियोग | ६,७५,००,००० |

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सब मांगें सभा के सम्मुख प्रस्तुत हैं।

**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बलपुज़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन्, कुछ सीमा तक अनुदानों की अनुपूरक मांगें कुछ नगरों के पुनर्वर्गीकरण के कारण सरकारी कर्मचारियों को अधिक भुगतान करने के संबंध में हैं। किन्तु कुछ नगरों में पुनर्वर्गीकरण के बाद भी सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर नहीं हुई हैं। पहले वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि नगरों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर होना चाहिये। सौभाग्य से दूसरे वेतन आयोग ने अन्य बातों की ओर भी ध्यान दिया और यह सिफारिश की कि जनसंख्या तथा अन्य बातों, मुख्यत: निर्वाह परिव्यय को देखते हुए वर्गीकरण हो। किन्तु अब भी कोचीन नगर 'सी' श्रेणी का ही है। कोचीन में निर्वाह-परिव्यय संभवत: देश भर में सब से अधिक है। यहां उद्योग का विकास हो रहा है इसलिये यहां आवास की समस्या भी अत्यन्त जटिल है। यहां प्रति वर्गमील ३०,००० की जनसंख्या है। पुनर्वर्गीकरण के बाद म ास नगर के रेलवे कर्मचारियों को लाभ हुआ है किंतु कोचीन में निर्वाह-परिव्यय मद्रास से २५ प्रतिशत अधिक होते हुये भी वहां के कर्मचारियों की इस लाभ से वंचित रहना पड़ा है।

मेरा निवेदन है कि रेलवे मंत्रालय इस संबंध में वित्त मंत्रालय से परामर्श करे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय की भावना को स्वीकार नहीं कर पाई है कि नियम १४८ के अन्तर्गत सेवा से निकाले गये कर्मचारियों को पुन: सेवा में रखा जाये। केवल दो या तीन ऐसे कर्मचारी सेवा में पुन: लिये गये हैं जब कि अनुदानों में इस मद के लिये भी राशि मांगी गई है। कहा गया है कि शेष लगभग ३०० व्यक्तियों के मामलों के सबंध में विधि मंत्रालय से परामर्श मांगा गया है। मेरा निवेदन है कि रेलवे मंत्रालय इन पर सीधा निर्णय ले और इस प्रकार मामले में ढील न डाले।

**Dr. Ram Manohar Lohia** (Farrukhabad) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I oppose these demands for supplementary grants and I would continue to raise my voice in opposition until all the upper classes in the trains other than third class, are abolished. We should not go by the examples of foreign countries like U.S.S.R. where four classes exist. In U.K. there are only two classes.

The country has been divided into so many classes based on economic disparity and on religious convictions that nowhere in the world you can find its parallel. Some radical measures are to be adopted to uplift the country and the abolition of upper classes from the trains would give a lead in this direction.

My second suggestion is that all the children whether they belong to lowest rung of the society or to the highest should be educated in the schools of uniform pattern.

Coming back to the question of upper classes I may add that these can possibly be reintroduced after 10 or 20 years when there are such conditions that Railway employees learn to treat all passengers, whether rich or poor alike. Moreover if it is considered desirable to continue first class and air conditioned class for the facilities of foreign tourists these classes should be reserved for those tourists alone. It would revolutionize peoples thinking. At present Railway employees pay all the attention to the passengers of upper classes with the total neglect of third class passengers. The only sure remedy for changing present out look of the people is to abolish all the upper classes other than third class at least for some time.

**Shri Himmagtsingka** (Godda): Mr. Deputy Speaker, Sir, I want to invite your attention to the difficulties being faced by the people in my constituency. There are no adequate facilities of transport in Santhal Paragana, particularly in Godda Sub-division where coal mines are situated and where foodgrains are also produced. Last year I had made a request for at least setting up an out agency at Godda. Nothing has so far been done in this connection.

Attention should be paid to stop the wastage of water which is now being wasted on almost all the stations because of continuous flowing of the taps.

There is some improvement regarding the cleanliness of platforms but labatories still remain as ever. More attention needs to be paid in this connection.

Action should also be taken to stop ticketless travel.

**श्री अ० प्र० शर्मा** (बक्सर): उपाध्यक्ष महोदय, अनुपूरक अनुदानों की मांगों में प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत प्रभारित व्यय में वृद्धि दिखाई गई है जो न्यायालय की डिक्री अथवा पंचाटों के फलस्वरूप किये गये भुगतानों के कारण हुई है । रेलवे के विधि विभाग और लेखा विभाग को इस प्रकार के व्यय न होने देने चाहिये। इन विभागों में काफी संख्या में कर्मचारी हैं तथा इन्हें शीघ्र पदोन्नति का अवसर दिया जाता है। इन विभागों को शुरू में ही कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिस से मामला आगे ले जाने का अवसर मिले। इनकी गलती के कारण रेलवे की ऐसे अधिकांश मामलों में हार हुई है जो वे न्यायालय में अथवा मध्यस्थता के लिये ले गये हैं। वे केवल कुछ ही मामलों में जीते हैं, यद्यपि मध्यस्थता करने वाले अधिकांश रेलवे अधिकारी हैं। यदि मध्यस्थता के लिये बाहर के लोग नियुक्त किए जायें तो रेलवे को और अधिक भुगतान करना पड़ेगा । रेलवे मंत्रालय को इस प्रकार के अनावश्यक भुगतानों के रोकने के लिये ठोस कदम उठाना चहिए ।

वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार रेलवे मंत्रालय को ऐसे उपाय ढूंढने चाहिएं जिन से मुगलसराय जैसे छोटे स्थानों में जहां रेलवे कर्मचारियों के कारण घनी आबादी है तथा जीवनांक में वद्धि हुई है, और मकानों की बड़ी समस्या है वहां किराया भत्ता आदि के बारे में उन्हें प्रतिकर दिया जा सके।

रेलवे में चिकित्सा संबंधी व्यवस्था ठीक नहीं है। डाक्टर लोग अपनी मनमानी करते हैं। कर्मचारियों को उनकी दया पर निर्भर रहना पड़ता है। बहुत से अस्पतालों में ड्रेसर कम्पाउन्डर का काम करते हैं जो उचित नहीं है।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये स्कूलों का बहुत अभाव है। रेलवे कर्मचारियों का प्रायः स्थानान्तरण होता रहता है इसलिये उन्हें अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में दाखला दिलाने में बड़ी असुविधा होती है। अतः रेलवे को अपने स्कूल और कालेज खोलने चाहिए, एक रेलवे स्टेशन के पीछे एक प्राथमिक पाठशाला अवश्य खोली जानी चाहिए। यदि रेलवे अपने कर्मचारियों को संतुष्ट रखना चाहती हैं तो यह उचित अवसर है जब कि उनकी शिक्षा समस्या पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

**Shri Yashpal Singh** (Kairana) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the class IV employees of Railway are financially in the worst position and to add to their hardships there is no arrangement for giving them residential accommodation. Immediate attention should be paid for solving their housing problem.

My second suggestion is that the examination for the appointment of booking clerks, accountant etc. should be held in regional languages and English medium for the purposes of these examinations should be done away with.

The office of Railway Accidents Inspector should be shifted from Simla to Delhi as the latter being a Central place is more suitable for such offices.

The stoppages for the trains should be conjugated with the number of tickets sold on any particular stations.

The electrification of trains is not warranted in the present context of things. Coal and diesel should be used in trains so that more and more of the electricity is diverted towards other useful purposes in respect of ordnance factories, manufacture of agricultural equipments and irrigation purposes.

Shahdara—Saharanpur Railways should be nationalized as the working of this Railway is quite unsatisfactory. Arrangements should be made for quicker loading of goods booked at Kairana and Sanpala stations.

Night duty allowance should be paid to the railway inquiry clerks. Rikshaw, tonga and taxi drivers have to stand in the open outside Rurki station. Ashed should be provided for them.

More amenities should be made available for third class passengers as the bulk of Railway revenue comes from this source. At present condition is such that more tickets are issued than there is seating arrangement in the trains. The seating capacity of the trains should be increased so that to make it possible for a ticket holder to secure a seat for himself.

The services rendered by the Railways during emergency are commendable. The hon. Minister and the Chairman of the Railway Board deserve our congratulations on this score.

Relief should be given to class IV employees of Railway by increasing their emoluments.

With these words I commend the supplementary demands for the acceptance of the House.

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (अडोनी) : रेलवे में शिक्षा संबंधी अभाव को दूर किया जाये। रेलवे द्वारा चलाये जाने वाले अस्पताल राज्य सरकारों द्वारा चलाये जाने वाले अस्पतालों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय हैं। इस लिये रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त और लोग भी रेलवे अस्पतालों में इलाज कराने के लिये आते हैं। अस्पतालों में योग्य डाक्टरों का एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिये। इससे अस्पताल की लोकप्रियता कम हो जाती है।

रेलवे कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्राय: शिक्षा वर्ष के मध्य में होता है। इसलिये रेलवे को उनके बच्चों की दाखले की समस्या को हल करने के लिये और अधिक स्कूल खोलने चाहिएं। रेलवे को ये स्कूल स्वयं चलाने चाहिए। ये स्कूल राष्ट्रीय एकता में सहायक होंगे, क्योंकि इसमें देशों के सभी भागों के बच्चे एक साथ शिक्षा प्राप्त करेंगे। गुन्तकुल महत्वपूर्ण जंक्शन हैं, वहां बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारी कार्य करते हैं। इसलिये वहां पर एक कालेज खोला जाना चाहिये।

[श्री पें० वेंकटा सुब्बया]

रंगापुरम स्टेशन पर पेय जल की व्यवस्था की जानी चाहिये। बम्बई से अडोनी तक तीसरी श्रेणी के डिब्बों में—जो बम्बई-मद्रास एक्सप्रैस या डाकगाड़ी के साथ जोड़ दिये जाते हैं—सोने की व्यवस्था होनी चाहिये। सिकन्दराबाद स्टेशन पर शीघ्र विभागीय भोजन व्यवस्था आरम्भ की जानी चाहिए।

विभिन्न रेलवे, विशेष रूप से दक्षिण, मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रों की रेलवे में काम बहुत बढ़ गया है। अतः प्रशासनिक कार्य अधिक कुशलता से चलाने के लिये कम से कम दो और रेलवे 'जोन' बनाये जाने चाहियें ताकि यात्रियों को अधिक सुविधायें दी जा सकें।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : रेलवे कर्मचारियों को अधिक से अधिक चिकित्सा संबंधी सुविधायें दी जानी चाहिये। रेलवे अस्पतालों के डाक्टरों को केवल डाक्टरी प्रमाणपत्र देने के लिये ही अपने पद का प्रयोग नहीं करना चाहिये अपितु उन्हें लोगों की चिकित्सा में ध्यान देना चाहिये जिसके लिये उनकी नियुक्ति की गई है। डाक्टरों को मरीजों के प्रति सहानुभूति का बर्ताव करना चाहिए। जहां पर दूर दूर तक चिकित्सा के कोई साधन उपलब्ध हैं वहां जीवन को सर्वाधिक मूल्यवान समझ कर डाक्टरों को मरीजों के घर जा कर देखने में आपत्ति नहीं करनी चाहिये।

रेलवे प्रशासन में बहुत असमानतायें हैं। उदाहरणार्थ अहमदाबाद में छोटी लाइन पर अधिक रेल गाड़ियों की देखभाल करने वाले स्टेशन मास्टरों को बड़ी लाइन के कम गाड़ियों का काम करने वाले स्टेशन मास्टरों से कम वेतन मिलता है। प्रशासन द्वारा इस प्रकार की असमानता को दूर करने के प्रयत्न किये जाने चाहिएं।

यह विचित्र बात है कि पूछताछ कार्यालयों में स्थानीय भाषा जानने वाले लोग नहीं होते हैं जिससे जनता को बड़ी परेशानी होती है। पूछताछ कार्यालयों में केवल ऐसे व्यक्ति रखे जाने चाहिए जो स्थानीय भाषा अच्छी तरह जानते हों।

रेलवे कर्मचारियों एवं जनता को उपयुक्त सुविधायें दी जानी चाहियें। मझे आशा है मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

**Dr. Mahadeva Prasad** (Maharajganj) : The Railway Minister should pay more attention towards the development of backward areas. In this connection I want to draw their attention to the necessity of connecting Gorakhuur, Maharajganj, Thundibari and Nichlault are by a railway line. This area lies on the border with Nepal. If a railway line is constructed there, it would help in the development of that area economically.

Some basic changes should be effected in the Railway administration. The big offices have surplus staff and smaller ones are understaffed. This thing should be looked into. Decentralisation of files should be minimised. Files relating to a particular station etc. should not be entrusted to several persons because this results in delay and lack of co-ordination.

The law assistants and law superintendents employed in the Law Department do nothing but simply the work of a munshi of a vakil. This is a national waste. This should be looked into.

The railway employees should not be made to submit medical certificates from a doctor of a railway hospital situated at a distant place. This results

in unnecessary inconvenience to them and also gives rise to corruption. Therefore, the railway employees should be given freedom to submit medical cer ficate from a doctor of the nearest railway hospital.

Gorakhpur is a railway headquarter employing about 20 thousand emloyees. Life is very costly there. Gorakhpur should, therefore, be declared a 'B' class city and all facilities should be provided to the Central Government employees posted there.

**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : मैं रेलवे की अनपूरक मांगों का समर्थन करता हूं। मैं मांग संख्या ६ के बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं। मझे प्रसन्नता है कि कुछ शहरों के पुनर्वर्गीकरण के फलस्वरूप कर्मचारियों के मकान किरायों तथा मंहगाई भत्तों में वृद्धि हुई है। अब तक जनसंख्या के आधार पर नगरों को ऊंची श्रेणी में रखा जाता है। मेरा निवेदन है कि निर्वाह-व्यय को दृष्टि में रख कर शहरों का पुनर्वगीकरण किया जाना चाहिये। उदाहरण के तौर पर नागपुर में बम्बई, मद्रास और यहां तक कि कलकत्ता से भी अधिक मंहगाई है। कुछ ऐसे छोटे रेलवे स्टेशन भी हैं जहां आस-पास रेलवे कर्मचारी रहते हैं और वहां पर चीजें बहुत मंहगी हैं। अत: हमारा मुख्य ध्येय वहां रहने वाले कर्मचारियों का कल्याण है। रेलवे को इस पर विचार करना चाहिये। हमें जनसंख्या के सिद्धांत को त्यागना चाहिये और इसकी बजाय निर्वाह-व्यय के आधार पर शहरों का पुनर्वर्गीकरण किया जाना चाहिये।

खण्डवा—बहिंगोली रेलवे लाइन पर गाड़ियां धीमी चलती हैं और उनका समय उत्तर तथा दक्षिण की ओर से आने वाली गाड़ियों के समय से मेल नहीं खाता। इससे लोगों को बड़ी असुविधा होती है। इस ओर भी रेलवे मंत्री को ध्यान देना चाहिये।

नागपुर—उमरेर लाइन का निर्माण और अधिक तेजी से किया जाना चाहिये।

**Shri Vishram Prasad** (Lalganj) : Good care should be taken of the Railway property against fire or similar causes. Surplus stores lying with the railways for a number of years should be disposed of. If the railways economise in such matters the supplementaries demands can be reduced by a sizeable amount.

The Patel Commission, which toured the north-eastern parts of Uttar Pradesh, had recommended the conversion of Shahganj—Gorakhpur narrow-gauge line into a broad-gauge line. The Railway Minister should give serious thought to this matter because the people are put to great inconveniences when they travel on this line.

The number of trains on the Banaras—Gorakhpur line should be increased as the existing trains cannot cope with the increased passenger traffic on this line.

The Patel Commission or the Planning Commission had recently suggested that a bridge should be constructed at Tarighat near Ghazipur. Passengers coming from Calcutta have to board a train to Banaras first to reach Ghazipur. Keeping this difficulty in view that bridge should be a road-*cum*-rail bridge so that a distance of about 100 or 125 miles may be saved.

On the Aunrihar Station the bridge has approach road on one end alone while there is no approach road on the other. This results in frequent accidents involving men and animals. The Railway Ministry should, therefore, give this matter a serious thought and remedy the situation. A local train between Jaunpur and Aunrihar Jn.—a distance of 36 miles—should also be introduced.

**Shri Ganpati Ram** (Machhlishahr): I have to submit a few suggestions for the Railway Ministry. I had suggested in the First Parliament for laying a line to link Shahganj and Janghai. Jaunpur is an important junction but its platform has not been provided with a shed.

Request was made to make Sundanya on Jaunpur—Allahabad line a flag station but nothing has been done in this regard.

There is no booking office at the Jaunpur city Station for the last three years.

The quarters meant for the third and fourth class employees are allotted to others. One such employee at Mugalsarai with service of 6 to 7 years was suspended because he occupied a vacant quarter. Attention should be paid to such cases.

There is a rule in the railways to post the employees of scheduled castes near their houses. But no action has been taken in this regard on several applications for the last 3 to 4 years.

The quota reserved for the scheduled castes in the Baroda House has not been filled by the candidates of these castes. Such reservation and the rules for their promotion should be adhered to.

**Shri Onkar Lal Berwa** (Kotah): Kotah—Ajmer line should be undertaken next year if not in this year.

Extravagant expenditure is being incurred on air-conditioned compartments because the fare of the air travel is the same.

Economy is not kept in mind in the railways. A pit at Ajmer was filled with iron instead of earth. Sleepers are misused. If those are sold even though they are condemned they can fetch 5 crores of rupees.

T. T. I's. should be provided with badges otherwise it is difficult to identify them. In the railway colony at Kotah police has not been detailed for watch and very often robberies are committed. High school should be provided there.

The nalah near Bajaria station emits very foul smell. It should be made pakka then it can remain clean.

The transfers of Railway officers should be made within the State and at the end of the academic year so that they could make proper arrangements for the studies of their children.

The reservation chart of the sleeper coach should not remain with only one guard. That creates much inconvenience to him. The luggage placed separately in the sleeper coach should be labeled against the names of the travellers.

The seat of the conductor of the sleeper coach should not be near latrine.

Sophia school is functioning in the railway quarters. That should be vacated and the quarters should be allotted to the railway employees.

Scheduled caste employees do not get promotion and the posts are filled by the general class of people.

There is only one doctor in the railway dispensaries who very often indulges in corruption while giving fitness certificates to the employees of the railways.

Provision should be made for getting fitness certificates from other doctors as well. Train should stop at Lakheri and a shuttle train should be introduced between Kotah to Gangpur.

**Shri Baswant** (Thana) : There is very heavy traffic of say 6 lakhs of travellers a day at Bombay station and several times requests have been made to remodel the subarban station at Thana. But no action has so far been taken in this direction.

The subarban section of the Bombay central railway is of 130 K.M. and if the subarban section of Western Railway is also extended upto 125 K.M. the position of traffic would be much easy. The people in the area between Bina and Safala have been requesting for 60 years for setting up a flag station but the Government has said that the people should make a contribution of Rs. 85,000 which is impossible. This demand of the railways is against the canons of socialism.

The conductors in the trains should be provided with a separate place to take rest. Their duty is very hard and they should not be held responsible for the thefts.

I am glare to learn that traffic movement will begin from Divadasgaon to Divapannel. This allotment should be extended upto Bangalore. Keeping in view the heavy traffic a new line should be laid between Diva and Daharm.

**Shri Bade** (Khargone) : I have received the following complaint regarding the selection of inspector of Railway protection force in the northern railway.

हाल ही में उत्तर रेलवे में रेलवे सुरक्षा पुलिस के इंस्पैक्टर का जो चुनाव हुआ है उसमें ऐसे लोगों को चुना गया है जिनके सेवा कार्य के विरुद्ध शिकायतें थीं।

There is a discrimination in the scale of pay of Meter gauge and Broad gauge railways. Moreover the meter gauge railways are not properly looked after.

**श्री शाहनवाज़ खां :** बहुत से सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है । मैं उनकी अधिकाधिक बातों का उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा ।

श्री वासुदेवन नायर ने कोचीन नगर के पुनर्वर्गीकरण की बात कहीं थी । किन्तु १९६१ की जनसंख्या के अनुसार वहां की जन संख्या २,३६,००० है । अतः उसका दर्जा ऊंचा नहीं किया जा सकता । अन्य नगरों के वर्गीकरण के बारे में कुछ करने का अधिकार वित्त मंत्रालय को है ।

नियम १४८ और १४९ के बारे में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसके अनुसार सभी कर्मचारियों को पुनः नियुक्त करने के आदेश दे दिये हैं । किसी के विरुद्ध नये मामले न चलाने के भी आदेश दे दिये हैं । किन्तु जो मामले विचाराधीन थे उन्हें विधि मंत्रालय के परामर्श के लिए भेज दिया गया है । परामर्श मिलने पर तुरंत कार्यवाही की जायगी।

डा० राम मनोहर लोहिया ने कहा है कि सिवा तीसरी श्रेणी के और कोई डिब्बे नहीं होने चाहिये । किन्तु कुछ लोग अधिक पैसा खर्च कर के अधिक सुविधा चाहते हैं । उन्हें उससे वंचित करना ठीक नहीं है ।

[श्री शाहनवाज खां]

श्री हिम्मत सिंहका ने गुडिया में आउट एजेंसी स्थापित करने के लिए कहा है । उस की जांच की जायगी और पानी की शिकयात का भी प्रबन्ध किया जायगा ।

श्री अ० प्र० शर्मा ने "प्रभारित व्यय" का उल्लेख किया है जो केवल न्यायालय की डिग्रियों के भुगतान के सम्बन्ध में है । उन्होंने यह भी कहा है कि दवाई देने के बाद चिटें वापस ले ली जाती हैं । मैं इस की भी जांच करूंगा ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*)

उन्होंने शिक्षा सुविधाओं की ओर निर्देश किया था हम ७१५ स्कूल और दो कालेज चला रहे हैं जिन पर ८०,९३,००० रुपया खर्च होता है जब कि यह विषय राज्य सरकार का है ।

**Shri Onkar Lal Berwa :** These facilities are provided only at big cities.

**Shri Shahnawaz Khan:** These are provided at small places also where it is found necessary.

रेलवे कर्मचारियों के लिए शिक्षा सुविधाओं के सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि रेलवे का मुख्य काम रेलवे का संचालन करना है ।

हम हर वर्ष रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टरों में १०,००० से ११,००० तक वृद्धि कर रहे हैं । सरकारी इंस्पेक्टर का दफ्तर शिमला से मेरठ ले आया गया है । अन्य इंस्पेक्टर बम्बई, कलकत्ता, बंगलौर और लखनऊ में हैं ।

यदि देहरादून एक्सप्रेस को चंडक में खड़ा किया जाए तो एक्सप्रेस गाड़ी का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता ।

श्री यशपाल सिंह का सुझाव है कि बिजली की गाड़ियां नहीं चलानी चाहियें । किंतु हम ऐसी गाड़ियां केवल ऐसे क्षेत्रों में चलाते हैं जहां यातायात बहुत अधिक है । वे चाहते हैं कि एस० एस० लाइट रेलवे को ले लेना चाहिये किन्तु उस क्षेत्र के लोग यही नहीं चाहते कि इसे बन्द कर दिया जाए ।

रात के दस बजे से प्रातः ६ बजे तक काम करने वाले लोगों को रात्रि भत्ता दिया जाता है ।

श्री पी० वेंकटासुब्बया कहते हैं कि रेलवे की चिकित्सा व्यवस्था बहुत अच्छी है । हम इसे और सुधारने के लिए प्रयत्नशील हैं ।

हम इस नीति को अपना रहे हैं कि रेलवे अधिकारियों का तबादला ऐसे समय हो जब उनके बच्चों की पढ़ाई को हानि न हो ।

नये रेलवे खण्ड की स्थापना तो तभी हो सकती है जब वर्तमान खण्ड सारे काम का भली प्रकार संचालन न कर सकते हों ।

**श्री रंगा :** क्या यह सच नहीं कि मंत्रिमंडल में परिवर्तन से पहले गोरखपुर में नया खण्ड स्थापित करने का निश्चय किया गया था ?

**श्री शाहनवाज खां :** यह गलत बात है ।

**श्री अ० प्र० शर्मा :** माननीय मंत्री श्री कुंजरू समिति के बारे में क्या मत है जिसमें कहा गया था रेलवे का व्यय बहुत अधिक बढ़ गया है ।

**श्री शाहनवाज खां :** हम इस सम्बन्ध में सचेत हैं और यातायात की प्रवृद्धि का अध्ययन कर रहे हैं । आवश्यकता पड़ने पर नया खण्ड बनाया जायगा ।

श्री त्रिवेदी का सुझाव अच्छा है कि पूछताछ क्लर्क स्थानी भाषा को जानने वाले होने चाहियें । गैर-सरकारी डाक्टरों के प्रमाणपत्रों की प्रथा पहले थी किन्तु भ्रष्टाचार के कारण उसे बंद करना पड़ा है ।

श्री अणे कहते हैं कि खण्डवा का हंगोली लाइन पर गाड़ियों की गति धीमी है । उसका कारण यह है कि वह नई लाईन है अतः इस में कुछ समय लगेगा ।

**Shri Bade :** There is discrimination between the employees of meter gauge and Broad gauge railways.

**Shri Shahnawaz Khan :** I do not discriminate between them. They are all railway employees.

जौनपुर स्टेशन पर शेड बनाने के बारे में जांच की जाएगी । श्री गणपति राम का कथन है कि अनुसूचित जातियों की रक्षित जगहें दूसरों को दी जा रही हैं । यह गलत है । यदि कोई मामला हो तो वे बतायें । हम जांच करेंगे ।

I do assure that any case brought by the members is properly looked into.

**Shri Vishram Parsad :** What percentage of the reserved seats has been filled by the scheduled castes.

**Shri Shahnawaz Khan:** I have not got the figures. But if he gives a notice I would inform him. No doubt the fare of air conditioned compartments is high but still people do not find room in these compartments.

The members should have no complaint regarding the school in railway quarters at Kotah because there the children of the railway employees are receiving education.

As regards selection of inspector of Protection Police, the member may send the specific case to me.

I wish that the members of Parliament should help in maintaining discipline in the railway because when employees approach them instead of the administration that damages the discipline.

**अध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित अनुपूरक मांगें मतदान के लिये रखी गयीं तथा स्वीकृत हुईं ।**

*The following Demands for Supplementary Grants in respect of Ministry of Railways were put and adopted :—*

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| ४ | कार्यवहन व्यय—प्रशासन . | १,८३,६४,००० |
| ५ | कार्यवहन व्यय—मरम्मत और संधारण | ४,७८,५४,००० |
| ६ | कार्यवहन व्यय—संचालक कर्मचारी | २,३३,३३,००० |
| ७ | कार्यवहन व्यय—संचालन (ईंधन) . . | ३,६४,५८,००० |
| ८ | कार्यवहन व्यय—कर्मचारियों तथ ईंधन के अतिरिक्त संचालन . | ४५,७३,००० |
| ९ | कार्यवहन व्यय—विविध व्यय . | २,४८,५५,००० |
| १० | कार्यवहन व्यय—श्रम कल्याण . | ४१,४५,००० |
| १२ | सामान्य राजस्व को भुगतान . . . | १,९१,७९,००० |
| १५ | चालू लाइनों का निर्माण—विस्तार तथा प्रतिस्थापन . . | २६,५८,७१,००० |
| १६ | चालू लाइनों का निर्माण—विकास निधि . | ३,७६,८२,००० |
| १८ | विकास निधि में विनियोग . . . . | ६,७५,००,००० |

---

## विनियोग रेलवे संख्या २ विधेयक, १९६४

## APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 2 BILL, 1964

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** मैं श्री दासप्पा की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

**श्री शाहनवाज खां** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

**श्री शाहनवाज खां** : मैं श्री दासप्पा की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : यह सच है कि अतिरिक्त या अनुपूरक मांगें पारित की जाती हैं क्योंकि ये पहले से ही होती आ रही हैं, परन्तु भ्रष्टाचार को हम रोक नहीं पाये जिस के कारण रेलवे यात्रा असुरक्षित है और समस्त प्रशासन खराब हो गया है । जो नये पुल बनाये गये हैं उन सब में दरारें पड़ गई हैं अथवा वे टूट गये हैं, और परिणामस्वरूप इकहरी लाइन पर यदि पहले जाने में तीन घंटे लगाते थे तो अब दोहरी लाइन होने पर भी अधिक समय लगता है । पुराने पुल भार सहने में समर्थ हैं । इस का कारण यह है कि बड़े पैमाने पर निर्माण सामग्री, सीमेंट, गर्डरों आदि की चोरी की जाती है ।

अतः इस ओर अधिक ध्यान दिया जाए कि अधिकारी ठेकेदारों की सहायता से भ्रष्टाचार न फैला सकें, इस को रोकने की जरूरत है ।

**श्री रंगा** (चित्तूर) : रेलवे की मरम्मत और निर्माण के पश्चात जो टूटा फूटा माल बचता है, उसको किस प्रकार जमा किया जाता है और कैसे उस की निकासी की जाती है ? भ्रष्टाचार के संबंध में मैं श्री त्रिवेदी की बात का समर्थन करता हूं ।

(जोन) खण्ड का प्रश्न काफी समय से अनिर्णीत पड़ा है । दक्षिण में मध्य क्षेत्र में नवीन खण्ड बनाया जाना चाहिये ।

पहले की अपेक्षा अब दुर्घटनाओं की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है ? सरकार ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। समिति ने भी कुछ सिफारिसें की थी । हम ऊपर के पुलों और उप-मार्गों का सुझाव देते रहे हैं । जहां उपमार्ग है ही उनका उपयोग जनता के लिये नहीं किया जा रहा । इस मामले में समस्त रवैये पर पुनर्विचार करने की जरूरत है ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके ।

तीसरे दर्जे के यात्रियों संबंधी सुविधाओं के बारे में श्री रेड्डी ने जोरदार समर्थन किया था । इन पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये । जिन सैक्शनों पर अधिक भीड़ होती है, शटल गाड़ियां चलाई जानी चाहियें ।

रेलों में भोजन व्यवस्था बहुत बुरी है और बुरी चीजें दी जाती हैं । मद्रास पहुंचते पहुंचते मुझे दस्त लग गये और मुझे इलाज करवाना पड़ा । इस स्थिति को तत्काल सुधारने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

स्टेशनों की स्थिति भी बहुत बुरी है, चित्तूर की हालत खराब है। सरकार नौकरशाही वाला सामान्य उत्तर दे देती है । यदि रेलवे प्रशासन इस ढंग से चल रहा है, यदि उन की यही उत्तरदायित्व की भावना है, तो इस प्रजातंत्र सरकार की कुशलता तथा उत्तरदायित्व भावना का परिचय मिल जाता है ।

**श्री शाहनवाज खां :** भ्रष्टाचार के बारे में मतभेद नहीं हो सकता। हम रेलवे में इसे रोकने का यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं। जिस पुल को खराब समझा जाएगा, उस पर से गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। हम पुलों को मजबूत बनाने का प्रयत्न भी करते हैं। भोजन व्यवस्था में सुधार लाने की गुजाइश है। हम इस के बारे में उचित कार्रवाई कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में रेलवे के निमित्त प्रयोग के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोजन का प्राधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ और ३ विधेयक के अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खंड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**Clauses 2 and 3 were added to the Bill.**

**खंड १ अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**Clause 1, the enacting formula and the title were added to the Bill.**

**श्री शाहनवाज खां :** मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाए।"

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

---

## अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६३–६४

## DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 1963-64

**अध्यक्ष महोदय:** अब सभा सामान्य आय-व्ययक के बारे में वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेगी।

**वर्ष १९६३-६४ के लिये सामान्य आय-व्ययक के सम्बन्ध में अनुदानों की निम्नलिखित अनपूरक मांगें प्रस्तुत की गयीं :—**

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| ८ | प्रतिरक्षा मंत्रालय | १,१८,००० |
| १२ | सम्भरण तथा निपटान . | १२,२१,००० |
| १४ | शिक्षा मंत्रालय . | २,००,००० |
| १५ | शिक्षा | ७६,००,००० |
| १७ | आदिमजाति क्षेत्र . . . . . | ६५,००,००० |
| २१ | दादरा और नगर हवेली क्षेत्र | २,२५,००० |
| २६ | संघ उत्पादन शुल्क | १०,००,००० |
| २७ | निगम कर आदि सहित आय पर कर | १५,००,००० |
| ३३ | पेंशनें और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ | ६३,८९,००० |
| ३५ | अफीम . . | ४६,००,००० |
| ३६ | वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . | ५२,००,००० |
| ३८ | राज्यों को सहायतार्थ अनुदान . . | ३,५०,००,००० |
| ३९ | केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन . | ५,००,००० |
| ४३ | कृषि अनुसन्धान | ४,९१,००० |
| ५५ | जनगणना . . | ५,५३,००० |
| ६० | अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह . . | ३७,२७,००० |
| ६३ | लक्कद्वीप, मिनीकोय और अमीनद्वीप द्वीप समूह . . | १८,६३,००० |
| ६७ | सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . | ९,७२,००० |
| ६९ | बहुप्रयोजनीय नदी योजनायें . . | १८,००,००० |
| ७० | सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय | ७९,००,००० |
| ७३ | श्रम और रोजगार मंत्रालय . | ८३,९५,००० |
| ८६ | वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य | १,३०,००,००० |
| ९५ | प्रकाश स्तम्भ तथा प्रकाश पोत | ३,८०,००० |
| ९९ | भारतीय डाक तथा तार . . . . | ३,५५,००,००० |
| १०० | डाक तथा तार —सामान्य राजस्व में लाभांश और रक्षित निधि में विनियोग | ३,७३,८६,००० |

| मांग संख्या | शीर्षक | राशि |
|---|---|---|
| | | रुपये |
| १०२ | लोक निर्माण-कार्य | २,५०,००,००० |
| १०३ | लेखन-सामग्री और मुद्रण . | ३,१४,००,००० |
| १०४ | विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय | ३५,२६,००० |
| ११२ | उप-राष्ट्रपति का सचिवालय . | २५,००० |
| ११७ | शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . | ८३,००,००० |
| ११८ | वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय | २७,००,००० |
| १२० | चल-मुद्रा और सिक्के पर पूंजी परिव्यय | १,६५,४८,००० |
| १२३ | पेन्शनों का राशिकृत मूल्य . . | २४,७२,००० |
| १२४ | वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . | . ६,०४,००,००० |
| १२६ | केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम धन | ४,००,००,००० |
| १२८ | खाद्यान्नों का क्रय . . | . २५,००,००,००० |
| १३३ | बहुप्रयोजनीय नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . | १,००० |
| १३५ | श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . | ४,६०,००० |
| १३७ | वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . | . १,५०,००,००० |
| १३९ | सड़कों पर पूंजी परिव्यय | २,७७,६८,००० |
| १४२ | परिवहन तथा संचार मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . | १,००० |
| १४३ | डाक तथा तार विभाग पर पूंजी परिव्यय . . (राजस्व से नहीं दिया गया) | ४,२६,६९,००० |
| १४४ | लोक-निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . | ५०,००,००० |
| १४५ | दिल्ली पूंजी परिव्यय . . . . | . १०,९०,६४,००० |
| १४६ | निर्माण, आवास तथा पुनर्वास मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . | ९३,००,००० |

कटौती प्रस्तावों १, २, ६, ७, ८ और ९ तथा ३ और ४ के प्रस्तावक क्रमशः श्री बनर्जी और श्री शिवमूर्ति स्वामी उपस्थित नहीं । कटौती प्रस्ताव ५ अनियमित है ।

**Shri Kishan Patnaik:** I move.

That Rs. 50,00,000 may be reduced in the demand under the Heading of Ministry of Scientific Research (Page 104) to effect Economy in the expenditure of the Council of Scientific and Industrial Research.

**अध्यक्ष महोदय** : अनुपूरक मांगें और कटौती प्रस्ताव संख्या १० सभा के समक्ष हैं।

**श्री वासुदेवन नायर** (अम्बालापुजा): अब चूंकि भारत सरकार ने भारत–नार्वे मत्स्यपालन परियोजना को अपने क्षेत्राधिकार तथा हाथ में लेने का विचार किया है, हमें यह जानने का अधिकार है कि इस परियोजना के निमित्त जितना खर्च अब तक किया जा चुका है, क्या परिणाम उस व्यय के अनुपात में निकले हैं या नहीं। यदि परिणाम उस व्यय के अनुपात में नहीं हैं, तो क्या उतना व्यय करना उचित है। इस परियोजना के अन्तर्गत केवल १७० मछियारों को प्रशिक्षण देने का काम बहुत ही कम है। इस कम काम के क्या कारण हैं और सरकार इस प्रशिक्षण व्यवस्था को बढ़ाने तथा अधिक मछियारों को प्रशिक्षण देने के लिये क्या कार्रवाई करने का विचार करती है। अनेकों व्यक्ति इस योजना के अन्तर्गत भरती किये गये, परन्तु लाभ कुछ भी नहीं हुआ। यह कितनी खेदजनक बात है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

इस परियोजना का विस्तार अन्य क्षेत्रों में किया जाए। इस संस्था को कोचीन में दो भागों में विभक्त करने के प्रश्न पर इतना विलम्ब क्यों किया गया है ?

भारतीय भूतपूर्व राजाओं और नरेशों को जो भारी निजी थैलियां दी जाती हैं, वह अनुचित है। यह खर्च अनावश्यक है। और धनवान राजाओं को और धन देने का कोई औचित्य नहीं। कम से कम संकट काल के अंदर तो निजी थैलियां देना बन्द किया जा सकता है।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया आदि देशों में शिक्षा के लिये सहायता हमें मिलती है। पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन आदि के लिये आस्ट्रेलिया की सहायता प्राप्त है। इसके प्रयोग किये जाने की एक गाथा है। अन्य सरकारों से भी, अर्थात् स्वीडन आदि से पाठ्य पुस्तकों के लिये हमें कागज मिलता है। इस कागज पर मुद्रित पुस्तकें बच्चों को निःशुल्क न बांटी जा कर शुल्क लिया जाता है। जब कि ये पुस्तकें मुफ्त बांटी जानी चाहिये। यह मुनाफाखोरी राज्यों के द्वारा अनुचित है। जब कि यह कागज हमें इस कार्य के लिये मुफ्त मिला है। इस प्रकार की अनैतिक कार्रवाई तुरन्त समाप्त की जानी चाहिये और निर्धन बालकों को वे पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त बांटी जायें।

डाक तथा तार विभाग के बारे में बैल टेलीफोन कम्पनी के बारे में एक प्रश्न उठाया गया था, जिस में कहा गया था कि यह कम्पनी अफरीका में, ट्यूनिशिया के साथ संदेहास्पद सौदे कर रही है। इसको भूमि के नीचे तार बिछाने और सरकार को सामान देने का ठेका दिया गया। क्या सरकार ने इस कम्पनी के बारे में, उसे ठेके देने से पूर्व, कोई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। इस मामले में देश की सुरक्षा का प्रश्न है। ऐसी गन्दी कम्पनी को ठेका देने में सरकार द्वारा पक्षपात करने की घृणित कार्रवाई क्षम्य नहीं है। उसे अब भी सरकार समर्थन कर रही है, अन्यथा वह ठेका बड़ी आसानी के साथ समाप्त किया जा सकता है। हमें ट्यूनिशिया से अपने राजनयिक साधनों के द्वारा उस की जांच करनी

चाहिये और समुचित कार्रवाई करनी चाहिये। तब इस सौदे को रद्द करने में कोई कठिनाई नहीं हो सकेगी ।

**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** (खम्मम): कीमतों के बढ़ने और उन को रोकने के लिये प्रयास न किये जाने की आलोचना सदस्यों द्वारा की गई है ।

लोगों के पास धन है और पुरानी बचत भावना की प्रतिक्रिया स्वरूप लोगों में खर्च करने की प्रवृत्ति है जिसे रोकना सरल कार्य नहीं है। योजना तथा विकास के बाद इस प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। निस्संदेह खाद्य उत्पादन और उपभोक्ता माल के उत्पादन में वृद्धि हुई है । परन्तु उपभोग वृद्धि सूचकांक उत्पादन सूचकांक से कहीं अधिक बढ़ गया है । पिछड़े देश में उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाने से उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ता है । जन संख्या वृद्धि के साथ उपभोग अनियंत्रित होते हुए प्रगति संभव नहीं । इस से जीवन स्तर नीचे गिर जाएगा । अतः योजना आयोग को इन दोनों स्थितियों के बीच सम्यक संतुलन लाना होगा, ताकि बचत भी हो और कीमतें भी न बढ़ने पायें । कल्याणकारी राज्य तथा समाजवादी योजना का यही काम होता है कि वह इस प्रकार का सम्यक संतुलन लाये। इसके कई तरीके हैं, एक तरीका महंगाई भत्ता बढ़ाने का है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप विशिष्ट अनुपूरक मांग पर ही बोलें। यह सामान्य आयव्ययक पर सामान्य चर्चा नहीं है ।

**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : ये मांगें केवल एक ही महीने के व्यय के लिये हैं।

**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** : यह महंगाई भत्ता कीमतों को बढ़ने से नहीं रोक सकता। इस से तो महंगाई और बढ़ती है ।

इस कीमतों के बढ़ने की समस्या को कई प्रयत्नों द्वारा हल करना होगा। देश भर में उपभोक्ता स्टोरों का जाल बिछाया जाए, प्रत्येक जिला मुख्यालय में प्रोत्साहन देकर ऐसा किया जा सकता है । यदि सरकार उतनी ही राशि जितनी महंगाई भत्ते में दी है, इन स्टोरों को देती तो कीमतें थोड़े ही समय में ही स्थिर हो सकती थीं ।

खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार हम आरंभ कर सकते हैं, परन्तु उस अवस्था में हमें प्रशासन की अकुशलता का डर लगता है । इस प्रशासन को सुधारने की दिशा में दृढ़ निश्चय से कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

कृषि उत्पादन में कुछ त्रुटियां हैं। उर्वरकों, सिंचाई, कृमिनाश तथा उन्नत कृषि तरीकों को अपनाया जरूर गया है । परन्तु क्या ये उपाय एक ही खेत पर किये गये हैं? यदि ये सब सुविधायें एक खेत में न देकर भिन्न भिन्न क्षेत्रों को दी गई हैं, तो इस से सघन उत्पादन की आशा नहीं की जा सकती ।

**श्री रंगा** (चित्तूर): मैं खाद्यान्न के आयात संबंधी मांग संख्या १२८ पर कुछ कहूंगा। यह कहा जाता है कि खाद्यान्नों का आयात मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिये किया जाता है ।

इसलिये मैं पूछता हूं कि आप बफर स्टाक कहां पर रखते हैं। हाल ही में जिन स्थानों पर खाद्यान्न का अभाव हुआ उन स्थानों पर अनाज क्यों नहीं पहुंचाया गया ? इस के अतिरिक्त, जहां तक मूल्यों का संबंध है, या तो उन का प्रभाव उत्पादक पर पड़ता है या उपभोक्ता पर। सरकार पर अथवा व्यापारियों पर इसका कुछ असर नहीं होता ।

उर्वरक बिना लाभ और घाटे के आधार पर न देकर लाभ कमाने के उद्देश्य से एक नया संगठन बना लिया गया है । अतः हम उर्वरकों पर लाभ कमाने की नीति का विरोध करते हैं।

अब मैं राज्यों को दी जाने वाली कृषि विकास अनुदानों संबंधी मांग संख्या ३८ को लेता हूं । हम यह जानना चाहते हैं कि कृषि विकास के प्रयोजनार्थ राज्यों को दी गई निधियों का पूर्णतः उपयोग क्यों नहीं किया जा सका ?

सरकार जिस प्रकार राज्यों को कई प्रकार के अनुदान देती है उसी तरह जो किसान संस्थाओं एवं सहकारी संस्थाओं के सदस्य हैं उन्हें बिना कीमत के बीज दिये जाने चाहिएं ताकि वह गहन खेती कर सके और खाद्यान्न की नयी किस्मों का उत्पादन कर सकें।

अनुसंधान संस्थाओं के लिये ९० लाख रुपये की आवर्तक अनुदानों की मांग रखी गयी है। परन्तु सरकार को एक आयोग नियुक्त कर के यह जानना चाहिए कि आया अनुसंधान में लगे हुए विशेषज्ञ वास्तव में कुछ उपयोगी काम कर रहे हैं कि नहीं ।

नेफा क्षत्र में राज्य द्वारा व्यापार करना एक समर्थनीय कार्यवाही है । परन्तु हम जानना चाहते हैं कि इस बारे में प्रबंध व्यवस्था कैसी है। चूंकि पहले जब वहां पर वायुयान द्वारा अनाज गिराया गया था तो काफी गड़बड़ हुई थी और उस मामले की जांच के लिये एक जांच समिति भी नियुक्त की गई थी। उस जांच समिति का प्रतिवेदन भी सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

सिलिगुड़ी सड़क समवाय के बारे में भी पर्याप्त जानकारी उपलब्ध की जानी चाहिए ताकि हम उस बारे में कोई राय कायम कर सकें।

प्राथमिक शिक्षा और सेकेन्डरी शिक्षा के लिये कुछ संस्थायें स्थापित की जा रही। परन्तु पहले हमें यह देखना होगा कि इन संस्थाओं का इस समय स्थापित करना आवश्यक है कि नहीं, विशेषकर जब कि इन के लिये धन की आवश्यकता पड़ेगी। क्या इन संस्थाओं के स्थापित करने के लिये उपयुक्त समय यही है ?

**श्री त्यागी** (देहरादून) : एक औचित्य का प्रश्न। सूचि के अनुसार सदस्यों को बुलाने की बजाय, क्या आप पुरानी प्रथा का अनुसरण करेंग, जिसके अनुसार जिस सदस्य को बोलना होता है वह अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करता है ?

**श्री राधे लाल व्यास** (उज्जैन) : इस बारे में एक प्रथा ही नहीं वरन, एक नियम है जिस का पालन आपके पूर्णाधिकारी करते रहे हैं, और जिसके अनुसार एक सदस्य बोलने के लिए अध्यक्षपीठ का ध्यान आकर्षित कर के अनुमति प्राप्त करता है ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं सूचि के अनुसार सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दे रहा हूं ।

**श्री राधे लाल व्यास :** ऐसे सदस्यों के नाम पुकारे जाते हैं जो ध्यान आकर्षित नहीं करते और कभी कभी जो यह उपस्थित भी नहीं होते। यह बात अनुचित है ।

**श्री बड़े** (खारगोन) : विरोधी पक्ष वालों के लिये आप का ध्यान आकर्षित करना कठिन होता है । इसलिये सूचि के अनुसार सदस्यों को बोलने का अवसर मिलना चाहिए ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं सूचि के अनुसार सदस्यों को नहीं बुला रहा हूं ।

**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** गणपूर्ति की घंटी बजाई जा रही है । अब सभा में गणपूर्ति है ।

**Shri D. S. Patil** (Yeotmal) : I want to say something regarding supplementary Demand No. 38.

In spite of that fact that grants and loans worth crores of rupees are being provided by the Centre, every time we want to discuss the question of agricultural development, we are told that it is the primary responsibility of the States to tackle this problem. Similar is the answer given in regard to education and other matters.

Minor irrigation schemes can help increase our agricultural production, but we find that the funds allocated under this item have not been utilised fully. Central Government says that schemes have not been fully implemented by the States, whereas States accuse the Central Government for having formulated defective plans. None of the two is prepared to take responsibility upon itself.

The criterion according to which a scheme is considered as Minor irrigation scheme is that it should be a Rs. 10 lakh scheme. If we want that all the allocated funds should be utilised fully, we must remove this criterion, especially, in view of the fact that we have prepared a programme of democratic decentralisation, and have set up Panchayats.

The central Government give 25 percent as grant and 50 percent as loan for the construction of tanks. But this facility is provided only to Madras, Mysore, Andhra Pradesh and Orissa, and not to any other State. This kind of discrimination must go.

About primary education also it has been stated that it comes under the purview of the State Governments. But so far as scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes are concerned, the responsibility definitely lies with the Central Government. Though sufficient amounts are allocated for the promotion of education and for training, etc. but they are not made available till very late, with the result that the cause for which they are allocated suffers. This factor should be remedied.

Pay scales of the primary school teachers should be increased and they should be made uniform throught the country.

Huge amounts are coming from U.S.A., and the Centre also makes sufficient allocations, for distributing books to the poor villagers free of cost, for school buildings and for numerous other educational purposes. But it is a matter of regret that villagers are not able to make use of the same. Instead, they are asked to contribute for school buildings, for roads and other developmental purposes. We should see that a villager avails of the facilities provided for him.

**Shri Vishram Prasad** (Lalgunj) : It is a matter of regret that the audit report of the Accountant-General has not been made available to the Members.

In our budget, the difference between estimates and the revenue receipts was 8·5 per cent in the year 1960-61, and 17·5 per cent in the year 1961-62, whereas in U. K. it was only 1·3 per cent. This shows how defective our method of budgeting is.

Allocations are made in our budget for various items, but nobody tries to secure the utilisation certificates. No body tries to see whether works have been completed or not, amounts have been fully utilised fully or not.

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखें । अब सभा स्थगित होती है ।

**इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, ११ मार्च, १९६४/फाल्गुन २१, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 11th March, 1964/Phalguna 21, 1885 (Saka).**



GMGIPND LLS III—2659 aiLS—6-6-64—600.